सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या - 20 राँची, बुधवार,

8 अगस्त, 2018 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	182- 383	**भाग-4**–झारखण्ड अधिनियम	
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।		**भाग-5**–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।		**भाग-7**–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।		**भाग-8-** भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा		**भाग-9-** विज्ञापन	---
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।		**भाग-9-क**–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।		**भाग-9-ख**–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
		पूरक-- ...	...
		पूरक "अ" ...	

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या- वि०स०वि०- 11/2018 - 3350 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

[वि०स०वि०-13/2018]

साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ –

(i) यह अधिनियम साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम , **2018** कहा जा सकेगा ।

(ii) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

अध्याय-2

साईनाथ विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 का संशोधन-

2. साईनाथ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा -6 की उपधारा- (2) का संशोधन-

धारा-6 की उपधारा-(2) के वर्तमान प्रावधान- “प्रशासन मंडल की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य किसी संस्था को संबद्ध कर सकता है” को विलोपित किया जाता है ।

उद्देश्य एवं हेतु

विश्वविद्यालय अनुदान योग के द्वारा निजी अवाम डीम्ड विश्वविद्यालयों के संबद्ध में लिए गए निर्णय के द्वारा उन्हें महाविद्यालयों या किन्हीं अन्य संस्थाओं को संबद्ध देने का अधिकार नहीं है, के अलोक में यह जरुरी है की वर्त्तमान प्रावधान को विलोपित किया जाय।

अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है की साईनाथ विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में संशोधन के लिए अधिनियम गठित किया जाय।

अतः यह विधेयक

(डॉ नीरा यादव)
भार साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

19 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 18/2018 - 3379 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग विधेयक-2018

[वि०स०वि०-07/2018]

प्रस्तावना

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग के गठन एवं इससे सम्बन्धित तथा अनुषांगिक मामलों के उपबन्ध हेतु एक विधेयक;

क्योंकि, अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग का गठन और उससे सम्बन्धित तथा अनुषंगिक मामलों का उपबन्ध आवश्यक हो गया है,

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम ''अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2018'' कहा जा सकेगा ।

(2) यह राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

(3) इसका विस्तार सिर्फ झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित हो,

(क) ''आयोग'' से तात्पर्य है, धारा-3 के अधीन गठित ''अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग''

(ख) ''सदस्य'' से तात्पर्य है आयोग का सदस्य और इसमें सम्मिलित है आयोग का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ।

(ग) ''अनुसूचित जाति'' का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-366 की उपधारा (24) में विहित है ।

अध्याय-II

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग

3. अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग का गठन,-

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौपें गये कृत्यों के निष्पादन हेतु यथाशीध्र एक निकाय गठित करेगी, जो अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग के रूप में जाना जायेगा, जिसका मुख्यालय राँची होगा ।

(2) आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा:-

(क) अध्यक्ष, जो झारखण्ड के अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मामलों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा ।

(ख) उपाध्यक्ष, जो झारखण्ड के अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा ।

(ग) 3(तीन), वैसे व्यक्ति जिन्हें अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान हो, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा ।

4. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यावधि एवं सेवा की शर्तें -

(1) राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक अपने पद पर बने रहेगें, जो राज्य सरकार द्वारा विहित होगा ।

(2) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय स्वलिखित पत्र राज्य सरकार को प्रेषित कर अपने पद का त्याग कर सकता है ।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को कार्यभार से हटा सकती है, यदि वह व्यक्ति,

(क) उन्मोचित दिवालिया हो गया हो, या

(ख) किसी ऐसे अपराध, जो राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित दोषी करार दिया और कारावास की सजा सुनाई गई हो, या

(ग) जो विक्षिप्त हो जाता हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया जा चुका हो, या

(घ) जो कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है, या

(ड.) जो आयोग से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा है, या

(च) जिसने राज्य की राय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की प्रतिष्ठा का उस रूप में दुरूपयोग किया हो कि उसका कार्यालय में बना रहना अनुसूचित जातियों के हित के लिए घातक हो,

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति इस खण्ड के अधीन तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई रिक्ति नये मनोनयन से भरी जायेगी ।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतेय नियत राशि / एकमुश्त राशि, भत्ते एवं सेवा की अन्य बन्धेज एवं शर्तें वही होंगी, जो विहित की जाय ।

5. आयोग के पदाधिकारी/कर्मचारी:-

(1) सरकार द्वारा मनोनीत कोई भी पदाधिकारी जो उप सचिव से नीचे स्तर का न हो, आयोग का पदेन सदस्य सचिव होगा ।

(2) राज्य सरकार आयोग के लिए उतने पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगा जो आयोग के सम्यक् क्रिया कलाप के लिए आवश्यक हो,

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतेय नियत राशि / एकमुश्त राशि एवं भत्ते और आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते, का भुगतान धारा-11 में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा ।

6. रिक्तियाँ आदि का आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करना- आयोग का कोई कृत्य या कार्यवाही मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में सदस्य का कोई पद रिक्त है या आयोग का गठन त्रृटिपूर्ण है ।

7. आयोग द्वारा विनियमित की जानेवाली प्रक्रिया- (1) आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार सामान्यतया राँची में होगी या वैसे स्थान पर होगी जो अध्यक्ष उचित समझे ।

(2) आयोग को यह शक्ति होगी कि अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करे ।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य सचिव या सदस्य सचिव द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी दूसरे पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे ।

अध्याय-III

आयोग का कृत्य एवं शक्तियाँ

8. आयोग का कृत्य:-

आयोग का कृत्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित होंगे -

(क) भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न रक्षोपायों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यथा उपबन्धित सरकार के किसी आदेश द्वारा झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं संरक्षण के कार्यकलापों का अनुसंधान एवं परीक्षण, और,

(ख) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों के अधिकार एवं संरक्षण की वंचना से सबंधित शिकायतों की जाँच तथा मामलों को समुचित प्राधिकारी तक पहुँचाना,

(ग) झारखण्ड में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये योजनाओं के कार्यान्वयन में सलाह देना और राज्य में उनके विकास की गति का मूल्यांकन,

(घ) संरक्षणों के प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसूचित जातियों के कल्याण, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं आयोग राज्य सरकार को वर्षानुवर्ष और वैसे समय में, जब आयोग उचित समझे, वैसे उपायों की अनुशंसा करना जो राज्य सरकार द्वारा किया जा सके,

(ड.) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं प्रगति के संबंध में वैसे सभी कार्यों का सम्पादन, जो विहित हो,

परन्तु यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई विषय भारत का संविधान की धारा-338 के अधीन स्थापित अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा निष्पादित हो रहा हो, अनुसूचित जाति राज्य आयोग का उस मामले में क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा ।

(च) राज्य सरकार आयोग को वैसा निर्देश दे सकती है जो राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उचित समझता हो और आयोग वैसे निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगी ।

9. **प्रतिवेदन का पुरस्थापन**- राज्य सरकार धारा-8 की उपधारा (घ) के अन्तर्गत उन प्रतिवेदनों के संबंध में राज्य विधानसभा में की गई कार्रवाई या कार्रवाई के प्रस्ताव और अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में, यदि कोई हो तो कारणों की व्याख्या करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत करेगा ।

10. **आयोग की शक्तियाँ**- आयोग को धारा-8 के अन्तर्गत किसी मामले के जाँच के दौरान वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 की धारा 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् (क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसकी जाँच करना,

(ख) किसी अभिलेख की खोज और उसके प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(ड.) गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

परन्तु उपधारा (क) के अधीन उस व्यक्ति को जो, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव या विभागाध्यक्ष के रूप में राज्य सरकार के मामलों में नियोजित हो, को सम्मन नहीं किया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । परन्तु उसके द्वारा सम्मन का अनुपालन तब हुआ समझा जायेगा जब वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बदले उपधारा (क) के अधीन उपसचिव स्तर से अन्यून या जैसा भी हो उसके समतुल्य का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होना कारित करे ।

परन्तु यह भी कि, उपधारा (क) के अधीन जारी सम्मन में जिस व्यक्ति को सम्मन किया जाय उसमें सम्मन के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख हो और जब साक्ष्य प्रस्तुत करने के सिवा, किसी व्यक्ति को किसी अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिये सम्मन किया जाय तब यदि वह व्यक्ति सशरीर उपस्थित होने के बदले यदि वैसा अभिलेख प्रस्तुत कराता है तब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सम्मन अनुपालित समझा जायेगा।

अध्याय-IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान-

(1) इस मामले में राज्य विधान सभा द्वारा अपेक्षित विनियोग के बाद आयोग को राज्य सरकार अनुदान के रूप में वैसी राशि का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार उचित समझे और इस अधिनियम के उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सके ।

(2) आयोग अनुदान की राशि में से उतनी राशि खर्च कर सकेगा जो इस अधिनियम के कार्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक समझा जाय और ऐसी राशि उपधारा (1) के अधीन अनुदान में से खर्च के रूप में भुगतेय होगा ।

12. लेखा एवं अंकेक्षण-

(1) आयोग आय एवं व्यय का लेखा उस नियम के तहत रखेगा जो इस निमित्त विहित किया जाय ।

(2) आयोग उस रूप में लेखे का वार्षिक वितरण तैयार करेगा जो विहित किया जाय ।

(3) आयोग के लेखा को उस अंकेक्षक द्वारा वार्षिक रूप से अंकेक्षित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे ।

(4) अंकेक्षक, अंकेक्षण के उद्देश्य से आयोग के सभी लेखा एवं अन्य अभिलेख की मांग कर सकता है ।

(5) आयोग अंकेक्षण के लिए उतनी शुल्क की अदायगी अनुदान की राशि से करेगा जो विहित किया जाय ।

(6) आयोग अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्राप्ति के तुरन्त बाद लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्रति के साथ राज्य सरकार को भेजेगा और इसे लेखा के वार्षिक विवरण में उस रूप में प्रकाशित करेगा जो विहित किया जाय ।

(7) राज्य सरकार ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद विधान सभा में पुरःस्थापित करेगा ।

(8) राज्य सरकार अंकेक्षक के प्रतिवदेन के अवलोकन के पश्चात् वैसा निदेश आयोग को देगा जो उचित समझे और आयोग वैसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

अध्याय-V

विविध

13. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं समस्त कर्मचारी लोक सेवक माने जायेंगे- भारतीय दंड संहिता (केन्द्रीय अधिनियम, 1860 का 45) की धारा 21 के अनुसार आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं समस्त कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे ।

14. नियमावली बनाने की शक्ति-

(1) राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए बना सकेगी ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी मामलों के संबध में उपबंध कर सकेगी, यथा,-

(क) धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतेय वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य बंधेज एवं शर्तें ।

(ख) धारा-12 की उपधारा (2) के अंतर्गत लेखे का वार्षिक विवरण तैयार करने हेतु प्रपत्र।(ग) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान-सभा के समक्ष रखा जायेगा, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में पड़ सकते हैं । जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय उस सत्र में या उसके बाद वाले सत्र में विधान-सभा, नियम में जो रूपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस

बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद यह नियम यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बाधित होने से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा ।

15. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति:- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

परन्तु यह कि, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से दो वर्षों के उपरान्त ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान-सभा के समक्ष रखा जायगा ।

16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव:- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों, निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे ।

परन्तु, यह कि तत्समय प्रवृत कोई अन्य विधि या नियम इस अधिनियम के पूर्व बने, निर्गत या पारित किया गया कोई आदेश या जारी किए गए अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हो, प्रभावी बने रहेगें तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे ।

17. निरसन या व्यवृत्ति:-

(1) एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत ऐसे सभी अनुदेश/संकल्प/परिपत्र आदि जो इस अधिनियम से असंगत हो, इस हद तक निरसित समझे जायेंगे ।

(2) इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व किसी आदेश, संकल्प, परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कार्रवाई इस अधिनिमय के अधीन किया गया, की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के अधीन वे लागू थे ।

उद्देश्य एवं हेतु का कथन

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा 10 में विनिश्चित उद्देश्य के प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुसूचित जातियों के सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को समुन्नत करने, राज्य में उनके विकास की गति के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए एक स्थायी आयोग गठित करने हेतु एक अधिनियम का विधान किया जाय, जो ,-

(i) अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं संरक्षण की विभिन्न सुरक्षाओं के क्रियाकलाप की अनुसंधान एवं परीक्षण करेगा ।

(ii) झारखण्ड की अनुसूचित जातियों के अधिकार एवं संरक्षण से वंचित रहने संबंधी विशिष्ट शिकायत की जांच करेगा ।

(iii) झारखण्ड में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना में भाग लेगा तथा राज्य में उनके विकास की गति का परीक्षण कर राज्य सरकार को सलाह देगा ।

(iv) संरक्षणों के प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसूचित जातियों के कल्याण, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं आयोग राज्य सरकार को वर्षानुवर्ष और वैसे समय में जब आयोग उचित समझे, वैसे उपायों की अनुशंसा करना जो राज्य सरकार द्वारा किये जा सके ।

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-2018 में सन्निहित है:-

(1) राज्य आयोग का गठन एवं कार्यकाल और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्त,

(2) आयोग की शक्तियाँ एवं कृत्य,

(3) आयोग के लेखे का रखरखाव एवं वैसे लेखे का लेखा परीक्षण,

इस विधेयक में अन्य अनुषांगिक एवं परिणामी प्रावधान भी सम्मिलित है,

अतएव, यह विधेयक,

(डा॰ लुईस मराण्डी)

भारसाधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 10/2018 - 3382 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

"झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2018"

[वि०स०वि०-04/2018]

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

1.1 यह अधिनियम ''झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018'' कहा जायेगा।

1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

1.3 यह झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-21 A के परन्तुक में निम्नवत् जोड़ा जाता हैः-

परन्तु यह कि, ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित नहीं है, महापौर/अध्यक्ष/उप महापौर/उपाध्यक्ष के निर्वाचन में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकेगा तथा ऐसे व्यक्ति को निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा विधिवत् चुनाव चिन्ह आवंटित किया जायेगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् होगा।

3. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-102 की तीसरी पंक्ति के अंत में-''दल/पार्टी चिन्ह'' से तात्पर्य ''निर्वाचन प्रतीक'' भी है, जोड़ा जाता है।

4. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-103 के तृतीय पंक्ति में ''के पारा-7'' को विलोपित किया जाता है।

5. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-103 में स्पष्टीकरण के रूप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता हैः-

''राज्य स्तरीय दल से तात्पर्य झारखण्ड राज्य के लिए मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय/राज्यीय दल है।''

6. अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-103 के पश्चात्, उपधारा-104 निम्नवत् सम्मिलित किया जाता हैः-

नगरपालिका क्षेत्र का अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार जनहित में किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्र, जनगणना शहर, बसावट, पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी के रूप में अधिसूचित करे।

7. अध्याय-2 की धारा-13 (2) के पश्चात् 13 (3) निम्नवत् जोड़ा जाता हैः-

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जनहित में किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र, जनगणना शहर अथवा बसावट क्षेत्र में इस अधिनियम के लागू होने की घोषणा करते हुए नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी ताकि कालक्रम में उक्त क्षेत्र के नगर निगम, नगर परिषद् अथवा नगर पंचायत के रूप में उत्क्रमण की दशा में इस अधिनियम को लागू करने में कोई व्यवधान न हो । इस क्रम में ऐसे शहरी क्षेत्र में झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

8. अध्याय-4 की धारा-26 की उपधारा-(3) एवं धारा-28 की उपधारा-(3) के प्रथम पंक्ति में ''सामान्य'' शब्द को विलोपित किया जाता है।

9. अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2)(क) में महापौर के साथ ''उपमहापौर'' तथा धारा-29 की उपधारा-(2)(ख) में अध्यक्ष के साथ ''उपाध्यक्ष'' शब्द को अन्तःस्थापित किया जाता है।

10. अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2)(ग) एवं उपधारा-2(घ) को विलोपित किया जाता है।

11. अध्याय-4 की धारा-30 की उपधारा-4 एवं उपधारा-5 के स्पष्टीकरण के रूप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है-

परन्तु यह कि सम्प्रति अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित एवं कार्यरत उपमहापौर/उपाध्यक्ष का कार्यकाल संबंधित निकाय के बचे हुए कार्यकाल तक होगा।

उपमहापौर/उपाध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में संबंधित निकाय के बचे हुए कार्यकाल तक उक्त पद के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की कार्रवाई की जाती रहेगी।

12. अध्याय-10 की धारा-95 के शीर्षक एवं उपधारा-1 एवं 2 को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

महापौर/अध्यक्ष और उपमहापौर/उपाध्यक्ष को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति।

(1) यदि राज्य सरकार के मत में, महापौर/अध्यक्ष अथवा उपमहापौर/उपाध्यक्ष परिषद की लगातार तीन से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने अथवा जानबुझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं कर्तव्यों को करने से उपेक्षा करने या इन्कार करने अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छह माह से अधिक फरार होने का दोषी हो तो राज्य सरकार महापौर/अध्यक्ष अथवा उपमहापौर/उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश द्वारा उसे पद से हटा सकेगी।

(2) इस प्रकार हटाया गया महापौर/अध्यक्ष अथवा उपमहापौर/उपाध्यक्ष भविष्य में राज्य के किसी शहरी स्थानीय निकाय से निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

13. अध्याय-45 की धारा-577 की उपधारा-(1) पहली पंक्ति में प्रत्येक शब्द के बाद ''निर्वाचन लड़नेवाले'' अन्तःस्थापित किया जाता है।

उद्देश्य एवं हेतु

विभिन्न कार्यों के सुचारू संपादन के निमित, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की कतिपय धाराओं में संशोधन की आवश्यकता के आलोक में तथा झारखण्ड विधानसभा के सत्र में नही रहने के कारण झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या-01, 2018) झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से गजट अधिसूचना संख्या-155 दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित किया गया।

2. झारखण्ड विधानमंडल का सत्र दिनांक 16 जुलाई, 2018 से 21 जुलाई, 2018 तक आहूत है। झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या-01, 2018) को अधिनियमित करने हेतु झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 प्रस्तुत किया जा रहा है।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
भार साधक-सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

19 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 15/2018 - 3385 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 19 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक 2018

[वि०स०वि०- 05/2018]

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें (68वें) वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप से यह अधिनियमित होः-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः-**

(1) यह अधिनियम झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2018 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह झारखण्ड राज्य गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माना जायेगा ।

2. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा-7 (3) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाता है ।

“पथ कर के लिए किसी बस में एक स्लीपर की गणना दो बैठान सीट के रुप में की जायेगी” है ।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता वाले अन्य राज्यों यथा- बिहार एवं छत्तीसगढ़ द्वारा स्लीपरयुक्त वाहनों पर परमिट निर्गत किए जाते है । झारखण्ड राज्य में स्लीपर बसों के संबंध में स्पष्ट निर्णय नहीं होने के कारण प्रतिहस्ताक्षर नहीं हो पाता है जिसके कारण झारखण्ड कर भी प्राप्त नहीं हो पाता है। वर्त्तमान परिपेक्ष्य में झारखण्ड राज्य के यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की भाँति झारखण्ड राज्य में भी स्लीपरयुक्त बसों पर परमिट निर्गत/प्रतिहस्ताक्षर किया जाना समीचीन प्रतीत होता है ।

स्लीपरयुक्त बसों के मार्ग कर के संबंध में अन्य राज्यों में एक स्लीपर को दो सीट के रूप में गणना की जाती है । तदनुसार झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक 2018 के लागू होने से झारखण्ड राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ यात्रियों को सुविधा मिलेंगी ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
भार साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

19 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-19/2018- 3388 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 19 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

बंगाल] आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक] 2018

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[वि०स०वि०-06/2018]

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 में संशोधन।

3. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 के उप धारा (1) में शब्द **"पचास हजार"** का प्रतिस्थापन।

4. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 के उप धारा (2) में शब्द **"एक लाख"** का प्रतिस्थापन।

5. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 में संशोधन।

6. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 के उप धारा (1) के खण्ड (a) में शब्द **"दो लाख पचास हजार"** का प्रतिस्थापन।

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

झारखण्ड राज्य में इसके अनुप्रयोग के लिए बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) में संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** - (1) यह अधिनियम **बंगाल, आगरा तथा असम व्यवहार न्यायालय (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018** कहा जायेगा ।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 में संशोधन।** - बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) (आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-19 में :-

   (i) उप धारा (1) में शब्द **"पचास हजार"** को शब्द **"पाँच लाख"** से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

   (ii) उप धारा (2) में शब्द **"एक लाख"** को शब्द **"सात लाख"** से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. **अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 में संशोधन।** - धारा-21 में :-

(i) उप धारा (1) की खण्ड (a) में शब्द **"दो लाख पचास हजार"** को शब्द **"पचीस लाख"** से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

उद्देश्य एवं हेतु

मुद्रास्फीति अवयवों को देखते हुए जिला न्यायाधीश एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के आर्थिक क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 में आवश्यक संशोधन हेतु अनुशंसा की गयी है ।

अंतिम बार इसमें वर्ष-2002 में किये गये संशोधनोपरांत बीते इन 15 वर्षों में आर्थिक परिदृश्य में मुद्रास्फीति में भी हुई व्यापक वृद्धि के फलस्वरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त संशोधन प्रस्तावित है। विचारोपरांत राज्य सरकार ने बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 में उक्त संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

इस हेतु बंगाल, आगरा तथा असम व्यवहार न्यायालय (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2018 में आवश्यक उपबंध किये गये हैं एवं उन्हें अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(रघुवर दास)

भार-साधक-सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 20/2018 - 3426 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[वि०स०वि०-16/2018]

(झारखण्ड विधान सभा में पुर:स्थापित करने हेतु)

झारखण्ड राज्य में प्रवृत करने हेतु ठेका मजदूर(विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के 69 वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ** :-

(1) इस अधिनियम का नाम ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड में होगा ।

(3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने की तिथि से प्रवृत होगा ।

2. **धारा-1 का संशोधन, 1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37 :-**

ठेका मजदूर(विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37) की धारा-1के उपधारा (4) के वर्तमान प्रावधान को झारखण्ड राज्य में लागू करने के लिए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(4) यह लागू होता है -

(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को जिसमें **पचास** या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को जो **पचास** या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित किए थे;

उद्देश्य एवं हेतु

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-1के उपधारा (4) के खण्ड (क) तथा (ख) में विहित प्रावधान के अनुसार अधिनियम वैसे स्थापन पर लागू होता है जिसमें बीस या इससे अधिक पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित होते हैं। इसी प्रकार, यह अधिनियम वैसे ठेकेदारों पर भी लागू होता है, जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन बीस या अधिक ठेका श्रमिकों को नियोजित किया है ।

उक्त अधिसीमा के कारण प्रधान नियोजक जो सूक्ष्म या लघु उधमियों तथा परोक्ष ठेकेदारों के माध्यम से कर्मियों की सेवा या सामग्री लेते हैं, ठेकों को पूर्ण करने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि छोटे-छोटे इकाईयों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालनमें कठिनाई होती है । ऐसा महसूस किया जा रहा है की कर्मियों की अधिसीमा के कारण वांछित संख्या में कर्मियों का नियोजन बाधित होता है या अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना को प्रश्रय मिलता है ।

इस विधेयक का यही अभीष्ट है । अत: यह विधेयक प्रस्तुत है ।

(राज पलिवार)

भारसाधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 24/2018 - 3429 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2018 |

[वि०स०वि०- 10 /2018]

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।

(1) यह अधिनियम झारखण्ड जल, गैस, ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2018 कहा जाएगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी,

(ख) ''निगम'' से अभिप्रेत है, राज्य अधिनियम के तहत निगमित निकाय एवं इसमें समाहित हैः-

(I) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी,

(ii) भारत के किसी खंड में पूर्व में प्रचलित कंपनी से संबंधित किसी विधि के तहत स्थापित एवं पंजीकृत कंपनी,

(ग) ''कलेक्टर'' से अभिप्रेत है, जिले का उपायुक्त या कोई डिपुटी कलेक्टर, जिसे इस विधेयक के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त है,

(घ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,

3. (1) राज्य सरकार को, जब कभी यह प्रतीत हो कि जल, गैस, ड्रेनेज का वहन का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक पारेषण करने तथा उससे संबंधित संकर्मो के लिए, जनहित में यह आवश्यक है तो राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा पाइप लाइन बिछाई जाय और यह कि पाइप लाइन बिछाए जाने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी भूमि में, जिसमें कि ऐसी पाइप लाइन बिछाई जा सकती हों, भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना आवश्यक है तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण होगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना के सारांश को उस स्थान पर एवं उस रीति से प्रकाशित करवाएगा जैसा कि विहित किया जाय ।

4. (1) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, बिछाए जाने पर आपत्ति कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकत्र्ता को या तो स्वयं या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी कि ऐसा प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आपत्ति को या तो मंजूर कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

5. (1) जहां कि सक्षम प्राधिकारी को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की जाती है या जहां कि सक्षम प्राधिकारी ने उपधारा (2) के अधीन आपर्तियों को नामंजूर कर दिया है, वहां सक्षम प्राधिकारी, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, घोषित करेगा कि पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशित हो जाने पर, उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में, सभी विल्लंगमों से रहित उपयोग के अधिकार पूर्ण रूप से राज्य सरकार में निहित हो जाऐंगे ।

(3) जहां कि किसी भी भूमि के संबंध में धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है, परन्तु इस धारा के अधीन कोई उद्घोषणा अधिूसचना के एक वर्ष के भीतर नहीं प्रकाशित हुई है, तब वह अधिसूचना इस अवधि के बीत जाने के पश्चात् अप्रभावी मानी जायेगी ।

(4) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, ऐसे नियमों तथा शत्र्तों पर, जैसे कि वह उचित समझें, लिखित में आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि पाइप लाइन, बिछाने के लिए समस्त विल्लंगमों से रहित भूमि में उपयोग के अधिकार, घोषणा के प्रकाशन की अवधि अथवा आदेश में अंतर्विष्ट अन्य अवधि से राज्य सरकार में निहित होने के बजाय, इस प्रकार अधिरोपित नियमों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाले, सभी ऋणभार से मुक्त होकर निगम में निहित हो जाएंगे ।

6. (प) जहां कि धारा 5 के अधीन किसी भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या जैसा कि मामला हो निगम में निहित हो गया हो तो राज्य सरकार या जैसा कि मामला हो निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या इसके सेवकों और कर्मकारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह -

(क) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भूमि पर प्रवेश करे तथा सर्वेक्षण करे और उसका तल-मापन करेय

(ख) अवमृदा में खुदाई या बोर करेंय

(ग) संकर्म का आशयित रेखांकन करेंय

(घ) ऐसे तलों, सीमाओं तथा रेखाओं को चिन्ह् लगाकर एवम् खाईयां काटकर चिन्हांकित करेय

(ड.) जहां कि किसी अन्य प्रकार से सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता हो तथा तल-मापन किया जा चुका हो और सीमाएं तथा रेखाएं चिन्हित की जा चुकी हों, खड़ी फसल के किसी भाग को या किसी अन्य फसल को या बाड़ को काटे और रास्ता तैयार करें, और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कृत्य करे कि क्या भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाई जा सकती है:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई सेवक ऐसी भूमि को जहाँ तक संभव हो कम से कम नुकसान या क्षति पहुंचाएगा ।

परन्तु यह और कि कोई पाईप लाइन, नहीं बिछाई जायेगी यदिरू

(क) ऐसी कोई भूमि जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व आवासीय प्रयोजनार्थ व्यवहृत होती हो, या

(ख) ऐसी भूमि जिसपर कोई स्थायी संरचना अधिसूचना की तारीख से पहले से हो,

(ग) कोई भूमि जो आवासीय भवन से संबद्ध हो, या

(घ) कोई भूमि जहाँ सतह से एक मीटर से कम की गहराई हो एवम्

(पप) ऐसी भूमि का उपयोग केवल भूमिगत पाईप लाईन बिछाने तथा ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवत्र्तन या उन्हें हटाने के लिए या किसी अन्य कृत्य के साथ-साथ उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने के लिए या ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के उपयोग के लिए किया जाएगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (प) के द्वितीय परन्तुक के उपखंड (ख) या (ग) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा ।

7. किसी भूमिगत पाइप लाइने बिछाने, उनका संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या हटाने के लिए अथवा उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए माप करने या कोई निरीक्षण करने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने के पश्चात् राज्य सरकार या निगम द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी और भूमि के अधिभोगी का युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, उतने कामगारों और सहयोगियों के साथ जितने कि आवश्यक हों, उसमें प्रवेश कर सकेगा ।

परन्तु जहां वह व्यक्ति संतुष्ट है कि कोई आपात स्थिति विद्यमान है, वहां ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी ।

पंरतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई कामगार या सहायक ऐसी भूमि को जहाँ तक संभव हो अल्प नुकसान या क्षति पहुँचायेगा ।

8. (1) किसी ऐसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिसके संबंध में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, भूमि का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए हकदार होगा जिनके कि लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसचूना की तारीख के ठीक पूर्व उसका उपयोग किया जाता था:

परन्तु ऐसा स्वामी या अधिभोगी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के पश्चात् उस भूमि पर, -

(प) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा य

(पप) किसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन नहीं करेगाय या

(पपप) किसी वृक्ष का रोपण नहीं करेगा ।

(2) भूमि का स्वामी या अधिभोगी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या ऐसा कार्य करने की अनुमति देगा जो भूमिगत पाईप लाईन को किसी भी रीति में कोई नुकसान कारित करता हो या कारित कर सकता हो ।

(3) जहाँ की भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसके संदर्भ में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, उस भूमि पर -

(क) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण करता है, या

(ख) किसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन करता है, या (ग) किसी वृक्ष का रोपण करता है,

कलेक्टर, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आवेदित किए जाने पर एवं इसकी जाँच कराए जाने पर यदि ठीक समझता हो तो ऐसे भवनों, संरचनाओं, जलाशयों, बाँधों अथवा पेड़ो को हटा सकेगा या तालाबो को भर सकेगा तथा हटाये जाने अथवा भरे जाने की लागत राशि स्वामी या अधिभोगी से वसूल कर सकेगा ।

9. (1) जहां धारा 6 या धारा 7 की शक्तियों का प्रयोग करने में भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई नुकसान, हानि या क्षति हुई है, वहां राज्य सरकार या निगम ऐसे व्यक्ति को ऐसे नुकसान, हानि या क्षति के लिए प्रतिकर देने के दायी होंगे जिसकी रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार दर के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

(2) यदि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की राशि किसी पार्टी को मान्य नहीं हो तो वे भूमि या उसके अंश से संबंधित कलेक्टर को आवेदित कर सकेंगे एवं कलेक्टर द्वारा प्रतिकर का विनिश्चय कर दिया जाएगा ।

(3) ऐसे प्रतिकर का उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अवधारण करते समय सक्षम पदाधिकारी या कलेक्टर निम्नलिखित कारणों से होने वाले नुकसान या हानि को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा-

(i) धारा 6 या जैसा कि मामला हो धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भूमि पर से वृक्षों या खड़ी फसलों को हटाना, यदि कोई हों;

(ii) उस भूमि का, जिसके नीचे भूमिगत पाइप लाइन बिछाई गई है, ऐसे व्यक्ति की या उसके अधिभोग में की अन्य भूमियों से अस्थाई पृथक्करण; या

(iii) ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य सम्पत्ती को चाहे वह चल हो या अचल या उपार्जन को किसी अन्य रीति में कारित कोई क्षति.

परन्तु कि धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना की तिथि के पश्चात् उक्त भूमि पर निर्मित कोई संरचना या विकासन को क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

(4) जहां किसी भूमि के उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या निगम में निहित हो गया हो, वहाँ राज्य सरकार या निगम, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई है, भूस्वामी का किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी भूमि किसी भी प्रकार से प्रभावित हुई है, को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख पर उस भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत पर संगणित प्रतिकर देने के दायी होंगे ।

(5) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख पर, उस भूमि का बाजार दर, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आकलित होगा एवं उस प्राधिकार द्वारा निर्धारित यह दर यदि किसी को मान्य नहीं हो तो वे उपधारा (2) के संदर्भ में कलेक्टर को आवेदित कर सकेंगे एवं यह दर कलेक्टर द्वारा विनिश्चय कर दिया जाएगा ।

(6) उपधारा (2) या (5) के अधीन कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा ।

10. (1) धारा 9 के अधीन अवधारित किए गए प्रतिकर की रकम यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में निर्धारित तिथि के भीतर और ऐसी रीति में जमा की जाएगी जैसी कि विहित की जाए ।

(2) यदि प्रतिकर की रकम उपधारा (1) के निर्धारित तिथि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम उस पर उस तारीख से जिसको कि प्रतिकर जमा किया जाना था, उसे वास्तविक रूप से जमा कराए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर 9 प्रतिशत की दर से तथा एक वर्ष बीत जाने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के दायी होंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर जमा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम की ओर से हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर देगा ।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन जमा किए गए प्रतिकर में कई व्यक्तियों की दावेदारी होती हो तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा उन व्यक्तियों का निर्धारण किया जायेगा जो उसकी नजर में प्रतिकर पाने के हकदार होंगे ।

(5) यदि प्रतिकर के प्रभाजन या अतिरिक्त प्रतिकर या उसके किसी भाग के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम पदाधिकारी विवाद को उसकी अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा और उस पर कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा ।

11. कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय व्यवहार न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर होने को विवश करना ताकि शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;

(ड.) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना.

12. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयिक के लिए किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी क्षति, हानि या नुकसान के

लिए राज्य सरकार, निगम या सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी ।

13. इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में कलेक्टर अथवा सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध मामला में किसी भी व्यवहार न्यायलय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा तथा किसी न्यायालय अथवा कोई प्राधिकार इस अधिनियम के आधार पर कृत कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई में कोई निषेधाज्ञा न कर सकेगा ।

14. (1) जो कोई किसी व्यक्ति को धारा 6 या धारा 7 के अधीन प्राधिकृत किन्हीं कार्यों को कार्यान्वित करने में स्वेच्छापूर्वक बाधा पहुंचाता है अथवा धारा 6 के अधीन निर्मित किसी खाई या चिन्ह को स्वेच्छापूर्वक भरता है, नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है या स्थान से हटाता है या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निषिद्ध प्रावधानों के विरूद्ध कोई कार्य करता है, वह साधारण कारावास जो छह महीने की अवधि तक हो सकती है अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा ।

(2) जो कोई भी स्वेच्छापूर्वक धारा 6 के अधीन बिछाई गई भूमिगत पाईप लाईन को हटाता है, नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है, वह कम से कम एक वर्ष के कठोर कारावास जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है एवं जुर्माना दोनों से दंडित होगा ।

15. दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 में किसी भी बात के होते हुए भी धारा 14 की उपधारा (2) के तहत आने वाले अपराध उस संहिता के अर्थों के अधीन संज्ञेय माने जायेंगे ।

16. (1) राज्य सरकार, द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना नियम लागू रहेगा ।

(2) विशेष रूप से एवं बिना किसी भेद-भाव के ये नियम निम्नवत् सभी मामलों अथवा किसी भी मामले में व्यवस्था देंगे -

(क) धारा-3 की उपधारा (3) के तहत् अधिसूचना का सारांश, प्रकाशित किये जाने का स्थान एवं रीति।

(ख) धारा-10 की उपधारा (1) के अधीन जमा क्षतिपूरक राशि की समयावधि,

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम कम से कम एक माह की अवधि के लिए विधान सभा के पटल पर रखे जाऐंगे एवं ऐसे उपांतरणों या संशोधनों के अध्यधीन होंगे जो विधान सभा द्वारा चालू सत्र में किए जाएं या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किऐ जाऐं,

(4) विधान सभा द्वारा किए गए ऐसे उपांतरण अथवा संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होंगे, तत्पश्चात् वे प्रभावी होंगे ।

17. इस अधिनियम के प्रावधान भूमि अर्जन के मामले में, प्रवृत अन्य कानूनों के अनुवृद्धि में होंगे, अल्पीकरण में नहीं ।

उद्देश्य एवं हेतु

जल पाईपलाईन को जमीन के भीतर खेतों से गुजारने के लिए कृषकों के जमीनों को अस्थायी तौर पर उपयोग हेतु, झारखण्ड जल, गैस और डेªनेज पाईपलाईन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश सं॰-04, 2018) पूर्व से प्रख्यापित है । इसे चालू विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पारित किया जाना आवश्यक है ताकि यह पूरे राज्य के लिए अधिनियम का रूप ले सके ।

(चन्द्र प्रकाश चौधरी)

भार-साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 12/2018 - 3432 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

[वि०स०वि०-12/2018]

ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) बिधेयक, 2012 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

(i) यह अधिनियम ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

अध्याय-2

ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 का संशोधन-

2. ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा -6 की उपधारा- (2) का संशोधन-

धारा-6 की उपधारा-(2) के वर्तमान प्रावधान- “प्रशासन मंडल की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य किसी संस्था को संबद्ध कर सकता है” को विलोपित किया जाता है ।

उद्देश्य एवं हेतु

विश्वविद्यालय अनुदान योग के द्वारा निजी अवाम डीम्ड विश्वविद्यालयों के संबद्ध में लिए गए निर्णय के द्वारा उन्हें महाविद्यालयों या किन्हीं अन्य संस्थाओं को संबद्ध देने का अधिकार नहीं है, के अलोक में यह जरुरी है की वर्त्तमान प्रावधान को विलोपित किया जाय ।

अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है की ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में संशोधन के लिए अधिनियम गठित किया जाय ।

अतः यह विधेयक

(डॉ नीरा यादव)
भार साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या- वि०स०वि०- 18/2018 - 3435 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

झारखण्ड श्रम विधियाँ(संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विधेयक, २०१८.

[वि०स०वि०-15/2018]

विषय-सूची

धाराएँ

भाग-एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ,

भाग-दो

२. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९९६, का संशोधन

भाग-तीन

३. ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०, का संशोधन

भाग-चार

४. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९ का संशोधन

भाग-पाँच

५. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१, का संशोधन

भाग-छः

६. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्ते) अधिनियम, १९६६, का संशोधन

भाग-सात

७. कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन तथा झारखण्ड राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन

भाग-आठ

८. विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ प्रस्तुत किए जाने से छूट:- झारखण्ड राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ प्रस्तुत किए जाने से छूट

भाग-नौ

विविध उपबंध

९. नियम बनाने की शक्ति

१०. कठिनाईयों का दूर किया जाना,

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

झारखण्ड श्रम विधियाँ(संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विधेयक, २०१८.

(झारखण्ड राज्य में निम्नलिखित श्रम विधियों को संशोधित करने हेतु एक विधेयक)।

(१) बीड़ी एवं सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्ते) अधिनियम, १९६६

(२) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९९६

(३) ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०

(४) औद्योगिक विवादअधिनियम, १९४७

(५) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६

(६) श्रम विधि(विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थानों को छूट) अधिनियम, १९८८

(७) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१

(८) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८

(९) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१

(१०) बोनस संदाय अधिनियम, १९६५

(११) उपदान संदाय अधिनियम, १९७२

(१२) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६

(१३) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६

(१४) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी(सेवा की शर्ते) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५५

(१५) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९

(१६) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

(१७) विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी(सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६

भारत गणराज्य के ६८ वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:-

भाग-एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ,

(i) यह विधेयक झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, २०१८ कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा ।

भाग-दो

(२) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९९६, का संशोधन

(१) मूल अधिनियम की धारा-७ में उपधारा (३) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतर्स्थापित की जाएगी, अथार्त:-

"(३)(क) -यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, तो सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकरण कर दिया समझा जायेगा।"

भाग-तीन

(३) ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०, का संशोधन

(१) मूल अधिनियम में धारा ७ की उपधारा (२) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतर्स्थापित की जायेगी, अर्थात:-

"(३) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदन प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने या उससे इंकार करने या मंजूर करने में आक्षेप करने या संशोधन करने का आदेश पारित करने में असफल रहता है, तो ऐसा स्थापन, जिसके संबंध में ऐसा आवेदन किया गया है, सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जायेगा ।"

(२)धारा-१३ की उपधारा(३) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"(४) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, उस स्थापन के संबंध में, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, यदि अनुज्ञापन अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति देने या उससे इंकार करने या मंजूर करने में या आक्षेप करने या उसे नवीकृत करने या संशोधित करने का कोई आदेश देने में असफल रहता है, तो ठेकेदार को सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति दे दी गयी समझी जायेगी।"

भाग-चार

(४) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९ का संशोधन

(१) मूल अधिनियम की धारा-४ में उपधारा (३) में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

" परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से ऐसी कालावधि जैसा कि विहित किया जाय के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब रजिस्ट्रीकरण सम्यक रूप से कर दिया गया समझा जायेगा ।

भाग-पाँच

(५) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१. का संशोधन

(१) मूल अधिनियम में धारा-३ में उपधारा (२) में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जायेगा तथा उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

" परन्तु यदि विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से, ऐसी कालावधि जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण सम्यक रूप से कर दिया समझा जायेगा ।

भाग-छ:

(६) बीड़ी एवं सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्ते) अधिनियम, १९६६ का संशोधन

(१) मूल अधिनियम में धारा ४ में उपधारा(८) के उपरान्त निम्नलिखित उपधारा अंतर्स्थापित की जायेगी, अर्थात:-

(९) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी, आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से ऐसी कालावधि, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर अनुज्ञप्ति देने या उससे इंकार करने या मंजूर करने,आक्षेप करने या कोई आदेश देने में असफल रहता है तो सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति दे दी गयी समझी जायेगी ।

भाग-सात

(७) कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन तथा झारखण्ड राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन,

(१) निम्नलिखित अधिनियमों अर्थात :-

(१)बीड़ी एवं सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्ते) अधिनियम, १९६६

(२) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९९६

(२) ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०

(३) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७

(४) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६

(५) श्रम विधि(विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थानों को छूट) अधिनियम, १९८८

(६) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१

(७) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८

(८) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१

(९) बोनस संदाय अधिनियम, १९६५

(१०) उपदान संदाय अधिनियम, १९७२

(११) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६

(१२) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६

(१३) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी(सेवा की शर्तें) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५५

(१४) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९

(१५) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

(१६) विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी(सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६

में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(क)इन अधिनियमों के अधीन कारित किये गये या पूर्व में कारित केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध का, यदि कोई हो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात जुर्माने की अधिकतम राशि से अनधिक किन्तु अपराध के लिये अधिकतम जुर्माने के आधे से अन्यून प्रशमन शुल्क की ऐसी राशि वसूल कर के जैसे की वह उचित समझे, प्रशमन कर सकेगा, अथवा,

(ख)इन अधिनियमों के अंतर्गत कारित किये गए जुर्माने तथा दो वर्ष के कारावास तक से दण्डनीय अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात, एक माह तक के कारावास के लिये न्यूनतम रूपये १०,००० के अध्ययीन रहते हुये अधिकतम जुर्माने की १० गुणा के बराबर राशि, दो माह तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये रूपये २०,०००, तीन माह तक के लिये कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये रूपये ३०,०००, ६ माह तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये रूपये ६०,०००, एक वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के

लिये रूपये १,००००० तथा दो वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये रूपये २००००० की वसूली कर प्रशमन कर सकेगा ।

(२) अपराध का प्रशमन किया जा सकेगा जबकि,

(१) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व, इस प्रकार का प्रशमन हो जाने पर अपराधी अभियोजन का भागी नहीं होगा यदि वह अभिरक्षा में है तो मुक्त कर दिया जायेगा ।

(२) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात इस प्रकार का प्रशमन हो जाने पर प्रशमन के परिणाम स्वरूप अपराधी उन्मोचित हो जायेगा ।

भाग-आठ

८. विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ प्रस्तुत किए जाने से छूट:-

निम्नलिखित अधिनियमों अर्थात :-

(१) ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०

(२) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

(३) कारख़ाना अधिनियम, १९४८

(४) औधोगिक विवाद अधिनियम, १९४७

(५) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९

(६) श्रम विधि(विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थानों को छूट) अधिनियम, १९८८

(७) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१

(८) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८

(९) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१

(१०) बोनस संदाय अधिनियम, १९६५

(११) उपदान संदाय अधिनियम, १९७२

(१२) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६

(१३) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६

राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उक्त अधिनयमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विहित प्रारूपों के बदले में किसी नियोक्ता अथवा स्थापना द्वारा पंजियाँ तथा अभिलेख संधारित करने और विवरणियाँ प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप बना सकेगी अथवा अधिसूचित कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार, कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजिटल फार्मेट में पंजियाँ और अभिलेख संधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

भाग-नौ

प्रकीर्ण उपबंध

९. (१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, रहते हुए इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से नियम बना सकेगी,

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात यथा शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे ।

१०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उदभूत होती है तो राज्य सरकार, कठिनाइयों को दूर राजपत्र में प्रकाशित संधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों,

(२)उपधारा(१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा ।

उद्देश्य एवं अभीष्ट

व्यापार में सुगम्यता एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पोषणीय पंजियों/विवरणियों/प्रपत्रों के मानकीकरण एवं इसको कम्प्यूटरीकृत अभिलेख के रूप में पोषित करने की व्यवस्था बनाये जाने की अवश्यकता है । कई श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले निबंधन प्रमाण पत्र/ अनुज्ञप्ति को बनाने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाये जाने की अवश्यकता है । साथ ही कतिपय श्रम अधिनियमों के अधीन विहित दण्ड के प्रशमन तथा विचारण का उपशमन किया जाना प्रासंगिक है ।

उपर्युक्त अभीष्ट के निमित यह विधेयक प्रस्तुत है ।

(राज पलिवार)

भारसाधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 22/2018 - 3438 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2018

[वि०स०वि०-08/2018]

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को जोड़ा जाना

बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2018

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखंड राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में कतिपय राजकीय प्रयोजनार्थ उर्दू, संथाली, बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, तथा उड़िया भाषा के अतिरिक्त मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका भाषा को द्वितीय राजभाषा की मान्यता देने के लिये अंगीकृत बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 को संशोधित करने हेतु विधेयक ।

भारत राज्य के 69वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

(1) यह अधिनियम बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) में अन्य द्वितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को जोड़ा जाना है-

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3(क) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जायेगी-

"अन्य द्वितीय राजभाषा: राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिये राज्य के भाषा-भाषियों के हित में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ द्वितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया के अतिरिक्त प्रयोग की जायेगी ।"

उद्देश्य एवं हेतु

झारखंड राज्य भाषायी दृष्टिकोण से विविध भाषा-भाषी प्रदेश है । राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं द्वारा होती है । राज्य की सामासिक समरसता और राज्य की भाषाओं के बहुमुखी विकास हेतु सरकार कृतसंकल्पित है । इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कुल 12 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है ।

झारखंड राज्य में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका भाषाओं से जुड़ी जनभावना तथा इनकी समृद्ध विरासत को ध्यान में रखते हुए इन्हें झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित करते हुए इनके विकसित होने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित है ।

भारसाधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 17/2018 - 3441 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

[वि०स०वि०-14/2018]

(झारखण्ड विधानसभा में पुर:स्थापन हेतु)

झारखण्ड राज्य में औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 में संशोधन हेतु एक संशोधन विधेयक ।

भारत गणराज्य के 69 वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** :-

(i) यह विधेयक औद्योगिक विवाद अधिनियम (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा ।

2. **धारा-2 का संशोधन केन्द्रीय अधिनियम, 1947 का 14 वाँ :-**

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा-2 क की उपधारा-(3) - के प्रथम परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की उपरोक्त धारा-2 क की उपधारा-(3) - के प्रथम परन्तुक में 'तीन वर्ष' को 'तीन माह' से प्रतिस्थापित किया जायेगा । "

उद्देश्य एवं हेतु

कामगारों की पदच्युति, छंटनी इत्यादि के मामले में अभी तीन वर्ष की अवधि तक श्रम न्यायालय या अभिकरण के समक्ष विवाद उठाने का प्रावधान है । फलत: कामगारों द्वारा महीनों तथा कभी-कभी वर्षों के उपरांत विवाद उठाये जाते हैं जिससे लम्बी अवधि तक मामलों का निपटारा नहीं होता है एवं औद्योगिक संबंध प्रभावित होता है । इस प्रवृति को रोकने के लिए ऐसे मामलों में विवाद उठाने की समय-सीमा को कम करना अनिवार्य हो गया है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में विवाद उठाने की समय-सीमा को तीन वर्ष के स्थान पर तीन माह किया जाना है। यही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(राज पलिवार)
भारसाधक मंत्री

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 24/2018 - 3444 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018

[वि०स०वि०-09/2018]

विषय- सूची

उद्देशिका

धारा

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि ।
4. कल्याण निधि समिति का गठन ।
5. समिति के नामनिर्देशित सदस्यों की निरर्हता एवं हटाना ।
6. समिति के नामनिर्देशित सदस्य द्वारा त्याग पत्र देना तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना ।
7. समिति का कोई कार्य त्रुटि, रिक्ति आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होना ।
8. निधि का निवेश एवं उपयोजन करना ।
9. समिति के कृत्य ।
10. उधार लेना तथा निधि का निवेश करना ।
11. सचिव की शक्ति और कर्तव्य ।
12. झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि की मुहर ।
13. अधिवक्ता लिपिक संघ की मान्यता एवं निबंधन ।
14. अधिवक्ता लिपिक संघ के कर्तव्य ।
15. निधि की सदस्यता ।
16. नियोजन समाप्त होने पर निधि से भुगतान ।
17. निधि के सदस्यों के हित में अन्यसंक्रामण, जब्ती आदि पर पाबन्दी ।
18. सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य लाभ ।
19. समिति की बैठक ।
20. समिति के सदस्यों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता ।
21. पुनर्विलोकन ।
22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
23. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।
24. साक्षियों को सम्मन देने और साक्ष्य लेने की शक्ति ।
25. नियम बनाने की शक्ति ।

झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018

उद्देशिका :-

चूँकि झारखण्ड राज्य में अधिवक्ता लिपिकों के सेवांत एवं अन्य लाभों के भुगतान और इनसे सम्बंधित या अनुषंगिक मामलों के लिए कल्याण निधि के गठन का उपबंध करना समीचीन हो गया है ;

इसलिए यह झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा भारत-गणतंत्र के उनहत्तरवे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत कर इस निमित नियत तिथि से प्रवृत होगा ।

2. परिभाषाएँ :-

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अधिनियम में :-

(क) 'अधिवक्ता' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जिसका नाम भारतीय विधिज्ञ परिसद नियमावली, 1975 तथा समय-समय पर संशोधित सुसंगत उपबंधों के साथ सहपथित अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार एवं अनुरक्षित राज्य अधिवक्ता नामावली में नामांकित हो;

(ख) 'अधिवक्ता लिपिक' से अभिप्रेत है किसी अधिवक्ता द्वारा नियोजित और यथा विहित प्राधिकार एवं रीती से मान्यता प्राप्त कोई लिपिक जो अधिवक्ता लिपित संघ का सदस्य हो ।

(ग) 'अधिवक्ता लिपिक संघ' से अभिप्रेत है धारा - 13 के अधीन मान्यता प्राप्त एवं निबंधित अधिवक्ता लिपिक संघ;

(घ) 'अधिवक्ता संघ' से अभिप्रेत है अधिवक्ता/विधिज्ञ/वकील का संघ जो राज्य विधिज्ञ विधिज्ञ परिषद् से मान्यता प्राप्त/ संबद्ध हो;

(ङ) 'विधिज्ञ परिषद्' से अधिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् ;

(च) 'नियोजन का समापन' से अभिप्रेत है समिति द्वारा अनुरक्षित राज्य नामावली से अधिवक्ता लिपिक की सेवानिवृत्ति के चलते नाम हटाना ;

(छ) 'समिति' से अभिप्रेत है धारा- 4 के अधीन गठित झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति ;

(ज) 'आश्रित' से अभिप्रेत है झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि के सदस्य की पत्नी, पति, पिता, माता एवं अविवाहित नाबालिग बच्चा अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चें ;

(झ) 'निधि' से अभिप्रेत है धारा - 3 के अधीन गठित झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि ;

(ञ) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार ;

(ट) 'निधि के सदस्य' से अभिप्रेत है ऐसा कोई अधिवक्ता लिपिक जिसे निधि से लाभ स्वीकृत किया गया है तथा वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसका सदस्य बना रहे ;

(ठ) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना तथा 'अधिसूचित' शब्द तदनुसार माना जाएगा ;

(ड) तदनुसार 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित ;

(ढ) 'सेवानिवृत्ति' से अभिप्रेत है सेवा या किसी अन्य लाभप्रद पेशा में योगदान करने से भिन्न किसी कारण के चलते अधिवक्ता लिपिक के रूप में नियोजन की समाप्ति, जिसे विहित रीति से लिखित रूप में संसूचित किया गया हो ;

(ण) 'सचिव' से अभिप्रेत है समिति का सचिव ;

(त) 'मुहर' से अभिप्रेत है धारा- 12 के अधीन मुद्रित एवं वितरित, झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि की मुहर ; और

(थ) 'वकालतनामा' से अभिप्रेत वकालतनामा तथा इसमें शामिल है हाजिरी का ज्ञापन या कोई अन्य कागजात जिसके द्वारा कोई अधिवक्ता किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होने या अभिवचन करने के लिए सशक्त बनता है । किन्तु राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के पदाधिकारी के निमित भरा गया हाजिरी ज्ञापन इसमें सम्मिलित नहीं होगा ।

3. अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि

1. सरकार अधिसूचना द्वारा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी ।

2. निधि में निम्नलिखित रकम जमा की जाएगी :-

(क) धारा- 12 के अधीन टिकटों (स्टाम्प) की बिक्री से प्राप्त सभी रकम ;

(ख) विधिज्ञ परिषद्, कोई विधिज्ञ संघ, कोई अन्य संघ या संस्था, कोई अधिवक्ता या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया गया दान अथवा निधि सृजन के लिए दिये गये अंशदान से प्राप्त रकम ;

(ग) धारा- 10 के अधीन उधार ली गयी कोई रकम;

(घ) निधि के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात समूह बीमा नीति के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य बीमा कम्पनी से प्राप्त सभी रकम ;

(ड़) निधि के सदस्यों के समूह बीमा नीति से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम या कोई अन्य बीमा कम्पनी से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश ;

(च) निधि के किसी अंश के किए गए निवेश पर प्राप्त कोई लाभांश का ब्याज या अन्य लाभ ; और

(छ) धारा- 15 के अधीन एकत्र की गयी सभी रकम ।

4. कल्याण निधि समिति का गठन:-

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति नाम का एक समिति का गठन करेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगी ।

(2) समिति एक निगमित निकाय होगी जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार तथा सम्पत्ति के अर्जन, रखने एवं निपटान की शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर(सील) होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकती है या उस पर वाद चलाया जा सकता है ।

(3) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) विधिज्ञ परिषद् का अधयक्ष ;

(ख) सरकार का प्रधान सचिव, विधि विभाग ;

(ग) सरकार का प्रधान सचिव, गृह विभाग ;

(घ) सरकार का प्रधान सचिव, वित्त विभाग ;

(ड़) झारखण्ड उच्च न्यायालय का महानिबंधक ;

(च) यथाविहित प्राधिकार एवं रीति से अधिवक्ता लिपिकों में से नाम निर्देशित तीन सदस्य, जिन में से एक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनित किया जाएगा ; और

(छ) सचिव की भर्ती एवं सेवा शर्तो के सम्बन्ध में समिति द्वारा बनाए गए विनियम के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने वाला सचिव ;

परन्तु इस प्रकार नियुक्त सचिव के पास समिति की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(4) विधिज्ञ परषिद् का अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(5) सरकार के प्रधान सचिव, विधि विभाग, सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग, सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग और झारखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबंधक समिति के पदेन सदस्य होंगे ।

(6) सरकार के प्रधान सचिव, विधि विभाग, सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग, सराकर के प्रधान सचिव, वित्त विभाग यदि किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वे अपने अपने विभाग से उप सचिव स्तर से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं ।

(7) यदि झारखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबंधक किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वे उप निबंधक स्तर से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं ।

(8) उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक अथवा अधिवक्ता लिपिक संघ के सदस्य रहने तक, जो भी पहले हो पद धारण करेगा ।

(9) सचिव को निधि से यथा विहित रीति से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा ।

5. समिति के नाम निर्देशित सदस्यों की निरर्हता एवं हटाना:-

1. धारा- 4 की उप-धारा- (3) के खंड- (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य समिति की सदस्यता से निरर्हित हो जाएगा तथा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि वह-

(क) विक्षिप्त हो जाए ; या

(ख) न्याय निर्णीत दिवलिया घोषित हो, या

(ग) समिति की अनुमति के बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें; परन्तु इस खंड के अधीन सदस्यता समाप्त सदस्य की सदस्यता को समिति द्वारा प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यदि वह सदस्य अनुपस्थिति माफ़ करने के लिए आवेदन करता है; या

(घ) निधि का ब्यतिक्रमी है (यदि वह निधि का सदस्य है) या उसने विश्वास भंग किया है ; या

(ड़) चरित्रहीन आचरण के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो, जबतक कि ऐसे सिद्धदोष को अपास्त न किया जाए ।

2. सरकार किसी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जो उप धारा- (1) के अधीन समिति की सदस्यता से निरर्हित हों या हो गए हों ।

परन्तु किसी सदस्य को हटाए जाने का आदेश तबतक पारित नहीं किया जाएगा जबतक कि सदस्य को सुने जाने का अवसर न दिया गया हो ।

6. समिति के नाम निर्देशित सदस्य द्वारा त्याग पत्र देना तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना-

(1). धारा- 4 की उप-धारा- (3) के खंड (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य समिति के अध्यक्ष को तीन माह की लिखित सूचना देते हुए अपना पद त्याग कर सकता है और जब उक्त अध्यक्ष द्वारा उसका त्याग पत्र स्वीकृत हो जाता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा ।

(2) उप-धारा- (1) में निर्दिष्ट सदस्य की कोई आकस्मिक रिक्ति यथा संभव शीघ्र भरी जाएगी और ऐसी रिक्ति के विरूद्ध नाम निर्देशित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

7- समिति का कोई कार्य त्रुटि रिक्ति आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होगा :&

इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम के अधीन समिति द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगे:-

(क) समिति के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि ; या

(ख.) सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन में कोई त्रुटि या अनियमितता ; या

(ग.) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई त्रुटि या अनियमितता के मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करेगी ।

8- निधि का निहित होना एवं उपयोजन:-

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं उपबंधो के अध्यधीन निधि समिति में निहित होगी एवं उसके द्वारा उसका धारण एवं उपयोजन किया जाएगा ।

9- समिति के कृत्य:-

(1) समिति का कृत्य निधि का संचालन करना होगा ;

(2) समिति द्वारा निधि का संचालन इस अधिनियम एवं एतद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा:-

(क) निधि की रकम एवं परिसम्पतियों को रखना ;

(ख) निधि में नामांकन या पुनर्नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त करना तथा प्रात्ति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर आवेदन का निष्पादन करना ;

(ग) यथास्थिति, निधि के सदस्यों उनके मनोनीतों या विधिक प्रतिनिधियों से निधि से भुगतान के लिए आवेदन प्राप्त करना;

(घ) आवेदनों के निष्पादन हेतु यथावश्यक जाँच-पड़ताल कराना तथा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पाँच माह के भीतर उसका निष्पादन करना ;

(ड़) आवेदनों पर समिति के निर्णय की कार्यवृत्तपुस्तिका का रख-रखाव ;

(च) अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर आवेदकों को रकम का भुगतान करना ;

(छ) यथाविहित लेखा एवं पुस्तिका का संधारण तथा पत्रिका और वार्षिक प्रतिवेदन विधिज्ञ परिषद् को भेजना ;

(ज) निधि में नामांकन या पुनर्नामांकन अथवा निधि के लाभ के दावा हेतु आवेदनों से संबंधित समिति के निर्णय को आवेदकों के पास डाक प्रमाणन के जरिए संसूचित करना ; और

(झ) इस अधिनियम एवं एतद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथापेक्षित कार्य करना जिसमें समिति के कार्यालय हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का प्रावधान करना भी शामिल है ।

10. उधार लेना तथा निधि से निवेश करना:-

(1) समिति विधिज्ञ परिषद्की पूर्वानुमति से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समय-समय पर अपेक्षित कोई रकम उधार ले सकती है ।

(2) समिति निधि के भाग रूप सभी राशि एवं प्राप्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी अथवा

केन्द्र या राज्य सरकार स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम को ऋण देने में अथवा सरकार के पूर्वानुमोदन से विधिज्ञ परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा निदेशित रीति से निवेश करेगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बकाया एवं भुगतेय सभी रकम और निधि के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित सभी व्यय का भुगतान निधि से किया जाएगा ।

(4) समिति द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकांउटेन्ट समिति के सभी लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा करेंगे ।

(5) समिति लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित सभी लेखा तथा उनके लेखा प्रतिवेदन को विधिज्ञ परिषद् को अग्रसारित करेगी तथा विधिज्ञ परिषद् समिति को ऐसा निदेश देगी जो वह उपयुक्त समझे ।

(6) समिति उप-धारा- (2) के अधीन विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्गत निदेशों को अनुपालन करेगी ।

11. **सचिव की शक्ति और कर्तव्य:-**

(क) वह समिति का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी तथा समिति के निर्णयों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा ;

(ख) समिति की ओर से चलाए गए सभी वाद एवं कार्यवाही में उसका प्रतिनिधि होगा ;

(ग) वह अपने हस्ताक्षर द्वारा समिति के सभी निर्णय एवं अनुदेश का प्रमाणन करेगा ;

(घ) वह कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से समिति के सभी बैंक खातों का प्रचालन करेगा ;

(ड़) समिति की बैठक का आयोजन तथा उसकी कार्यवृत्त तैयार करेगा ;

(च) समिति की सभा बैठक में सभी आवश्यक अभिलेख एवं सूचना के साथ उपस्थित रहेगा ;

(छ) समय-समय पर यथा विहित फारम, पंजी एवं अन्य अभिलेख का संधारण तथा समिति से संबंधित सभी पत्राचार करेगा ;

(ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति द्वारा किए गए कार्य-संव्यवहार की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा ;

(झ) समिति द्वारा यथा निदेशित कार्य करेगा ।

12. **झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि की मुहर:-**

(1) विधिज्ञ परिषद् द्वारा यथा विहित फारम तथा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि लिखा हुआ मुहर यथा विहित रीति से मुद्रित किया या करवाया जाएगा, प्रत्येक का मूल्य पाँच रू० होगा ।

(2) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल हर वकालतनामा या हाजिरी ज्ञापन पर न्यायालय शुल्क स्टाम्प यदि कोई हो एवं किसी अन्य अधिनियम के अधीन चिपकाए

गए स्टाम्पों के अतिरिकत उप-धारा- (1) में यथा विनिर्दिष्ट स्टाम्प चिपकाया जाएगा तथा जबतक कि ऐसा स्टाम्प नहीं चिपकाया गया हो तबतक कोई वकालतनामा या हाजिरी ज्ञापन विधिमान्य नहीं होगा ;

परन्तु केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से दाखिल किसी वकालतनामा या हाजिरी ज्ञापन के लिए यह उप-धारा लागू नहीं होगी ।

(3) ऐसा स्टाम्प सहित वकालतनामा प्राप्त करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से उस स्टाम्प को पंच करते हुए रद्द कर देगा ।

(4) इस धारा के अधीन मुद्रित स्टाम्पों को विधिज्ञ परिषद् की अभिरक्षा में रखा जाएगा तथा स्टाम्पों की आपूर्ति एवं बिक्री यथा विहित रीति से की जाएगी ।

13- अधिवक्ता लिपिक संघ की मान्यता एवं निबंधन:-

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात गठित अधिवक्ता लिपिक संघ अपने गठन के दो माह के भीतर तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व गठित अधिवक्ता लिपिक संघ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो माह के भीतर इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता लिपिक संघ के रूप में मान्यता प्रदान एवं निबंधन करने हेतु यथा विहित फारम में एवं रीति से समिति के पास आवेदन करेगा ।

(2) मान्यता एवं निबंधन हेतु हर आवेदन के साथ संघ की नियमावली या उप-विधि, पदधारियों के नाम एवं पता तथा संघ के सदस्यों के नाम, पता, उम्र एवं नियोजन-स्थल सहित अद्यतन सूची संलग्न रहेगी ।

(3) समिति यथावश्यक जाँच-पड़ताल करने के पश्चात अधिवक्ता लिपिक संघ के रूप में संघ को मान्यता प्रदान करेगी तथा यथाविहित फारम में मान्यता एवं निबंधन का प्रमाण पत्र निर्गत करेगी ।

(4) संघ की मान्यता एवं निबंधन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

14- अधिवक्ता लिपिक संघ के कर्त्तव्य :-

(1) हर अधिवक्ता लिपिक संघ प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रैल के पूर्व उस वर्ष 31 मार्च तक बने अपने सदस्यों की सूची संसूचित करेगा ।

(2) हर अधिवक्ता लिपिक संघ समिति को संसूचित करेगा -

(क) अधिवक्ता लिपिक संघ के पदधारियों में कोई परिवर्तन होने पर परिवर्तन होने से पन्द्रह दिनों के भीतर ;

(ख) नामांकन एवं पुनर्नामांकन सहित सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन होने पर परिवर्तन से तीस दिनों के भीतर ;

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु या सेवा निवृत्ति होने पर 30 दिनों के भीतर ;

(घ) समिति द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित अन्य मामले ।

15- निधि की सदस्यता :-

(1) राज्य का हरेक अधिवक्ता लिपिक निधि के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु यथा विहित फारम एवं रीति से समिति को आवेदन करेगा ।

(2) समिति उप-धारा-(1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की इस प्रकार जाँच-पड़ताल करेगी जो वह उपयुक्त समझे तथा या तो निधि हेतु आवेदक का नामांकन करेगी या कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को नामंजूर करेगी ।

परन्तु आवेदन को नामंजूर करने का आदेश तबतक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दिया जाए ।

(3) हर आवेदक समिति के लेखा के लिए आवेदन के साथ एक सौ रूपये का आवेदन शुल्क भुगतान करेगा ।

(4) हर आवेदक निधि में नामांकन या पुनर्नामांकन के समय एक सौ रूपये नामांकन शुल्क का भुगतान करेगा ।

(5) निधि के सदस्य के रूप में नामांकित हर व्यक्ति 2000/- रू० सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगा, जो दो अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतेय होगा ।

(6) निधि का प्रत्येक सदस्य नामांकन के समय अपने परिवार से एक या अधिक आश्रितों को मनोनीत कर सकता है जो उसकी मृत्यु की दशा में रकम प्राप्त करेगा ;

परन्तु यदि उसका कोई परिवार नहीं हो तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है जिसे वह पसंद करता है ।

(7) यदि एक से अधिक व्यक्ति मनोनीत हैं तो प्रत्येक नामिती को भुगतेय हिस्सेदारी की रकम मनोनयन में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(8) निधि का कोई सदस्य नये मनोनयन के साथ-साथ समिति को लिखित सूचना भेजकर किसी भी समय मनोनयन रद्द कर सकता है ।

(9) किसी सेवा से सेवानिवृत्त और पेंशन पाने वाला कोई व्यक्ति निधि की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा ।

(10) शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा समिति को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई अधिवक्ता लिपिक दुर्व्यपदेशन, कपट या अनुचित प्रभाव के चलते निधि के सदस्य के रूप में नामांकन करा लिया है तो समिति के पास ऐसे अधिवक्ता लिपिक को निधि की सदस्यता से नाम हटाने का अधिकार होगा ;

परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, के विरूद्ध ऐसा आदेश तबतक पारित नहीं किया जाएगा जबतक कि उसे सुने जाने का अवसर न प्रदान किया गया हो ।

16- नियोजन समाप्त होने पर निधि से भुगतान :-

(1) निधि का कोई सदस्य नियोजन की समाप्ति के पश्चात अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर निधि से रकम प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में नामिती को या जहाँ नामिती नहीं हों वहाँ उसके आश्रित को पचास हजार रूपये की समेकित रकम का भुगतान किया जाएगा ।

(3) निधि का कोई सदस्य निधि की सदस्यता के रूप में अपने नामांकन के पाँच वर्षों के पश्चात किसी भी समय अपनी सदस्यता वापस ले सकेगा तथा ऐसी सदस्यता वापस लेने पर वह अनुसूची से विनिर्दिष्ट दर पर निधि से रकम प्राप्त करने का हकदार होगा और वह नए सदस्य के रूप में निधि में नामांकन के लिए यथा विहित शर्तों के अध्यधीन पात्र भी होगा ;

परन्तु स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त कोई सदस्य निधि में अपने नामांकन के पाँच वर्षों के भीतर भी अपनी सदस्यता वापस ले सकता है ।

(4) इस अधिनियम के अधीन भुगतान के प्रयोजनार्थ नियोजन- अवधि की गणना के लिए निधि में सदस्य के नामांकन के पूर्व किसी अधिवक्ता के अधीन नियोजन का हर चार वर्ष, यदि कोई हो, नियोजन का एक वर्ष के रूप में संगणित किया जाएगा तथा ऐसे नामांकन के पश्चात नियोजन के वर्षों की संख्या में इसे जोड़ दिया जाएगा ।

(5) निधि से भुगतान के लिए समिति के पास कोई आवेदन यथा विहित फारम में किया जाएगा ।

(6) उप-धारा-(5) के अधीन प्राप्त आवेदन का निपटान समिति द्वारा यथावश्यक जाँच पड़ताल के पश्चात किया जाएगा ।

17- निधि के सदस्यों के हित में अन्य संक्रामण, जब्ती आदि पर पाबंदी :-

(1) निधि से कोई रकम प्राप्त करने के लिए निधि के सदस्य या उसके नामिती या विधिक उत्तराधिकारी के हित या अधिकार का समनुदेशन, अन्यसंक्रामण या प्रभार्य नहीं किया जाएगा तथा न किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार की डिक्री या आदेश के अधीन जब्त किया जाएगा ।

(2) कोई जमाकर्ता निधि या उसमें निधि के किसी सदस्य या उसके नामिती या विधिक उत्तराधिकारी के हित के विरूद्ध कार्यवाही चलाने का हकदार नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ जमाकर्ता में राज्य या कोई शासकीय समनुदेशिती या तत्समय प्रवृत्त दिवालियापन से संबंधित विधि के अधीन नियुक्त शासकीय रिसीवर शामिल है ।

18- सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य लाभ :-

(क) निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए समिति भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कम्पनियों से निधि के सदस्यों के जीवन पर समूह बीमा की पॉलिसी लेगी ; और

(ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए यथा विहित चिकित्सीय एवं शैक्षणिक सुविधा तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी ।

19- समिति की बैठक :-

(1) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम के अधीन अपने कार्य सम्व्यवहार के लिए समिति तीन माह में कम-से-कम एक बार या अवश्यक होने पर उससे अधिक बैठक करेगी ।

(2) समिति की बैठक की गणपूर्ति उसके पाँच सदस्यों से पूरी होगी ।

(3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(4) समिति की बैठक के समक्ष लाये गये किसी मामले पर बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत पड़ने की दशा में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

20- समिति के सदस्यों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता :-

समिति के मनोनीत सदस्य यथा विहित परिवहन एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

21- पुनर्विलोकन :-

समिति किसी भी समय स्वप्रेरणा या किसी हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर अपने द्वारा पारित किसी आदेश का नब्बे दिनों के भीतर पुनर्विलोकन कर सकती है;

परन्तु समिति किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव वाला कोई आदेश तबतक पारित नहीं करेगी जबतक कि ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर न दिया गया हो ।

22- सद्भाव पूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण :-

(1) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए किसी नियम के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक की गयी या की जाने से आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद] अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए किसी नियम के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक की गयी या की जाने से आशयित किसी बात से हुई क्षति या क्षति की संभावना के लिए समिति या विधिज्ञ परिषद् के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

23- सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन :-

किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न या मामले को परिनिर्धारित, विनिश्चित या अवधारित करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनको इस अधिनियम के अधीन परिनिर्धारित, विनिश्चित या कार्रवाई करना या अवधारित करना अपेक्षित है ।

24- साक्षियों को सम्मन देने और साक्ष्य लेने की शक्ति :-

इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच-पड़ताल के प्रयोजनार्थ समिति को वही शक्ति होगी जो निम्नलिखित मामले के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित है -

क. किसी व्यक्ति को हाजिर कराना तथा शपथ पत्र पर परीक्षण कराना ;

ख. दस्तावेजों को प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतीकरण ;

ग. शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ; और

घ. साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ।

25- नियम बनाने की शक्ति:-

1- सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है ।

2- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के तुरंत बाद विधान सभा के समक्ष, जब वह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा तथा यदि उस सत्रावसान के पूर्व जिसमें यह रखा गया है या उसके ठीक बाद आने वाले सत्र में विधान सभा इस नियम में कोई उपांतरण करती है अथवा विनिश्चित करती है कि यह नियम नहीं बनाया जाए तो यह नियम यथास्थिति, उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा प्रभावी ही नहीं होगा तथापि ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियमावली के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य में अधिवक्ता लिपिकों के सेवांत एवं अन्य लाभों के भुगतान और इनसे सम्बंधित या अनुषंगिक मामलों के लिए कल्याण निधि के गठन का उपबंध करना समीचीन हो गया है

इस हेतु झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018 को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

भार-साधक-सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

20 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 21/2018 - 3447 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

[वि०स०वि०- 11/2018]

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में **कैपिटल** विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे सम्बद्ध एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेतु एक विधेयक;

जबकि यह समयोचित है कि दिल्ली से सृजित एवं पंजीकृत चौ० चरण सिंह एजुकेशनल सोसायटी साउथ एक्सटेंशन-I, नई दिल्ली -११००४९, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० (पंजीयन संख्या-एस/S-55338 दिनांक- 07.04.2006) द्वारा प्रायोजित कैपिटल विश्वविद्यालय, कोडरमा, झारखण्ड की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है ।

एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के उनसठवे वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता हैः

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-

1) यह अधिनियम " **कैपिटल** विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018" कहा जाएगा ।

2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत किया जाय ।

2. परिभाषा:-

अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/आवश्यक होः

(a) 'अकादमिक परिषद्' का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् जैसा कि अधिनियम की धारा-24 में वर्णित है;

(b) 'वार्षिक प्रतिवेदन' का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा अधिनियम की धारा-39 में संदर्भित है;

(c) 'प्रबंधन' बोर्ड' का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा-23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;

(d) 'परिसर' का आशय है विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है;

(e) 'कुलाधिपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो इस अधिनियम की धारा-12 के अधीन नियुक्त हों;

(f) 'मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी' का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-18 के अधीन नियुक्त हों;

(g) 'परीक्षा नियंत्रक' का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-19 के अधीन हुई हो;

(h) 'अंगीभूत महाविद्यालय' से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित हों;

(i) 'कर्मचारी' से आशय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं;

(j) 'स्थायी निधि' का अर्थ है विश्वविद्यालय की स्थायी निधि जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-37 के तहत हुई हो;

(k) 'संकाय' से आशय है समान अनुशासनों के अकादमिक विभाग;

(l) 'शुल्क' का आशय है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से उगाही गयी राशि, जो किसी पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित हो;

(m) 'सामान्य निधि' से आशय है विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत हुई हो;

(n) 'शासी निकाय' का अर्थ है विश्वविद्यालय का शासी निकाय, जिसका गठन अधिनियम की धारा-22 के तहत हुआ हो;

(o) 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बेंगलुरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था;

(p) 'विहित'/'नियत' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विहित/नियत परिनियम और नियमावली;

(q) 'प्रति-कुलपति' का अर्थ है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 के तहत हुई हो;

(r) 'कुलसचिव' का अर्थ है विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-17 के तहत हुई हो;

(s) 'नियंत्री निकाय' का आशय है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादमिक स्तर के सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय, यथा-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा

सरकार अथवा कोई वैसा निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो;

(t) 'नियमावली' से आशय है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली;

(u) 'अनुसूची' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची;

(v) विश्वविद्यालय से संबंधित 'प्रवर्तक निकाय' का अर्थ हैः-

(i) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कोई संस्था, अथवा

(ii) इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास, अथवा

(iii) किसी राज्य की विधि के अनुरूप पंजीकृत कोई संस्था या न्यास।

(w) 'राज्य सरकार' से आशय है झारखण्ड की राज्य सरकार;

(x) 'परिनियम' 'अध्यादेश' और 'विनियम' का क्रमशः आशय है, परिनियम, अध्यादेश और विनियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित हों;

(y) 'विश्वविद्यालय के विद्यार्थी' का अर्थ है विश्वविद्यालय में उपाधि, डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम में नामांकित व्यक्ति, जिसमें शोध-उपाधि भी शामिल है;

(z) 'शिक्षक' से आशय है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इस तरह के अन्य व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था में निर्देशित करने (शिक्षण) अथवा शोधकार्य संचालन हेतु हुई हो, इसके तहत अंगीभूत महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं, जिनकी संपुष्टि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हुई हो;

(aa) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से आशय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ab) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित **कैपिटल** विश्वविद्यालय;

(ac) 'कुलपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की धारा-13 के तहत हुई हो;

(ad) 'विजिटर'/'अतिथि'/'आगंतुक' से आशय है विश्वविद्यालय के विजिटर/अतिथि/आगंतुक यथा इस अधिनियम की धारा-10 में वर्णित है ।

3. विश्वविद्यालय की स्थापनाः-

(1) विश्वविद्यालय की स्थापना **कैपिटल** विश्वविद्यालय के नाम से होगी ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह कोडरमा में अवस्थित होगा ।

(3) प्रवर्तक निकाय को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के बाद ही विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा ।

(4) इस अधिनियम की अनुसूची 'ए' में सम्मिलित शर्तों को विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि में पूरा करेगा ।

(5) विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी यासदस्य या प्राधिकारी एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएंगे जब तक वे इस पद पर है अथवा उनकीसदस्यता बनी रहेगी ।

(6) विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और वे किसी भी महाविद्यालय या संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों को उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सबद्धता नहीं दे सकेंगे ।

(7) इस अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व प्रवर्तक निकाय के अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थान, जो सम्बद्धता प्राप्त हैं और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं वे इस अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही उस विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हो जाएंगे, उनकी ऐसी सुविधाएँ इस अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी और **कैपिटल** विश्वविद्यालयके प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के साथ ऐसे महाविद्यालय और संस्थान उस **कैपिटल** विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान बन जाएंगे ।

(8) **कैपिटल** विश्वविद्यालय नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उसके पास सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन की शक्ति होगी, सम्पति ग्रहण करने व उस पर आधिपत्य रखने, उसे अनुबंध/संविदा पर देने अथवा कथित नाम से वाद चलाने के अधिकार होंगे या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा ।

(9) विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

बशर्ते कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से वित्तीय सहायता दे सकती हैः

(a) शोध विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा

(b) विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि;

4. विश्वविद्यालय की सम्पति एवं इसके अनुप्रयोग:-

(1) विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर भूमि और अन्य चल एवं अचल सम्पतियाँ, जो झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य (पूर्ति) के लिए अधिग्रहित, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित की जाती हैं, वे विश्वविद्यालय में निहित होंगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा भूमि, भवन और अन्य अधिग्रहित सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी हैं।

(3) विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा ।

(4) उप धारा-(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नाम से हस्तांतरित सम्पति को विश्वविद्यालय के विघटन अथवा समापन के फलस्वरूप निर्धारित ढंग से नियमावली में वर्णित तरीके से प्रयुक्त किया जाएगा ।

5. विश्वविद्यालय के निर्बंधन/अवरोध और बाध्यताएँ:-

(1) विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथा-अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा-शास्त्र, प्रबंधन आदि के लिए शिक्षण-शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय-समय पर नियामक निकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा । विश्वविद्यालय में नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों अथवा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के संगठन या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा समान पाठ्यक्रमों के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जाएगा ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में नामांकन नियंत्री निकाय के प्रावधानों द्वारा शासित/नियमित हो ।

(3) निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय कोशिक्षण शुल्क में पूरी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृति की अनुमति देनी होगी । निर्धनता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा ।

(4) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटों पर झारखण्ड राज्य के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान विश्वविद्यालय को करना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा ।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखना होगा । सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा ।

(6) विश्वविद्यालय को अकादमिक स्तर को बनाये रखने के लिए यथेष्ट/पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से निम्न न हो ।

(7) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्यपणधारियों के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग-अलग कोटि (श्रेणी) के तहत सीटें, शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ, उपलब्ध संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ ।

(8) परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि, डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा ।

(9) विश्वविद्यालय को स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं, के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी । विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण कराना होगा ।

(10) इतना होते हुए भी इस अधिनियम की अनुसूची 'A' में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार की नियामक संस्थाओं के नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहूलियतों तथा सहयोग व कर्तव्यों के निष्पादन एवं कार्य को जारी रखने के लिए उन संस्थाओं को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन बाध्यकारी होगा ।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य:-

विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक, शोध तथा प्रसार एवं ऐसी अधिगम की शाखाओं के द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, ज्ञान तथा कौशलों को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और विश्वविद्यालय यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए आवश्यक माहौल तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें:-

(a) पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षा में पुनर्निर्माण एवं नवाचार, शिक्षण के नवीन तरीके, प्रशिक्षण तथा अधिगम ऑनलाइन अधिगम सहित, सम्मिश्रित अधिगम, सतत् शिक्षा एवं अन्य तरीके तथा एकीकृत एवं व्यक्तित्व का हितकर विकास;

(b) विविध अनुशासनों में अध्ययन;

(c) अंतर अनुशासनिक अध्ययन;

(d) राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा अन्तरराष्ट्रीय मेल मिलाप एवं नीतिशास्त्र ।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा:-

किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, मत, वर्ग, जाति, जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर पक्षपात या भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा ।

8. विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ:-

(i) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, इसके अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबंधन तथा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को इसके झारखण्ड राज्य में अवस्थित परिसर में संचालन व प्रबंधन;

(ii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा-शास्त्र, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध कराना;

(iii) शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी प्रयोग, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव देना जिससे शिक्षा के वितरण एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त करने में निरंतरता रहे;

(iv) शिक्षा प्रदान करने में लचीलेपन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रणाली में इलेक्ट्रानिक एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना;

(v) परीक्षा का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता या नाम को वापस लेना;

(vi) फेलोशिप (शिक्षावृत्ति), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना;

(vii) परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना;

(viii) उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल, केन्द्र, संस्थान, महाविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय के मतानुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन;

(ix) विश्वविद्यालय के मतानुसार शिक्षा प्रदान करने व प्रयोजनों के प्रोत्साहन के लिए किसी महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान की स्थापना करना;

(x) शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन;

(xi) ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना;

(xii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना;

(xiii) समान उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व संबद्धता;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल) परिसर समेत परिसरों की स्थापना;

(xv) पेटेन्ट प्रकृति के शोध, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों के साथ सक्षम प्राधिकारों से अनुसंधान के संबंध में पंजीकरण का दायित्व लेना;

(xvi) विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दुनिया के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों के आदान-प्रदान के द्वारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे;

(xvii) अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(xviii) शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, विधि, वाणिज्य, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञोंके बीच विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाये रखना;

(xix) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय विशेष व्यवस्था करने पर विचार;

(xx) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख-रखाव;

(xxi) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपस्कर, सॉफ्टवेर एवं अन्य संसाधनों को व्यवसाय, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार, दान, उपकार या वसीयत के रूप में प्राप्त करना;

(xxii) विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं व्यवस्था;

(xxiii) खेल, सांस्कृतिक सह-पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की उन्नतिके लिए केन्द्रों, परिसरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियम का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव;

(xxiv) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाये रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन;

(xxv) परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना;

(xxvi) फैलोशिप (शोधवृत्ति), छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कारों की स्थापना;

(xxvii) विश्वविद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से किसी भूमि या भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहारव वसीयत, विरासत या अन्य तरीके से कार्य हेतु प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिससे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख-रखाव हेतु उचित हो;

(xxviii) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, उसके अनुरूप विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने, विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना;

(xxix) निर्माण और समर्थन, कटौती और वार्ता, वचनपत्र नोट, विनियम बिल, चेक और अन्य विनिमेय उपस्कर आकर्षित और स्वीकार करना;

(xxx) विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ाना और बांड पर उधार लेना, बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की स्थापना या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप करना;

9. सम्बद्धता के अवरोधक:-

(1) विश्वविद्यालय को किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता देने का विशेषाधिकार नहीं होगा ।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, जैसा भी हो, के द्वारा पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर, अपतट परिसर, अध्ययन केन्द्र, परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर शुरू कर सकेगा ।

(3) दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरूआत केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के बाद की जाएगी ।

10. आगंतुक (विजिटर):-

(1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर (आगंतुक) होंगे ।

(2) आगंतुक (विजिटर) जब दीक्षांत समारोह में डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर, ओहदा (पदनाम) और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए मौजूद रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे ।

(3) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर, अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगंतुक को विश्वविद्यालय के भ्रमण/दौरे का अधिकार होगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(a) कुलाधिपति (b) कुलपति

(c) प्रति-कुलपति (d) निदेशक/प्रधानाचार्य

(e) कुलसचिव (f) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

g) परीक्षा नियंत्रक (h) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष

(i) संकायाध्यक्ष (j) कुलानुशासक और

(k) विश्वविद्यालय में अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे।

12. कुलाधिपति:-

(1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रवर्तक निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए आगंतुक (विजिटर) के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियाओं तथा एतद्संबंधी नियमों एवं शर्तों के अनरूप की जाएगी । कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कुलाधिपति आगंतुक की सलाह के बाद प्रवर्तक निकाय द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे ।

(2) कुलाधिपति अपने कार्यालय पद के अधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे ।

(3) कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर)मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(4) कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित व प्रवर्तक निकाय को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं ।

(5) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथाः-

(a) किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करने;

(b) कुलपति की नियुक्ति;

(c) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को हटानेऔर

(d) इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियाँ।

13. कुलपति:-

(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप करेंगे और ये पाँच साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे । बशर्ते कि कुलपति पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे । शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से, कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत हो जाएगा ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथाविश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल करेंगे ।

(3) आगंतुक (विजिटर) और कुलाधिपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(4) कुलपति यदि यह अनुभव करें कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या विश्वविद्यालय की सेवा का अन्य व्यक्ति यदि कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से व्यथित है तो इस उप धारा के तहत इस निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर सकता है । कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, संशोधित या परिवर्तित कर सकते हैं ।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इस तरह के अन्य कार्य करेंगे जो विहित किया जाय ।

14. कुलपति की पदच्युति:-

(1) कुलाधिपति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात् आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि कुलपतिः

(a) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हों; अथवा

(b) विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हों, या

(c) विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति इस बात के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कारण बताते हुए निर्धारित तिथि से पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं ।

(2) उप धारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की सूचना दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित अवसर कुलपति को दिया जाएगा ।

15. प्रति-कुलपति:-

(1) प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस तरीके से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किया जाय ।

(2) प्रति कुलपति उप धारा-1 के तहत नियुक्त एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

(3) प्रतिकुलपति कुलपति को उनकी आवश्यकतानुसार उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेंगे ।

(4) प्रतिकुलपति प्रवर्तक निकाय द्वारा निर्धारित राशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे।

16. निदेशक/प्रधानाचार्य :-

निदेशकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति निर्दिष्ट ढंग से तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर की जा सकेगी ।

17. कुलसचिव :-

(1) कुलसचिव प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किये जाएंगे । कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करेंगे ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने, प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा समझौता करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी दूसरी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो ।

(3) कुलसचिव कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिनउन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी :-

(1) प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो ।

(2) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है ।

19. परीक्षा नियंत्रक:-

(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगेः-

(a) परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना;

(b) सख्त गोपनीयता की दृष्टि से प्रश्न-पत्रों के चयन की व्यवस्था करना;

(c) निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था करना;

(d) परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठता को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों की योग्यता के सही आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् समीक्षा करना;

(e) कुलपति के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो परीक्षा से संबंधित हों ।

20. अन्य अधिकारी:-

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के दायित्व, शक्तियों और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो ।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारः-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा-

(a) शासी निकाय

(b) प्रबंधन बोर्ड

(c) अकादमिक परिषद्

(d) वित्त समिति

(e) योजना बोर्ड

(f) वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो परिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये गये हों ।

22. शासी निकाय

(1) शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा-

(a) कुलाधिपति;

(b) कुलपति;

(c) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनका प्रतिनिधि;

(d) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे;

(e) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक व्यक्ति, जो प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में होंगे ।

(f) कुलाधिपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ ।

(2) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं मुख्य शासी निकाय होगा । इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथाः-

(a) नियम, परिनियम, अधिनियम, विनियम अथवा अध्यादेश का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना;

(b) विश्वविद्यालय के अन्य निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे अधिनियमों, परिनियमों, अध्यादेश, विनिमय या नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो;

(c) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना;

(d) विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विस्तृत नीतियों का निर्माण;

(e) विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रवर्तक निकाय को अनुशंसा करना, यदि संपूर्ण प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य संपन्न करने की स्थिति में नहीं हो;

(f) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना ।

(3) शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम तीन बार होगी ।

(4) बैठक का कोरम चार होगा;

बशर्ते उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सचिव या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों, जिसमें सरकारी नीतियों या निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों ।

23. प्रबंधन बोर्डः-

(1) प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथा-

(a) कुलपति;

(b) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनके नामिति;

(c) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य;

(d) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं;

(e) शिक्षकों के बीच से प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य;

(f) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक ।

(2) प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे ।

(3) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप होगा ।

(4) प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम पाँच होगा;

बशर्ते कि सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों; जिसमें सरकार की नीतियों/निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों ।

24. अकादमिक परिषद्:-

(1) अकादमिक परिषद् कुलपति तथा वैसे सदस्यों के योग से बनेगा, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट है ।

(2) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे ।

(3) आकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य अकादमिक निकाय होगी, जैसा कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों में प्रावधान है और यह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का संयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगी ।

(4) अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम परिनियम के निर्देशों के अनुरूप होगा ।

25. वित्त समिति:-

(1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी मामलों की देख-रेख करेगी ।

(2) वित्त समिति का संविधान, शक्तियाँ और कार्य के अनुरूप होंगे जैसा की विहित किया जाय ।

26. योजना बोर्ड:-

(1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बुनियादी ढाँचा और अकादमिक समर्थन प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है ।

(2) योजना बोर्ड का संविधान, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों का निर्धारण वैसा होगा जैसा की विहित किया जाय ।

27. अन्य प्राधिकार:-

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य वैसा होगा जैसा की विहित किया जाय ।

28. किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता:-

कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के योग्य नहीं होगा, यदि वहः

(a) यदि वह अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(b) यदि अमुक्त दिवालिया है;

(c) यदि नैतिक स्खलन का अपराधी पाया गया है;

(d) किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कहीं भी, किसी रूप में दंडित किया गया है ।

29. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी:-

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं की जायेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन की रिक्ति अथवा संविधान में कोई दोष है ।

30. समितियों का गठन:-

विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तों के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों, ऐसी समितियों का गठन कर सकेंगे ।

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

31. प्रथम परिनियम:-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुकूल पहला परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा-

(a) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय-समय पर गठन, शक्तियों और कार्यों का निर्धारण;

(b) कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति की शर्तों और उनकी शक्तियों तथा अधिकारों का निर्धारण;

(c) कुलसचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तों तथा उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण;

(d) अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति और शर्तों तथा शक्तियों और कार्य का निर्धारण;

(e) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का निर्धारण;

(f) कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण;

(g) मानद उपाधियाँ प्रदान करना;

(h) विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की अदायगी में छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण;

(i) सीटों के आरक्षण के नियम सहित प्रवेश की नीति का निर्धारण; तथा

(j) विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क ।

(2) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा ।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी और यथासंभव इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति, संशोधनों अथवा बिना संशोधन के जैसा वह आवश्यक समझे, देगी ।

(4) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियमों पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति संप्रेषित करेगा, अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अंतर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी संशोधनों को नहीं लागू करने पर कारण बतायेगा । राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सुझावों को मान्य या अमान्य कर सकती है ।

(5) राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा ।

32. परवर्ती परिनियम:-

(1) इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों, विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकता है, यथा-

(a) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन;

(b) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(c) विश्वविद्यालयों के प्रधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;

(d) नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुनर्गठन;

(e) पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण;

(f) पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया;

(g) शुल्कों का पुनरीक्षण;

(h) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा

(i) अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण, जो इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक हों ।

(2) पहले परिनियम से इतर विश्वविद्यालय के परिनियमों का निर्माण शासी निकाय की सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(3) उप धारा (2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श, परिनियम की प्रप्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी ।

(4) राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और परिनियमों में किये गये परिवर्तन के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगा ।

(5) राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

33. प्रथम अध्यादेश:-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था कर सकता है, यथा-

(a) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में नामांकन;

(b) विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठयक्रम का निर्धारण;

(c) डिग्री, डिपलोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम योग्यता;

(d) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, वजीफा, पदक और पुरस्कार हेतु शर्तें;

(e) कार्यालय के नियमों और परीक्षण निकाय, परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति के तरीके सहित परीक्षाओं का संचालन;

(f) विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क;

(g) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें;

(h) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान;

(i) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यकता अनुभव किये जाने पर किसी निकाय के सृजन, संयोजन और कार्य पर विचार;

(j) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयोग के तरीके;

(k) ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है;

(2) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपति द्वारा बनाया जाएगा, जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी और जहाँ तक संभव होगा इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी ।

(4) कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम अध्यादेश को वापस भेजेंगे, यदि कुछ हो । राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

34. परवर्ती अध्यादेश:-

(1) प्रथम अध्यादेशों के अलावा अन्य सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद द्वारा बनाये जाएँगे जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएँगे ।

(2) उपधारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक संभव हो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी ।

(3) अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेशों को संशोधित करेगी या सुझावों को राज्य सरकार को पुनः उसे वापस सौंपेगी, यदि कोई हो । राज्य सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेशों को संशोधन के

साथ या बिना संशोधन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा ।

35. विनियम:-

ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम के अनुकूल नियम, परिनियमों और अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेंगे ।

36. निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार:-

(1) शिक्षण के स्तर, परीक्षा और शोध तथा विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अन्य मामले में राज्य सरकार ऐसे लोगों, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, के द्वारा मूल्यांकन करा सकेगी ।

(2) ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय को संप्रेषित करेगी । विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय और प्रयत्न करेगा ताकि इन अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा का पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निर्देश दे सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे । राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय अविलंब करेगा ।

विश्वविद्यालय की निधियाँ

37. स्थायी निधि:-

(1) उद्देश्य-पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ प्रवर्तक निकाय विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी कोष की स्थापना करेगा ।

(2) विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि के रूप में होगा । यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी राशि अथवा इसका एक हिस्सा/अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा ।

(3) विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए कर सकेगा, विश्वविद्यालय के दिनानुदिन व्यय के लिए नहीं ।

(4) विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी जैसा सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्देशित किया जाएगा ।

(5) दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में, प्रतिभूतियों का प्रमाण-पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण में रखा जाएगा और व्यक्तिगत जमा खातों के ब्याज को सरकारी खजाने में

जमा किया जाएगा । शर्त्त यह है कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी ।

38. सामान्य निधि:-

(1) विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य कोष कहा जाएगा, जिसमें निम्नांकित राशियाँ जमा होंगी:

(a) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क;

(b) प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि;

(c) अपने लक्ष्य-सिद्धि के क्रम में विश्वविद्यालय के किसी भी उपक्रम, यथा-परामर्श आदि से प्राप्त कोई भी राशि;

(d) न्यासों, वसीयतों, दान, वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदानतथा

(e) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि ।

(2) सामान्य कोष का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा -

(a) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु;

(b) विश्वविद्यालय की परिसंपतियों के रख-रखाव हेतु;

(c) धारा 37 एवं 38 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा-परीक्षण के लिए भुगतान किया गया शुल्क;

(d) विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु ;

(e) अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शोध-अधिकारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि अंशदान, ग्रैच्यूटी और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु;

(f) शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु;

(g) फेलोशिप, निःशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियों, असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों, प्रशिक्षुओं अथवा जैसी स्थिति हो अधिनियमों, परिनियमों और नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी के भुगतान हेतु;

(h) अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु;

(i) प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये निवेशों की मूल लागत, जो समय-समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान की दर से अधिक नहीं हो, के भुगतान के लिए ।

(j) इस अधिनियम के परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये व्यय के भुगतान हेतु;

(k) किसी संस्थान द्वारा विशेष सेवा देने के दायित्व, विश्वविद्यालय को प्रबंधन-सेवा सहित शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध अन्य कार्यों के भुगतान हेतु;

बशर्ते कि कुल आवर्ती व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा ।

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

39. वार्षिक प्रतिवेदन:-

विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा ।

40. अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन:-

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा बैंलेस शीट सहित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाएगा ।

(2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी ।

विश्वविद्यालय को समेटना

41. विश्वविद्यालय का समापनः-

(1) यदि प्रवर्तक निकाय विधि सम्मतढंग से इसके गठन तथा निगमीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वयं को भंग करना चाहे तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य सरकार को देनी होगी ।

2) राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरुप भंग किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रवर्तक निकाय के विघटन के बाद आखिरी सत्र के विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय में

नामांकित हैं, के पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी और सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है ।

42. विश्वविद्यालय का विघटन:-

(a) प्रवर्तक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा रखता है, तो उसे राज्य सरकार को एतद्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी। राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार के पश्चात् निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकेगा ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उन सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के विषय हों, प्राप्त हो जाएँ ।

(b) जैसा कि तरीका निर्धारित हो विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी संपतियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित होंगी ।

(c) उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार यदि विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती है, तो विहित तरीके से समान उद्देश्य वाली सोसाइटियों में विश्वविद्यालय के विघटन तक उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शासी निकाय की शक्तियाँ निहित कर सकेगी ।

43. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ:-

(1) राज्य सरकार की यदि यह राय है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियमों, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है और वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण बताओ सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, जिसे वह आवश्यक समझे ।

(3) उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच-अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो किसी भी आरोप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(4) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में प्रदत्त हैं, यथा-

(a) किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी हाजिरी को अनिवार्य करने और शपथ दिलाकर उनकी जाँच करना;

(b) प्रमाण के लिए आवश्यक खोज और ऐसे दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश देना;

(c) किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना ।

(5) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के प्रावधान के सभी अथवा किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कु-प्रबंधन और कुशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में ऐसी हो गयी है कि उसके अकादमिक स्तर पर प्रश्न-चिह्न खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है ।

(6) उप-धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियाँ या डिप्लोमा न दे दी जायँ ।

(7) आखिरी सत्र को डिग्रियाँ या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो, के प्रदान के बाद प्रशासक इस आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा ।

(8) उप-धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएंगी ।

अन्यान्य

44. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति:-

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार नियम बनाएगी ।

(2) राज्य विधानमंडल के समक्ष इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सारे नियमों को कम से कम 30 दिनों के लिए रखा जाएगा और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि वह इसका निरसन कर दे अथवा अपेक्षित परिवर्तन कर दे अथवा ऐसे परिवर्तन जिसे विधानमंडल के उसी सत्र में या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किया गया हो ।

45. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन:-

इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी अंगीभूत महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के लागू होने के तुरत पहले कोई भी अध्ययनरत विद्यार्थी या जो इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी था उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा की जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट किया गया हो ।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-

(1) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उपस्थित हो रही हो तो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ।

बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची - ए (A)

(1) एकल प्रभाव-क्षेत्र के लिए मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा और बहु प्रभाव क्षेत्र के लिए 25 एकड़, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना के दो वर्षों के अन्दर करना होगा । एकीकृत कैंपस में प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया, छात्रावास इत्यादि ऐसी सुविधायें हो सकती हैं, अतः जमीन की आवश्यकता में तदनुसार बदलाव हो सकता है ।

(2) न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर का प्रशासकीय भवन, शैक्षिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ हों वह अल्पतम 10 हजार वर्ग मीटर की होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जायेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत उसमें रह सके, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना होगा । अगर विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक निकाय द्वारा किये गये मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यमान संस्थान विस्तार /पुनरूद्धार/पुनर्रचना करेगा ।

उद्देश्य एवं हेतु

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा की गयी प्रतिबद्धता के आलोक में, जिसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात जो कि 17.7 प्रतिशत (2016-17) है, को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत करना, उच्च शिक्षा की पहुँच तथा गुणवत्ता बढ़ाना तथा कमजोर वर्ग एवं बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मॉडल दिशा-निर्देशों को सकल्प संख्या-1312 दिनांक 1 सितम्बर, 2014 को निर्गत किया गया है ।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विभाग द्वारा जांचोपरांत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कैपिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम गठित किया जाय।

अतः यह विधेयक,

(डॉ० नीरा यादव)

भार साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 25/2018 - 3457 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड वित्त विधेयक, 2018

[वि०स०वि०- 17/2018]

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम 1948 झारखण्ड राज्य में यथा लागू) में संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1- संक्षिप्त नाम- प्रसार एवं प्रारंभ :- (1- यह अधिनियम ''झारखण्ड वित्त अधिनियम, 2018" कहा जा सकेगा ।

2- इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

3- यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत होगा ।

खण्ड ''क''

4- भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 3 के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिनियम की अनुसूची 1 ''क'' झारखण्ड राज्य के निमित्त निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी ।

अनुसूची 1 'क' लिखतों पर स्टाम्प शुल्क

(देखिये धारा- 3, प्रथम परन्तुक)

संख्या	लिखतों का विवरण	उचित स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	अभिस्वीकृति, किसी ऋण की रकम या मूल्य में एक सौ रूपये से अधिक की, जो ऋणी द्वारा उसकी ओर से किसी बही में (जो बकाए की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य के निमित लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो । परन्तु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का, अनुबंध अन्तर्विष्ट नहीं है ।	रू॰ 10/- (दस रूपये)
2.	प्रशासन-बंधपत्र, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) की धारा 291, 375 तथा 376 या गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का V) के अधीन दिये गये किसी बंध-पत्र को सम्मिलित करते हुए ।	बंध पत्र (सं॰- 15) की तरह।
3.	दत्तक विलेख, अर्थात् कोई लिखत (वसीयतनामा से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है ।	रू॰ 2000/-(दो हजार रूपये)।
4.	शपथ-पत्र, उन प्रतिज्ञान या घोषणा को लगाकर जिसके मामले में विधिनुसार कोई व्यक्ति शपथ लेने की बजाय प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात है । छूटें :- शपथ पत्र या लिखत रूप में घोषणा जबकि वह-	रू॰ 20/-(बीस रूपये)

	(क) इंडियन आर्मी ऐक्ट, 1911 (या इंडियन एयर फोर्स ऐक्ट, 1932) के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त्त के रूप में हो,	
	(ख) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन मात्र के लिए, किया गया हो ।	
5.	समझौता/ करार या समझौता/ करार का ज्ञाप :-	
	(घ) किसी प्रवर्त्तक अथवा डेवलपर, जिस नाम से भी जाना जाय, को किसी अचल सम्पति पर/के निर्माण, विकास-कार्य, विक्रय या निवर्तन जैसा कि झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, 2011 अथवा इस उद्देश्य से सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो प्रभावी हो, में परिकल्पित है, के अधिकार प्रदान करने से संबंधित ।	(घ) डेवलपमेंट एग्रीमेंट में सन्निहित भूमि के प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो एवं जो प्रचलित व्यवसायिक मूल्य पर परिगणित किया गया हो का 2.5% (दो दशमलव पाँच प्रतिशत)
	(ड.) किसी अचल सम्पति के खरीद या बिक्री के समझौता से संबंधित दस्तावेज जिसमें उक्त सम्पति का दखल/कब्जा नहीं दिया गया हो एवं :- (i) जब बयाना/अग्रिम/आंशिक भुगतान दो लाख से अधिक न हो। (ii) जब बयाना/अग्रिम/आंशिक भुगतान दो लाख से अधिक हो।	(i) रू॰ 1,000 (एक हजार रूपये) (ii) अग्रिम राशि का 0.5 % रू॰।
	(च) खरीद या बिक्री या पट्टा से संबंधित समझौता जिसमें सम्पति का दखल/कब्जा दिया गया हो अथवा दिए जाने की सहमति दी गई हो। <u>व्याख्या- 1</u> उप-वाक्यांश (ड) एवं 'च' के उद्देश्य से झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम 2011 अथवा इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो में यथा परिभाषित फ्लैट, अपार्टमेंट, टेनेमेंट (वास गृह), ब्लॉक या कोई अन्य यूनिट जिस नाम से भी जाना जाय, अचल सम्पत्ति में सम्मिलित होगा।	(च) वहीं शुल्क जो प्रतिफल अथवा सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर कनवेयांस (संख्या-23) की तरह।

	<u>व्याख्या- 2</u> अनुच्छेद (घ) के उद्देश्य से बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/ अपार्टमेंट का तात्पर्य होगा एवं इसमें सम्मिलित होगें बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/ अपार्टमेंट जैसा कि झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्त्व अधिनियम, 2011 अथवा इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो में परिभाषित किया गया है।	
	(छ) यदि पथकर अथवा शुल्क वसूली के अधिकार सहित अथवा रहित निर्माण-परिचालन एवं अंतरण पद्धति के अंतर्गत किसी परियोजना से संबंधित हो और जहाँ संविदा का मूल्य एक लाख से अधिक हो	(छ) 0.1% किन्तु रू॰ रू॰ 500000/- (पाँच लाख रूपये) से अधिक न हो तथा कम से कम रू॰ 100/- (एक सौ रूपये)।
	(ज) यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा विनिर्दिष्ट पालन, जहां संविदा का मूल्य 1,00000/- रू0 से अधिक हो, से संबंधित हो ।	(ज) 0.25% किन्तु रू॰ 10,00000/- (दस लाख रूपये) से अधिक न हो तथा कम से कम रू॰ 250 (दो सौ पचास रूपये)।
	(झ) अन्य मामलों में।	(झ) रू॰100/- (एक सौ रूपये) ।
6.	हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम, गिरवी या रेहन से संबंधित करार अर्थात निम्नलिखित से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत :-	
	जंगम सम्पति का पण्यम या गिरवी जहां कि ऐसा निक्षेप पण्यम या गिरवी उधार में अग्रिम दिये गए या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान में या भावी ऋण के चुकाएँ जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है । (i) यदि ऐसा उधार या ऋण की मांग पर या कर को साक्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन माह की अवधि के बाद वापसी भुगतेय है ।	(i) प्रतिभूति राशि का 0.5% अधिकतम रू॰ 1,00,000/- (एक लाख रूपये)।
	(ii) यदि ऐसा उधार या ऋण की जो ऐसी लिखत की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर भुगतेय है ।	खण्ड (i) के अंतर्गत भुगतेय शुल्क का आधा ।

	स्पष्टीकरण :- (किसी न्यायादेश, डिक्री, किसी न्यायालय के आदेश, या किसी प्राधिकारी के आदेश से भिन्न बात के अंतर्विष्ट होने पर भी) इस अनुच्छेद के खण्ड (क) प्रयोजनार्थ हक विलेख के निक्षेप से संबंधित नोट, ज्ञापन या वर्णन जो हक-विलेखों के निक्षेप के पूर्व या किसी भी समय जब या बाद में हक-विलेख प्रभावित हो तथा जो प्रथम ऋण या किसी अतिरिक्त ऋण या पश्चातवर्ती लिए गए ऋणों के संबंध में हो, ऐसा पत्र, नोट, ज्ञापन अथवा वर्णन ऐसे हक के प्रति निक्षेप से संबंधित किसी पृथक अथवा करार के ज्ञापन के अभाव में हक विलेखों के प्रति निक्षेप से संबंधित करार पत्र को साक्ष्यित करने वाला लिखत समझा जायेगा।	
	(i) विनिमय पत्र के साथ गिरवी पत्र।	
7.	किसी शक्ति के निष्पादनार्थ नियुक्ति	
	(क) चाहे वह न्यासियों की हो या	(क) रू० 250/- (दो सौ पचास रूपये)।
	(ख) जंगम या स्थावर सम्पत्तियों की हो जब वह वसीयत से भिन्न रूप से लिखित हो	(ख) रू० 500/- (पाँच सौ रूपये)।
8.	आंकना या मूल्यांकन- जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन से अन्यथा किया गया होः-	
	आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी केलिए किया गया हो और जो, या तो करार या विधि के प्रवर्त्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से बाध्यकारी नहीं हो-	रू॰ 200/- (दो सौ रूपये) ।
9.	शिक्षुता विलेख, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा लेख सम्मिलित है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया हो । **छुट :-** शिक्षुता लिखत, जो एप्रेंटिसेज ऐक्ट, **1850 (1850** की संख्या **19)** के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया गया हो या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोकपूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया हो ।	रू॰ 100/- (एक सौ रूपये)।

10.	कंपनी का संगम- अनुच्छेद- **(**क) जहां कम्पनी का कोई हिस्सा पूंजी नहीं हो-	(क) रू॰ 1500 (पंद्रह सौ रूपये)।
	(ख) जंहा कम्पनी को सांकेतिक हिस्सा पूंजी हो या हिस्सा पूंजी बढ़ाई गई हो। इसके द्वारा हिस्सा पूंजी बढ़ाया जा रहा हो ।	(ख) ऐसे हिस्सा पूंजी का 0.15% (प्रतिशत) (न्यूनतम रू॰ 1000 (एक हजार रूपये) तथा अधिकतम रू॰ 5,00,000(पाँच लाख रूपये) ।
	छूट :- ऐसे संगम के अनुच्छेद**,** जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाया गया हो और जो इंडियन कम्पनीज एक्ट**, 2013** के अधीन निबंधित किया गया है ।	
11.	प्रशिक्षु नियमावली या संविदा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में अटर्नी के रूप में प्रवेश के उद्देश्य से प्रथमतया एक लिपिक के रूप में कार्य करने को आबद्ध हो।	रू॰1,000/-(एक हजार रूपये)
12.	पंचाट- अर्थात किसी वाद के अनुक्रम में**,** न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है ।	
	(क) जहां पंचाट मौद्रिक रूप में परिगणित हो ।	(क) अधिनिर्मित सम्पत्ति के मूल्य का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) (न्यूनतम दस रूपया)
	(ख) जहां पंचाट मौद्रिक रूप से परिगणित नहीं किया जा सकता हो ।	(ख) रू॰ 500/- (पाँच सौ रूपये)।
15.	बंध पत्र (जैसा धारा **2 (5)** द्वारा परिभाषित किया गया है) जो डिवेंचर (सं**0 27)** नहीं है और जो इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम**, 1870** द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है । छूटें :- बंधपत्र जबकि वह किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए कि किसी पूर्त औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गये निजी चंदों से व्युत्पन्न हुई स्थानीय मासिक आय किसी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ।	बंध पत्र के मूल्य का 3% परन्तु कि यदि ऐसे बंध पत्र द्वारा सम्पति हस्तांतरित हो तो कनवेंयस (सं॰-23) की तरह।

17.	रद्द कर देने की लिखत, (पूर्व में निष्पादित की गई किसी लिखत को रद्द करने वाली लिखत सहित) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है ।	रू॰ 500/- (पांच सौ रूपये)।
18.	विक्रय प्रमाण-पत्र (अलग लॉट मे नीलाम पर चढ़ाई और बेची गई प्रत्येक सम्पति के संबंध में) अथवा लोक नीलाम के अनुसरण में विक्रय (पत्र) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई संपत्ति के क्रेता के पक्ष में किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व पदाधिकारी या विधि अंतर्गत् कोई अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अथवा निष्पादित किया गया हो।	क्रय धन का 3% (तीन प्रतिशत)
20.	भाड़े पर पोत लेने की संविदा, अर्थात (कर्षवाष्प नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो।	रू॰ 100/- (एक सौ रूपये) ।
22.	प्रशमन विलेख, अर्थात किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी सम्पत्ति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन धन या लाभांश का संदाय लेनदारों के प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है ।	रू॰ 250 (दो सौ पचास रूपये)।
23.	हस्तांतरण-पत्र (धारा **2 (10)** द्वारा यथा परिभाषित) जो ऐसा अंतरण नहीं है जो संख्या **62** के अधीन प्रभारित या मुक्त हो-	लिखत में वर्णित प्रतिफल या उसके मूल्य या सम्पत्ति का बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो का शहरी क्षेत्र में 6% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4%
24.	प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है।	रू॰ 20 (बीस रूपये)

	छूट :- किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित हो कि वह किसी लोक कार्यालय या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त, अभिलेखार्थ उसे बनाए या दे ।	
25.	किसी लिखत का प्रतिलेख या द्वितीयक, जो शुल्क से प्रभार्य हो और जिसके संबंध में उचित शुल्क चुका दिया गया हो ।	
	(क) यदि वह शुल्क, जो मूल लिखित पर प्रभार्य है, रू॰ 1000/- (एक हजार रूपये) से अधिक नहीं है ।	(क) रू॰ 50 (पचास रूपये)।
	(ख) किसी अन्य मामले में ।	(ख) रू॰ 100 (एक सौ रूपये)।
	छूट :- कृषकों को दिए गये किसी पट्टे का प्रतिलेख जबकि ऐसा पट्टा शुल्क से विमुक्त हो ।	
26.	सीमा शुल्क बंध-पत्र	
	(क) जहाँ रकम रू॰ 5000 (पांच हजार रूपये) से अनाधिक हो।	(क) रू॰ 100 (एक सौ रूपये)
	(ख) जहाँ रकम रू॰ 5000 (पांच हजार रूपये) से अधिक किन्तु 10,000 (दस हजार रूपये) से अनाधिक हो ।	(ख) रू॰ 200 (दो सौ रूपये)।
	(ग) जहाँ रकम रू॰ 10,000 (दस हजार रूपये) से अधिक हो -	(ग) रू॰ 300 (तीन सौ रूपये)।
29.	विवाह-विच्छेद की लिखत, अर्थात कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है ।	रू॰ 250 (दो सौ पचास रूपये)।
30.	किसी उच्च न्यायालय के नामावली में अधिवक्ता या वकील के रूप में प्रविष्टि :- इंडियन बार कांउसिल ऐक्ट **1926** के अधीन या लेटर्स पेटेंट द्वारा या विधि व्यवसायी अधिनियम **1884** द्वारा ऐसे न्यायालय की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में -	रू॰ 1000 (एक हजार रूपये)।

31.	सम्पत्ति के विनिमय का लिखत -	वही शुल्क जो प्रतिफल राशि या बाजार मूल्य पर हस्तांतरण (सं0 23) की बाबत विनिमय के अंतर्गत बृहत्तर मूल्यवाली सम्पति के बाजार मूल्य पर आधारित हो।
33.	दान की लिखत, जो व्यवस्थापन (सं०- **58)** या वसीयत या अंतरण (सं०- **62)** नहीं है । **(**क) यदि दान पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्र के पुत्र या पुत्री, पुत्री के पुत्र या पुत्री, माँ, भाई, बहन, भाई के पुत्र या पुत्री, बहन के पुत्र या पुत्री, पत्नी, पति, पुत्रबधु, दामाद को दिया जा रहा हो। **(**ख) किसी अन्य मामलें में।	(क) दान पत्र की विषय वस्तु के प्रतिफल अथवा सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो का 3 % (तीन प्रतिशत)। (ख) दान पत्र की विषय वस्तु की प्रतिफल अथवा सम्पति के बाजार मूल्य जो भी अधिक हो पर वही शुल्क जो कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य हो।
	छूट :- सरकार के पक्ष में निष्पादित किसी दान-पत्र के लिखत पर मुद्रांक शुल्क में छूट वैसे मामलों में दी जाएगी जब जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त अथवा सरकार की ओर से दानग्रहिता कोई पदाधिकारी यह प्रमाणित करते हों कि मुद्रांक शुल्क सरकार द्वारा देय है कि मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियम, **1899** की धारा-**3** सहपठित धारा-**29** के अधीन सरकार द्वारा देय है।	
34.	क्षतिपूर्ति बंध-पत्र।	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के प्रतिभूति पत्र (सं० 57) पर लगता है किन्तु अधिकतम रू० 200 (दो सौ रूपये)।
35.	पट्टा जिसके अंतर्गत अवर पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने के लिए कोई करार सम्मिलित है :- **(**क) जहाँ ऐसे पट्टा द्वारा किराया नियत है और कोई प्रीमियिम नहीं दी गयी है या नहीं परिदत्त की गई है/जहाँ पट्टा किसी नजराने या प्रमियिम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है और जहाँ कोई किराया आरक्षित नहीं है/ जहाँ पट्टा, आरक्षित किए गए किराया के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रमियिम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है एवं :-	

	(i) जहाँ पट्टे की अवधि पाँच वर्ष से अनधिक है।	(i) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1 % (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 5 % (पाँच प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो।
	(ii) जहाँ पट्टे की अवधि पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक है।	(ii) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1% (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 15% (पन्द्रह प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो।
	(iii) जहाँ पट्टे की अवधि दस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अनधिक है।	(iii) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1% (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 25% (पचीस प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो।
	(iv) जहाँ पट्टे की अवधि तीस वर्ष से अधिक हो या शाश्वत्ता के लिए तात्पर्यित हो या एक निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो।	(iv) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1 % (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 50% (पचास प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो। परन्तु कि यदि पट्टे का करारनामा अनुच्छेद 5(ड़) अथवा 5 (छ) के तहत मुद्रांकित हो तो इस पर चुकाये गये मुद्रांक शुल्क का समायोजन अनुवर्त्ती रूप से निष्पादित पट्टा विलेख, पर अनुच्छेद 35 (क) I, ii, iii एवं iv के तहत प्रभार्य कुल

		मुद्रांक शुल्क से किया जायेगा।
	(ख) खन्न पट्टा, खासमहल पट्टा या कोई अन्य पट्टा जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से निष्पादित किया गया हो।	(ख) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1.5% (एक दशमलव पाँच प्रतिशत)
	छूट :- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के उत्पाद के लिए वृक्षों का पट्टा सम्मिलित है), जो कोई नजराना या प्रीमियम दिये बिना या परिदत किये बिना निष्पादित किया गया है और जिसमें कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या आरक्षित किया गया औसत वार्षिक किराया रू॰ **100 (**एक सौ रूपये) से अधिक नहीं है।	
	छूट :- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के स्पष्टीकरण :- जहां पट्टेदार कोई आवर्त्ती प्रभार जैसे- सरकारी राजस्व, जमींदार के हिस्से का सेस या स्वामी के हिस्से का नगरपालिका कर या कर जो विधि के अनुसार पट्टाकर्त्ता से वसूलनीय है, अभिदाय करने का वचन देता है, वह रकम जिसे इस प्रकार अभिदाय करने का पट्टेदार द्वारा करार किया गया है, लगान का एक भाग समझा जायगा ।	
38.	अनुज्ञप्ति पत्र, अर्थात ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का काई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।	रू॰ 300 (तीन सौ) रूपये।
39.	कम्पनी के संगम का ज्ञापन -	
	(क) यदि उसके साथ इंडियन कंपनीज ऐक्ट 2013 के अधीन संगम अनुच्छेद संलग्न हो	(क) रू॰ 500 (पांच सौ) रूपये।
	(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो	(ख) रू॰ 1000 (एक हजार) रूपये।
	छूट :- किसी भी ऐसे संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, **2013** की धारा **26** के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।	

40.	बंधक विलेख जो (हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम, या गिरवी (सं**0 6),** बंध पत्र (सं**0 15),** फसल का बंधक (सं**0 41),** जहाजी माल बंधपत्र (सं**0 56),** या प्रतिभूति देय पत्र (सं**0 57)** से संबंधित करार नहीं है)	
	(क) जब ऐसे विलेख में समाविष्ट संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्त्ता द्वारा दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है -	(क) बंधक धन का 2.5%
	(ख) जब यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या दिए जाने के लिए करार नहीं किया गया है।	(ख) बंधक धन का 1.5%
	स्पष्टीकरण :- ऐसे बंधकर्त्ता के बारे में, जो बंधकदार को बंधकित सम्पत्ति या उसके भाग का किराया या पट्टा राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है ।	
	(ग) जब कोई सांपश्रि्वक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपर्युक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक रूप में मुद्रांकित है -	(ग)अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का 1%
	छूट :- वे लिखतें जो लैण्ड इम्प्रुवमेंट लोन्स ऐक्ट **1883,** या एग्रीकल्चररिस्ट्स लोन्स ऐक्ट **1884** के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनकी प्रतिभूतियों द्वारा ऐसे उधारों को चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गयी है।	
41.	फसल का बंधक, जिसके अंतर्गत कोई ऐसी लिखत भी सम्मिलित है, जो फसल के बंधक पर दिए गए उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्ष्यित करती है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो-	रू॰ 50(पचास) रूपये।
42.	नोटरी संबंधी कार्य, अर्थात कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाण पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (सं॰ **50)** नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनाई गई है या हस्ताक्षरित की गई है ।	रू॰ 10 (दस) रूपये।

43.	टिप्पणी या ज्ञापन, जो दलाल या अभिकर्त्ता द्वारा अपने मालिक को उनके निमित्त निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है -	
	(क) ऐसे किसी माल का, जो बीस रूपये से अधिक मूल्य का है-	(क) रू॰10(दस) रूपये।
	(ख) ऐसे किसी स्टाक या विपण्य प्रतिभूति का, जो बीस रूपये से अधिक मूल्य का है-	(ख) 1% न्यूनतम 10 रूपये अधिकतम रू० 200/- (दो सौ) रूपये ।
44.	पोत मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण-	रू० 20 (बीस) रूपये।
45.	विभाजन की लिखत (धारा **2 (15)** द्वारा यथा परिभाषित)	वही शुल्क जो ऐसी सम्पत्ति के पृथक किये गये अंश या अंशो के बाजार मूल्य की रकम के बंध पत्र (सं0 15) पर लगता है । विशेष टिप्पणी- सम्पत्ति विभाजित किए जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान बाजार मूल्य के अंश है जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं है तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जायेगा जिससे अन्य अंश पृथक कर दिए गये हैं- परन्तु सदैव यह कि-
		(क) जब विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है जिसमें संपत्ति को पृथक पृथक विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत चुकाये गये शुल्क की रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु वह 10 (दस) रूपये से कम नहीं।

		(ख) जहां भूमि, राजस्व बंदोबस्त पर ऐसी कालावधि के लिए, जो तीस वर्ष से अधिक नहीं है, धारित है, और पूरी निर्धारित राशि दी जा रही है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्य उसके वार्षिक राजस्व के पांच गुणा से अधिक परिकलित नहीं किया जायेगा।
		(ग) जहां किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन करने का पारित अंतिम आदेश या विभाजन करने का निदेश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित मुद्रांक से मुद्रांकित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क 10 (दस) रूपये से कम नहीं।
46.	भागीदारी - (क) भागीदारी की लिखत-	
	(i) यदि साझेदारी की पूंजी का लिखत में उल्लेख है।	(i) भागीदारी के पूंजीगत मूल्य की रकम का 3% (तीन प्रतिशत) न्यूनतम रूपये 500 (पाँच सौ) अधिकतम रूपये 6000/- (छः हजार) ।
	(ii) अन्य मामलों में।	(ii) रू॰ 6000 (छः हजार) रूपये।
	(ख) भागीदारी का विघटन।	(ख) रू॰ 500 (पांच सौ) रूपये।
48.	धारा 2 (21) में यथा परिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी नहीं है-	
	(क) जब वह प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 के अधीन वादों या कार्यवाहियां में अपेक्षित है-	(क) रू॰ 100 (एक सौ) रूपये।

	(ख) जब वह एक ही संव्यवहार से संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए या ऐसी एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है-	(ख) रू॰ 100 (एक सौ) रूपये।
	(ग) जब वह एक या अधिक व्यक्तियां को खण्ड (ख) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है ।	(ग) रू॰ 200 (दो सौ) रूपये
	(घ) जब वह एक व्यक्ति/ व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्ततः अथवा पृथकतः, जैसी स्थिति हो, एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हो एवं :- (i) यदि पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्र के पुत्र या पुत्री, पुत्री के पुत्र या पुत्री, माँ, भाई, बहन, भाई के पुत्र या पुत्री, बहन के पुत्र या पुत्री, पत्नी, पति को दिया गया हो। (ii) यदि (घ) (i) में उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया गया हो (भूमि/संपति के विक्रय/हस्तांतरण को छोड़कर)। (iii) यदि (घ) (i) में उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया गया हो (भूमि/संपति के विक्रय/ हस्तांतरण के लिए)।	(घ) (i) रू॰ 500 (पाँच सौ) रूपये। (घ) (ii) रू॰ 2000 (दो हजार) रूपये (घ) (iii) भूमि/संपति के बाजार मूल्य का 2% (दो प्रतिशत)।
	(ड.) जब किसी बिल्डर या प्रोमोटर या डेवलपर (जिस नाम से भी जाना जाय), को अंचल संपत्ति के विकास, निर्माण या विक्रय, (किसी प्रकार से भी) हेतु दिया गया हो।	(घ) डेवलपमेंट एग्रीमेंट में सन्निहित भूमि के प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो एवं जो प्रचलित व्यवसायिक मूल्य पर परिगणित किया गया हो का 2.5% (दो दशमलव पाँच प्रतिशत)
	(च) जब वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अटर्नी को किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है-	(च) प्रतिफल अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क।
	स्पष्टीकरण I :- एक से अधिक व्यक्तियों की बावत उस दशा में जिसमें वे एक ही फर्म के है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति है।	

	स्पष्टीकरण **II** :- एक से अधिक व्यक्तियों की बावत उस दशा में जिसमें वे एक ही फर्म के है**,** इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति है।	
	स्पष्टीकरण **III** :- जहां खण्ड (च)**,** के अंतर्गत शुल्क चुकाया गया है और तत्पश्चात उस सम्पत्ति का मुख्तारनामा के अनुसरण में मुख्तारनामें के निष्पादक तथा जिसके पक्ष में निष्पादित किया गया है के बीच हस्तांतरण पत्र निष्पादित किया जाय**,** वहां हस्तांतरण पत्र पर बाजार मूल्य के अनुसार शुल्क की गणना में से मुख्तारनामे पर चुकायी गयी राशि घटा दी जायेगी । स्पष्टीकरण **lV** :- अनुच्छेद **48(**ड.) के उद्देश्य से बिल्डर**,** प्रोमोटर**,** बिल्डिंग/ अपार्टमेंट का तात्पर्य होगा एवं इसमें सम्मिलित होगें बिल्डर**,** प्रोमोटर**,** बिल्डिंग/अपार्टमेंट जैसा कि झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम**, 2011** अथवा इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो में परिभाषित है।	
50.	विनिमय पत्र या वचन पत्र विषयक प्रसाक्ष्य अर्थात नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा जो विनिमयपत्र या वचन पत्र को अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है ।	रू॰ 50 (पचास रूपये)।
51.	पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति अर्थात पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा-पत्र जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेनेवालों या परिपित्तियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिए उसके द्वारा उनके विरूद्ध लिखित रूप में की गई कोई घोषणा जबकि ऐसा घोषणा-पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है -	रू॰ 50 (पचास रूपये)।

54.	<u>बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण-</u>	बंध पत्र (सं०- 40 (ख)) की तरह, अधिकतम रू० 200 (दो सौ रूपये)।
55.	<u>निर्मुक्ति, अर्थात-</u>	
	(क) कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 23 ए द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है।	(क) निर्मुक्ति पत्र में अंकित प्रतिफल या सम्पत्ति का बाजार मूल्य (दावे का मूल्य) जो भी अधिक हो का 3% है।
	(ख) बंधक द्वारा कब्जा दिये गये अधिभार मोचन की निर्मुक्ति या पूर्व हस्तांतरित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण प्राप्त करने हेतु-	(ख) निर्मुक्ति पत्र में उल्लिखित प्रतिफल पर हस्तांतरण पत्र सख्या-23 की तरह।
56.	जहाजी माल बंधपत्र अर्थात कोई लिखत जो उस उधार के लिए, प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गए या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गन्तव्य पतन पर पहुँचने पर समाश्रित है।	वही शुल्क जो प्रतिभूत किए गए उधार की रकम के बंध पत्र (सं0 15) पर लगता है ।
57.	प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक विलेख, जो किन्ही पदीय कर्त्तव्यों के सम्यक निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या जो उसके आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य सम्पत्ति का लेखा जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है -	बंध पत्र (सं0 15) की तरह शुल्क न्यूनतम रू॰ 10 (दस रूपये) अधिकतम रू0 200 (दो सौ रूपये)।
	छूटें :- बंध पत्र या अन्य लिखत जबकि वह निम्न रूप में निष्पादित किया जाय -	
	(क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ कि दातव्य औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए निजी चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय मासिक आय विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ।	
	(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि सुधार उधार अधिनियम 1883 (1883 का XIX) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का XII) के अधीन अग्रिम धन लिए हैं, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में।	

	(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्त्तव्यों के सम्यक निष्पादन के लिए या उनके द्वारा धारित पद के आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक रूप से लेखा सुनिश्चित करने के लिए ।	
58.	व्यवस्थापन :- **(**क) व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अंतर्गत स्त्रीधन (मेहर) विलेख है) ।	
	(प) परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में व्यवस्थापन- स्पष्टीकरण :- इस अनुच्छेद के अधीन परिवार का अभिप्रेत है पिता, माता, पति-पत्नी, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री तथा इसमें पर-पिता, पर-माता, पेता, दत्तक पिता-माता एवं दत्तक पुत्र-पुत्री सम्मलित है ।	(i) वही शुल्क जो व्यवस्थापित सम्पत्ति की रकम या बाजार मूल्य के, जो भी अधिक हो की राशि पर बंधपत्र (सं॰ 15) की तरह।
	(ii) अन्य मामलों में।	(ii) उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो व्यवस्थापन का विषय वस्तु पर कनवियांस (सं॰ 23) की तरह।
	छूट :-विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया मेहर विलेख ।	
	(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण।	(ख) रूपये 500 (पांच सौ रूपये)।
59.	द कम्पनीज एक्ट, 2013 (के अधीन निर्गमित शेयर वारंट वाहक के लिए	वारंट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर प्रतिफल या बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण पत्र (सं॰ 23) पर संदेय शुल्क का डेढ़ गुणा शुल्क।
	छूटें :-शेयर अधिपत्र जब वह किसी कम्पनी द्वारा द कम्पनीज एक्ट**, 2013** के अनुसरण में निर्गमित किया गया है जो स्टाम्प राजस्व कलक्टर को उस शुल्क के लिए प्रशमन धन के रूप में निम्नलिखित की आदयगी कर दिये जाने पर प्रभावी होगा-	

	(क) कम्पनी की पूरी प्रतिभूत पूंजी का डेढ़ प्रतिशत या,	
	(ख) यदि कोई कंपनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन धन पूर्णतः चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करता है जो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) हो ।	
61.	पट्टे का अभ्यर्पण -	
	(क) जब पट्टे पर प्रभार्य शुल्क 200 (दो सौ) रूपये से अधिक नहीं है -	(क) वह शुल्क जो ऐसे पट्टे पर प्रभार्य है ।
	(ख) किसी अन्य मामले में।	(ख) रूपये 200 (दो सौ रूपये)।
	छूट :-पट्टे का अभ्यर्पण, जब ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो।	
62.	अंतरण (चाहे वह प्रतिफल सहित या रहित हो)	
	(क) किसी निर्गमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयरों का।	(क) शेयर के मूल्य का 0.25% प्रतिशत।
	(ख) धारा 8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिवेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभुतियाँ हो, चाहे शुल्क के लिए डिबेंचर दायी हो या न हो :-	(ख) डिबेंचर की अंकित राशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण पत्र (सं॰-23) पर देय शुल्क का आधा।
	(ग) किसी हित का बंधपत्र, बंधक विलेख या बीमा पॉलिसी द्वारा प्रतिभूत।	(ग) बंध पत्र (सं०- 15) की तरह अधिकतम रू॰ 200 (दो सौ रूपये) न्यूनतम रू॰ 100 (एक सौ रूपये)।
	(घ) एडमिनिस्ट्रेटर जेनरल्स ऐक्ट 1913 (1913 का 3रा) की धारा 31 के अधीन किसी संपत्ति का अंतरण :-	(घ) रू॰ 100 (एक सौ रूपये)
	(ड.) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को किसी न्यास सम्पत्ति का अंतरण, बिना प्रतिफल के ।	(ड.) हस्तांतरण पत्र (सं०- 23) की तरह सम्पत्ति के बाजार मूल्य के लिए ।
	छूटें :-पृष्ठांकन द्वारा अंतरण :-	
	(क) जो विनिमय पत्र, चेक या वचन पत्र का,	
	(ख) वहन पत्र, परिदान आदेश, माल के लिए वारंट या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का,	
	(ग) बीमा पॉलिसी का,	
	(घ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का हो ।	

63.	पट्टे का अंतरण : समनुदेशन द्वारा, न कि उपपट्टे द्वारा ।	वही शुल्क जो अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम या बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण पत्र (सं० 23) पर लगता है ।
	छूट :-शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण ।	
64-	न्यास :-	
	(क) की घोषणा- किसी सम्पत्ति की या उसके बारे में, जब वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में की गई हो ।	रू० 5000 (पाँच हजार रूपये)
	(ख) का प्रतिसंहरण किसी सम्पत्ति का या उसके बारे में, जब वह वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो।	(ख) रू० 1000 (एक हजार रूपये)।
	छूट :-पूर्त्त या धार्मिक न्यास, वक्फ अलअल-औलाद सहित ।	
65-	माल के लिए वारंट अर्थात ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल की सम्पत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भंडागार या घाट में या उस पर पड़ा है, जब ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी ओर से, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल हो, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है ।	रू० 20 (बीस रूपये)।

टिप्पणी :- (**1**) मुद्रांक शुल्क की गणना करते समय जो राशि पैसे में हो उसे निकटतम रूपयें में परिवर्तित कर दिया जाय ।

टिप्पणी :- (**2**) जहाँ कहीं न्यूनतम मुद्रांक शुल्क निर्धारित नहीं है वहाँ मुद्रांक शुल्क दस रूपयें से कम नहीं होगा ।

खण्ड "ख"

5. बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य में यथा लागू) का संशोधन ।

6. निरसन एवं व्यावृति :- बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य में यथा लागू) की धारा-5 एतद द्वारा निरसित की जाती है ।

7. ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम, की धारा-5 के अधीन प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा प्रभावित नहीं होगी ।

वित्तीय संलेख

वर्त्तमान समय में विभिन्न लिखतों (Instrument) पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1A के तहत मुद्रांक शुल्क देय है । जिस पर 110 % अधिभार भी लगता है । इस शेड्यूल में विभिन्न समय पर अधिनियम की धारा 9(i) के अंतर्गत मुद्रांक दर में कमी की गई है । अधिसूचना संख्या 141 द्वारा दिनांक 31 मई, 2004 से विक्रय विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क को कम कर अधिभार सहित 4% कर दिया गया है । ऐसा होने से अन्य विलेखों में देय मुद्रांक शुल्क विक्रय विलेख में देय मुद्रांक शुल्क से काफी अधिक हो गया है । उदाहरणार्थ शेड्यूल 1A के अनुच्छेद 15 के लिखतों पर 5001 से 50000 तक के मूल्य पर 2.5% तथा 50000/- से उपर के लिखतों पर 3% मुद्रांक दर है, जिस पर 110% अधिभार लगने से यह दर क्रमशः 5.25% एवं 6.3% हो जाती है, जो कि विक्रय विलेख में देय मुद्रांक शुल्क (4%) से ज्यादा है । इसी तरह दानपत्र के विलेख में 1001 से 10000 तक के मूल्य पर 42 रूपये प्रति हजार यानि 4.2% तथा 10,000 से अधिक की राशि पर 63 प्रति हजार यानि 6.3% हो जाती है, जो कि विक्रय विलेख में देय मुद्रांक शुल्क 4% से ज्यादा है । इसी तरह कई अन्य प्रकार के विलेखों में अनुच्छेद 15 की तरह मुद्रांक शुल्क लेने का प्रावधान होने से उन विलेखों पर भी विक्रय विलेख में देय मुद्रांक शुल्क 4% से ज्यादा मुद्रांक देय हो जाता है । अतः इस विसंगति को दूर करना आवश्यक जान पड़ता है ।

पुनः बिहार फाईनेंस एक्ट, 13 1974 के द्वारा नियम, 25,1948 धारा-5 बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फी तथा मुद्रांक अधिभार संशोधन अधिनियम, 1948 के कंडिका-5 के तहत कुछ लिखतों को छोड़ कर अन्य सभी लिखतों पर शतप्रतिशत अधिभार प्रावधानित है, पुनः बिहार फाइनेंस एक्ट, 21 1977 द्वारा 10% अतिरिक्त अधिभार प्रावधानित किया गया । इस प्रकार भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूचि-IA में उल्लेखित लिखतों पर देय मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कुल 110 % पर अधिभार भी देय होता है ।

वर्त्तमान में भारतीय मुद्रांक अधिनियम, के अनुसूची-IA में विभिन्न प्रकार के लिखतों पर नये संशोधित मुद्रांक दर नियत करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है । वर्त्तमान में विक्रय विलेखों अनुसूची-IA में की धारा-23 के अंतर्गत मुद्रांक दर पर 4% (अधिभार सहित) लागू है । इसी तरह सभी तरह के बंधक विलेख में 4.2% (अधिभार सहित) एवं बंटवारा विलेख पर 4.2% अधिभार सहित) लागू है । कंडिका-2 के प्रस्ताव के लागू होने के पश्चात प्रस्तावित मुद्रांक शुल्क पर 110% अधिभार प्रभावी होने से अनुसूची-IA में प्रस्तावित मुद्रांक शुल्क की दर दुगने से भी अधिक हो जाऐगी । उधाहरणार्थ वर्त्तमान में विक्रय पत्र पर मुद्रांक शुल्क 4% (अधिभार सहित) प्रभावी है । यदि कंडिका-2 में उल्लेखित प्रस्ताव लागू हो जाता है तथा झारखण्ड इंटरटेरमेंट ड्यूटी कोर्ट फी एवं स्टाम्प सरचार्ज एक्ट, के तहत 110% अधिभार विलोपित नहीं किया जाता है तो विक्रय-पत्र के विलेखों पर शहरी क्षेत्र में प्रभावी मुद्रांक दर 6+6.6=12.6% दर होगी जो कि प्रस्तावित मुद्रांक शुल्क 6% से दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी । इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय विलेखों पर प्रभावी मुद्रांक दर 4+4.4=8.4% हो जाएगी । इसी प्रकार "अन्य विलेखों की मुद्रांक दर" दुगुनी से अधिक हो जायेगी ।

प्रस्तावित भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम (झारखण्ड राज्य में यथा लागू) में संशोधन करने के लिए विधेयक, 2016 पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

(अमर कुमार बाउरी)
भार साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1A के तहत विभिन्न प्रकार के लिखतों (Instrument) पर देय मुद्रांक शुल्क की दरों में विसंगति दूर करने, व्यवहारिक बनाने, स्पष्ट करने, दशमलव पद्धति के मुद्रांक दर तय करने तथा राजस्व में वृद्धि करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है । इससे राजस्व में पर्याप्त वृद्धि होगी तथा अनुसूची के तहत निर्धारित दर अधिक व्यवहारिक एवं स्पष्ट हो जाएगी ।

बिहार इंटरटेनमेंट ड्यूटी कोर्ट फीस एवं सरचार्ज एक्ट (झारखण्ड सरकार में प्रभावी) के तहत 110% अधिभार देय है । वर्तमान में अनुसूची 1A में विभिन्न लिखतों पर लागू मुद्रांक दर में वृद्धि की जा रही है । यदि उक्त अधिनियम के तहत 110% अधिभार समाप्त नहीं किया जाता है तो प्रभावी मुद्रांक दर दुगने से भी अधिक हो जाएगी। अतः बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस एवं मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम, 1948, (झारखण्ड राज्य में यथा लागू) की धारा-5 को निरसित करने से आम जनता पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा जो कि लोकहित में है ।

(अमर कुमार बाउरी)
भार साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 28/2018 - 3460 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय विधेयक, 2018
[वि०स०वि०- 18/2018]

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में **नेताजी सुभाष** विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे सम्बद्ध एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेतु एक विधेयक;

जबकि यह समयोचित है कि पटना, बिहार से सृजित एवं पंजीकृत sitwanto Devi Mahila Kalyan संस्थान सूरज पथ, Bariddih, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860 (पंजीयन संख्या-209/1996-97 दिनांक-11.12.1996) द्वारा प्रायोजित नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, पोखारी, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है ।

एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के उन्हतरवें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता हैः

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-

1) यह अधिनियम " **नेताजी सुभाष** विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018" कहा जाएगा ।

2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत किया जाय ।

2. परिभाषा:-

अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/आवश्यक होः

(क) 'अकादमिक परिषद्' का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् जैसा कि अधिनियम की धारा-24 में वर्णित है;

(ख) 'वार्षिक प्रतिवेदन' का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा अधिनियम की धारा-39 में संदर्भित है;

(ग) 'प्रबंधन' बोर्ड' का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा-23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;

(घ) 'परिसर' का आशय है विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है;

(ङ) 'कुलाधिपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो इस अधिनियम की धारा-12 के अधीन नियुक्त हों;

(च) 'मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी' का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-18 के अधीन नियुक्त हों;

(छ) 'परीक्षा नियंत्रक' का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-19 के अधीन हुई हो;

(ज) 'अंगीभूत महाविद्यालय' से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित हों;

(झ) 'कर्मचारी' से आशय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं;

(ञ) 'स्थायी निधि' का अर्थ है विश्वविद्यालय की स्थायी निधि जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-37 के तहत हुई हो;

(ट) 'संकाय' से आशय है समान अनुशासनों के अकादमिक विभाग;

(ठ) 'शुल्क' का आशय है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से उगाही गयी राशि, जो किसी पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित हो;

(ड) 'सामान्य निधि' से आशय है विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत हुई हो;

(ढ) 'शासी निकाय' का अर्थ है विश्वविद्यालय का शासी निकाय, जिसका गठन अधिनियम की धारा-22 के तहत हुआ हो;

(ण) 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बेंगलुरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था;

(त) 'विहित'/'नियत' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विहित/नियत परिनियम और नियमावली;

(थ) 'प्रति-कुलपति' का अर्थ है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 के तहत हुई हो;

(द) 'कुलसचिव' का अर्थ है विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-17 के तहत हुई हो;

(ध) 'नियंत्री निकाय' का आशय है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादमिक स्तर के सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय, यथा-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय

कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसा निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो;

(न) 'नियमावली' से आशय है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली;

(प) 'अनुसूची' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची;

(फ) विश्वविद्यालय से संबंधित 'प्रवर्तक निकाय' का अर्थ हैः-

(i) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कोई संस्था, अथवा

(ii) इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास, अथवा

(iii) किसी राज्य की विधि के अनुरूप पंजीकृत कोई संस्था या न्यास ।

(ब) 'राज्य सरकार' से आशय है झारखण्ड की राज्य सरकार;

(भ) 'परिनियम' 'अध्यादेश' और 'विनियम' का क्रमशः आशय है, परिनियम, अध्यादेश और विनियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित हों;

(म) 'विश्वविद्यालय के विद्यार्थी' का अर्थ है विश्वविद्यालय में उपाधि, डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम में नामांकित व्यक्ति, जिसमें शोध-उपाधि भी शामिल है;

(य) 'शिक्षक' से आशय है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इस तरह के अन्य व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था में निर्देशित करने (शिक्षण) अथवा शोधकार्य संचालन हेतु हुई हो, इसके तहत अंगीभूत महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं, जिनकी संपुष्टि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हुई हो;

(र) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से आशय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ल) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित **नेताजी सुभाष** विश्वविद्यालय;

(व) 'कुलपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की धारा-13 के तहत हुई हो;

(श) 'विजिटर'/'अतिथि'/'आगंतुक' से आशय है विश्वविद्यालय के विजिटर/अतिथि/आगंतुक यथा इस अधिनियम की धारा-10 में वर्णित है ।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना:-

(1) विश्वविद्यालय की स्थापना **नेताजी सुभाष** विश्वविद्यालय के नाम से होगी ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह **पोखारी, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर** में अवस्थित होगा ।

(3) प्रवर्तक निकाय को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के बाद ही विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा ।

(4) इस अधिनियम की अनुसूची 'ए' में सम्मिलित शर्तों को विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि में पूरा करेगा ।

(5) विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी यासदस्य या प्राधिकारी एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएंगे जब तक वे इस पद पर है अथवा उनकीसदस्यता बनी रहेगी ।

(6) विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और वे किसी भी महाविद्यालय या संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों को उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सबद्धता नहीं दे सकेंगे ।

(7) इस अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व प्रवर्तक निकाय के अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थान, जो सम्बद्धता प्राप्त हैं और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं वे इस अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही उस विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हो जाएंगे, उनकी ऐसी सुविधाएँ इस अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी और **नेताजी सुभाष** विश्वविद्यालयके प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के साथ ऐसे महाविद्यालय और संस्थान उस **नेताजी सुभाष** विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान बन जाएंगे ।

(8) **नेताजी सुभाष** विश्वविद्यालय नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उसके पास सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन की शक्ति होगी, सम्पति ग्रहण करने व उस पर आधिपत्य रखने, उसे अनुबंध/संविदा पर देने अथवा कथित नाम से वाद चलाने के अधिकार होंगे या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा ।

(9) विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

बशर्ते कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से वित्तीय सहायता दे सकती हैः

(a) शोध विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा

(b) विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि;

4. विश्वविद्यालय की सम्पति एवं इसके अनुप्रयोग:-

(1) विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर भूमि और अन्य चल एवं अचल सम्पतियाँ, जो झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य (पूर्ति) के लिए अधिग्रहित, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित की जाती हैं, वे विश्वविद्यालय में निहित होंगी ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा भूमि, भवन और अन्य अधिग्रहित सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी हैं।

(3) विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा ।

(4) उप धारा-(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नाम से हस्तांतरित सम्पति को विश्वविद्यालय के विघटन अथवा समापन के फलस्वरूप निर्धारित ढंग से नियमावली में वर्णित तरीके से प्रयुक्त किया जाएगा ।

5. विश्वविद्यालय के निर्बंधन/अवरोध और बाध्यताएँ:-

(1) विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथा-अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा-शास्त्र, प्रबंधन आदि के लिए शिक्षण-शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय-समय पर नियामक निकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय में नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों अथवा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के संगठन या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा समान पाठ्यक्रमों के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जाएगा ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में नामांकन नियंत्री निकाय के प्रावधानों द्वारा शासित/नियमित हो ।

(3) निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय कोशिक्षण शुल्क में पूरी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृति की अनुमति देनी होगी। निर्धनता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा ।

(4) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटों पर झारखण्ड राज्य के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान विश्वविद्यालय को करना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा ।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा ।

(6) विश्वविद्यालय को अकादमिक स्तर को बनाये रखने के लिए यथेष्ट/पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से निम्न न हो ।

(7) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्यपणधारियों के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग-अलग कोटि (श्रेणी) के तहत सीटें, शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ, उपलब्ध संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ ।

(8) परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि, डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा ।

(9) विश्वविद्यालय को स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं, के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी । विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण कराना होगा ।

(10) इतना होते हुए भी इस अधिनियम की अनुसूची 'A' में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार की नियामक संस्थाओं के नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहूलियतों तथा सहयोग व कर्तव्यों के निष्पादन एवं कार्य को जारी रखने के लिए उन संस्थाओं को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन बाध्यकारी होगा ।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य:-

विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक, शोध तथा प्रसार एवं ऐसी अधिगम की शाखाओं के द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, ज्ञान तथा कौशलों को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और विश्वविद्यालय यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए आवश्यक माहौल तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें:-

(क) पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षा में पुनर्निर्माण एवं नवाचार, शिक्षण के नवीन तरीके, प्रशिक्षण तथा अधिगम ऑनलाइन अधिगम सहित, सम्मिश्रित अधिगम, सतत् शिक्षा एवं अन्य तरीके तथा एकीकृत एवं व्यक्तित्व का हितकर विकास;

(ख) विविध अनुशासनों में अध्ययन;

(ग) अंतर अनुशासनिक अध्ययन;

(घ) राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा अन्तरराष्ट्रीय मेल मिलाप एवं नीतिशास्त्र ।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा:-

किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, मत, वर्ग, जाति, जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर पक्षपात या भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा ।

8. विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ:-

(i) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, इसके अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबंधन तथा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को इसके झारखण्ड राज्य में अवस्थित परिसर में संचालन व प्रबंधन;

(ii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा-शास्त्र, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध कराना;

(iii) शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी प्रयोग, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव देना जिससे शिक्षा के वितरण एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त करने में निरंतरता रहे;

(iv) शिक्षा प्रदान करने में लचीलेपन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रणाली में इलेक्ट्रानिक एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना;

(v) परीक्षा का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता या नाम को वापस लेना;

(vi) फेलोशिप (शिक्षावृत्ति), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना;

(vii) परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना;

(viii) उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल, केन्द्र, संस्थान, महाविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय के मतानुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन;

(ix) विश्वविद्यालय के मतानुसार शिक्षा प्रदान करने व प्रयोजनों के प्रोत्साहन के लिए किसी महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान की स्थापना करना;

(x) शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन;

(xi) ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना;

(xii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना;

(xiii) समान उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व संबद्धता;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल) परिसर समेत परिसरों की स्थापना;

(xv) पेटेन्ट प्रकृति के शोध, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों के साथ सक्षम प्राधिकारों से अनुसंधान के संबंध में पंजीकरण का दायित्व लेना;

(xvi) विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दुनिया के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों के आदान-प्रदान के द्वारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे;

(xvii) अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(xviii) शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, विधि, वाणिज्य, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञोंके बीच विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाये रखना;

(xix) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय विशेष व्यवस्था करने पर विचार;

(xx) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख-रखाव;

(xxi) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपस्कर, सॉफ्टवेर एवं अन्य संसाधनों को व्यवसाय, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार, दान, उपकार या वसीयत के रूप में प्राप्त करना;

(xxii) विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं व्यवस्था;

(xxiii) खेल, सांस्कृतिक सह-पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की उन्नतिके लिए केन्द्रों, परिसरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियम का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव;

(xxiv) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाये रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन;

(xxv) परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना;

(xxvi) फैलोशिप (शोधवृत्ति), छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कारों की स्थापना ;

(xxvii) विश्वविद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से किसी भूमि या भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहारव वसीयत, विरासत या अन्य तरीके से कार्य हेतु प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिससे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख-रखाव हेतु उचित हो ;

(xxviii) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, उसके अनुरूप विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने, विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना ;

(xxix) निर्माण और समर्थन, कटौती और वार्ता, वचनपत्र नोट, विनियम बिल, चेक और अन्य विनिमेय उपस्कर आकर्षित और स्वीकार करना ;

(xxx) विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ाना और बांड पर उधार लेना, बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की स्थापना या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप करना ;

9. सम्बद्धता के अवरोधक:-

(1) विश्वविद्यालय को किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता देने का विशेषाधिकार नहीं होगा ।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, जैसा भी हो, के द्वारा पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर, अपतट परिसर, अध्ययन केन्द्र, परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर शुरू कर सकेगा ।

(3) दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरूआत केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के बाद की जाएगी ।

10. आगंतुक (विजिटर):-

(1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर (आगंतुक) होंगे ।

(2) आगंतुक (विजिटर) जब दीक्षांत समारोह में डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर, ओहदा (पदनाम) और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए मौजूद रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे ।

(3) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर, अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगंतुक को विश्वविद्यालय के भ्रमण/दौरे का अधिकार होगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(क) कुलाधिपति (छ) कुलपति
(ख) प्रति-कुलपति (ज) निदेशक/प्रधानाचार्य
(ग) कुलसचिव (झ) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी
(घ) परीक्षा नियंत्रक (ञ) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष
(ङ) संकायाध्यक्ष (च) कुलानुशासक और
(च) विश्वविद्यालय में अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे ।

12. कुलाधिपति:-

(1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रवर्तक निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए आगंतुक (विजिटर) के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियाओं तथा एतद्संबंधी नियमों एवं शर्तों के अनरूप की जाएगी । कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कुलाधिपति आगंतुक की सलाह के बाद प्रवर्तक निकाय द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे ।

(2) कुलाधिपति अपने कार्यालय पद के अधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे ।

(3) कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर)मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(4) कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित व प्रवर्तक निकाय को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं ।

(5) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथाः-
(क) किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करने;
(ख) कुलपति की नियुक्ति;
(ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को हटानेऔर
(घ) इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियाँ ।

13. कुलपति:-

(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप करेंगे और ये पाँच साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। बशर्ते कि कुलपति पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे । शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से, कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत हो जाएगा ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथाविश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल करेंगे ।

(3) आगंतुक (विजिटर) और कुलाधिपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(4) कुलपति यदि यह अनुभव करें कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या विश्वविद्यालय की सेवा का अन्य व्यक्ति यदि कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से व्यथित है तो इस उप धारा के तहत इस निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर सकता है । कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, संशोधित या परिवर्तित कर सकते हैं ।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इस तरह के अन्य कार्य करेंगे जो विहित किया जाय ।

14. कुलपति की पदच्युति:-

(1) कुलाधिपति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात् आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि कुलपतिः

(क) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हों; अथवा

(ख) विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हों, या

(ग) विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति इस बात के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कारण बताते हुए निर्धारित तिथि से पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं ।

(2) उप धारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की सूचना दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित अवसर कुलपति को दिया जाएगा ।

15. प्रति-कुलपति:-

(1) प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस तरीके से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किया जाय ।

(2) प्रति कुलपति उप धारा-1 के तहत नियुक्त एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

(3) प्रतिकुलपति कुलपति को उनकी आवश्यकतानुसार उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेंगे ।

(4) प्रतिकुलपति प्रवर्तक निकाय द्वारा निर्धारित राशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे ।

16. निदेशक/प्रधानाचार्य :-

निदेशकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति निर्दिष्ट ढंग से तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर की जा सकेगी ।

17. कुलसचिव :-

(1) कुलसचिव प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किये जाएंगे । कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करेंगे ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने, प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा समझौता करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी दूसरी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो ।

(3) कुलसचिव कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी :-

(1) प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो ।

(2) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है ।

19. परीक्षा नियंत्रक:-

(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगेः-

(क) परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना;

(ख) सख्त गोपनीयता की दृष्टि से प्रश्न-पत्रों के चयन की व्यवस्था करना;

(ग) निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था करना;

(घ) परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठता को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों की योग्यता के सही आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् समीक्षा करना;

(ङ) कुलपति के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो परीक्षा से संबंधित हों ।

20. अन्य अधिकारी:-

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के दायित्व, शक्तियों और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो ।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारः-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा-

(क) शासी निकाय

(ख) प्रबंधन बोर्ड

(ग) अकादमिक परिषद्

(घ) वित्त समिति

(ङ) योजना बोर्ड

(च) वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो परिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये गये हों ।

22. शासी निकाय

(1) शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनका प्रतिनिधि;

(घ) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक व्यक्ति, जो प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में होंगे ।

(च) कुलाधिपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ ।

(2) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं मुख्य शासी निकाय होगा । इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथाः-

(क) नियम, परिनियम, अधिनियम, विनियम अथवा अध्यादेश का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे अधिनियमों, परिनियमों, अध्यादेश, विनिमय या नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विस्तृत नीतियों का निर्माण;

(ङ) विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रवर्तक निकाय को अनुशंसा करना, यदि संपूर्ण प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य संपन्न करने की स्थिति में नहीं हो;

(च) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना ।

(3) शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम तीन बार होगी ।

(4) बैठक का कोरम चार होगा;

बशर्ते उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सचिव या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों, जिसमें सरकारी नीतियों या निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों ।

23. प्रबंधन बोर्डः-

(1) प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथा-

(क) कुलपति;

(ख) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनके नामिति;

(ग) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य;

(घ) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं;

(ङ) शिक्षकों के बीच से प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य;

(च) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक ।

(2) प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे ।

(3) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप होगा ।

(4) प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम पाँच होगा;

बशर्ते कि सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों; जिसमें सरकार की नीतियों/निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों ।

24. अकादमिक परिषद्:-

(1) अकादमिक परिषद् कुलपति तथा वैसे सदस्यों के योग से बनेगा, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट है ।

(2) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे ।

(3) आकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य अकादमिक निकाय होगी, जैसा कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों में प्रावधान है और यह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का संयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगी ।

(4) अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम परिनियम के निर्देशों के अनुरूप होगा ।

25. वित्त समिति:-

(1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी मामलों की देख-रेख करेगी ।

(2) वित्त समिति का संविधान, शक्तियाँ और कार्य के अनुरूप होंगे जैसा की विहित किया जाय ।

26. योजना बोर्ड:-

(1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बुनियादी ढाँचा और अकादमिक समर्थन प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है ।

(2) योजना बोर्ड का संविधान, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों का निर्धारण वैसा होगा जैसा की विहित किया जाय ।

27. अन्य प्राधिकार:-

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य वैसा होगा जैसा की विहित किया जाय ।

28. किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता:-

कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के योग्य नहीं होगा, यदि वहः

(क) यदि वह अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(ख) यदि अमुक्त दिवालिया है;

(ग) यदि नैतिक स्खलन का अपराधी पाया गया है;

(घ) किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कहीं भी, किसी रूप में दंडित किया गया है ।

29. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी:-

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं की जायेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन की रिक्ति अथवा संविधान में कोई दोष है ।

30. समितियों का गठन:-

विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तों के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों, ऐसी समितियों का गठन कर सकेंगे ।

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

31. प्रथम परिनियम:-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुकूल पहला परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय-समय पर गठन, शक्तियों और कार्यों का निर्धारण;

(ख) कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति की शर्तों और उनकी शक्तियों तथा अधिकारों का निर्धारण;

(ग) कुलसचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तों तथा उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण;

(घ) अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति और शर्तों तथा शक्तियों और कार्य का निर्धारण;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का निर्धारण;

(च) कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण;

(छ) मानद उपाधियाँ प्रदान करना;

(ज) विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की अदायगी में छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण;

(झ) सीटों के आरक्षण के नियम सहित प्रवेश की नीति का निर्धारण; तथा

(ञ) विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क ।

(2) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा ।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी और यथासंभव इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति, संशोधनों अथवा बिना संशोधन के जैसा वह आवश्यक समझे, देगी ।

(4) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियमों पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति संप्रेषित करेगा, अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अंतर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी संशोधनों को नहीं लागू करने पर कारण बतायेगा। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सुझावों को मान्य या अमान्य कर सकती है ।

(5) राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा ।

32. परवर्ती परिनियम:-

(1) इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों, विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकता है, यथा-

(क) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालयों के प्रधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुनर्गठन;

(ङ) पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण;

(च) पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया;

(छ) शुल्कों का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा

(झ) अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण, जो इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक हों ।

(2) पहले परिनियम से इतर विश्वविद्यालय के परिनियमों का निर्माण शासी निकाय की सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(3) उप धारा (2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श, परिनियम की प्रप्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी ।

(4) राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और परिनियमों में किये गये परिवर्तन के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगा ।

(5) राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

33. प्रथम अध्यादेश:-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था कर सकता है, यथा-

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठयक्रम का निर्धारण;

(ग) डिग्री, डिपलोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम योग्यता;

(घ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति,वजीफा, पदक और पुरस्कार हेतु शर्तें;

(ङ) कार्यालय के नियमों और परीक्षण निकाय, परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति के तरीके सहित परीक्षाओं का संचालन;

(च) विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क;

(छ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें;

(ज) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यकता अनुभव किये जाने पर किसी निकाय के सृजन, संयोजन और कार्य पर विचार;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयोग के तरीके;

(ट) ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है;

(2) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपति द्वारा बनाया जाएगा, जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी और जहाँ तक संभव होगा इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी ।

(4) कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम अध्यादेश को वापस भेजेंगे, यदि कुछ हो । राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

34. परवर्ती अध्यादेश:-

(1) प्रथम अध्यादेशों के अलावा अन्य सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद द्वारा बनाये जाएँगे जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएँगे ।

(2) उपधारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक संभव हो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी ।

(3) अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेशों को संशोधित करेगी या सुझावों को राज्य सरकार को पुनः उसे वापस सौंपेगी, यदि कोई हो । राज्य सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेशों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा ।

35. विनियम:-

ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम के अनुकूल नियम, परिनियमों और अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेंगे ।

36. निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार:-

(1) शिक्षण के स्तर, परीक्षा और शोध तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी अन्य मामले में राज्य सरकार ऐसे लोगों, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, के द्वारा मूल्यांकन करा सकेगी ।

(2) ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय को संप्रेषित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय और प्रयत्न करेगा ताकि इन अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा का पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निर्देश दे सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे । राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय अविलंब करेगा ।

विश्वविद्यालय की निधियाँ

37. स्थायी निधि:-

(1) उद्देश्य-पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ प्रवर्तक निकाय विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी कोष की स्थापना करेगा ।

(2) विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि के रूप में होगा । यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी राशि अथवा इसका एक हिस्सा/अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा ।

(3) विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए कर सकेगा, विश्वविद्यालय के दिनानुदिन व्यय के लिए नहीं ।

(4) विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी जैसा सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्देशित किया जाएगा ।

(5) दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में, प्रतिभूतियों का प्रमाण-पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण में रखा जाएगा और व्यक्तिगत जमा खातों के ब्याज को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा । शर्त्त यह है कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी ।

38. सामान्य निधि:-

(1) विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य कोष कहा जाएगा, जिसमें निम्नांकित राशियाँ जमा होंगी:

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क;

(ख) प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि;

(ग) अपने लक्ष्य-सिद्धि के क्रम में विश्वविद्यालय के किसी भी उपक्रम, यथा-परामर्श आदि से प्राप्त कोई भी राशि;

(घ) न्यासों, वसीयतों, दान, वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदानतथा

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि ।

(2) सामान्य कोष का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा -

(क) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु;

(ख) विश्वविद्यालय की परिसंपतियों के रख-रखाव हेतु;

(ग) धारा 37 एवं 38 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा-परीक्षण के लिए भुगतान किया गया शुल्क;

(घ) विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु ;

(ङ) अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शोध-अधिकारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि अंशदान, ग्रैच्यूटी और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु;

(च) शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु;

(छ) फेलोशिप, निःशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियों, असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों, प्रशिक्षुओं अथवा जैसी स्थिति हो अधिनियमों, परिनियमों और नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी के भुगतान हेतु;

(ज) अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु;

(झ) प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये निवेशों की मूल लागत, जो समय-समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान की दर से अधिक नहीं हो, के भुगतान के लिए।

(ञ) इस अधिनियम के परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये व्यय के भुगतान हेतु;

(ट) किसी संस्थान द्वारा विशेष सेवा देने के दायित्व, विश्वविद्यालय को प्रबंधन-सेवा सहित शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध अन्य कार्यों के भुगतान हेतु;

बशर्ते कि कुल आवर्ती व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा ।

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

39. वार्षिक प्रतिवेदन:-

विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा ।

40. अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन:-

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा बैंलेस शीट सहित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाएगा ।

(2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

विश्वविद्यालय को समेटना

41. विश्वविद्यालय का समापनः-

(1) यदि प्रवर्तक निकाय विधि सम्मतढंग से इसके गठन तथा निगमीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वयं को भंग करना चाहे तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य सरकार को देनी होगी ।

2) राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरुप भंग किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रवर्तक निकाय के विघटन के बाद आखिरी सत्र के विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय में नामांकित हैं, के पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी और सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है ।

42. विश्वविद्यालय का विघटन:-

(क) प्रवर्तक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा रखता है, तो उसे राज्य सरकार को एतद्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी। राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार के पश्चात् निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकेगा ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उन सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के विषय हों, प्राप्त हो जाएँ ।

(ख) जैसा कि तरीका निर्धारित हो विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी संपतियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित होंगी ।

(ग) उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार यदि विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती है, तो विहित तरीके से समान उद्देश्य वाली सोसाइटियों में विश्वविद्यालय के विघटन तक उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शासी निकाय की शक्तियाँ निहित कर सकेगी ।

43. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ:-

(1) राज्य सरकार की यदि यह राय है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियमों, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है और वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण बताओ सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, जिसे वह आवश्यक समझे ।

(3) उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच-अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो किसी भी आरोप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

(4) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में प्रदत्त हैं, यथा-

(a) किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी हाजिरी को अनिवार्य करने और शपथ दिलाकर उनकी जाँच करना;

(b) प्रमाण के लिए आवश्यक खोज और ऐसे दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश देना;

(c) किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना ।

(5) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के प्रावधान के सभी अथवा किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कु-प्रबंधन और कुशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में ऐसी हो गयी है कि उसके अकादमिक स्तर पर प्रश्न-चिह्न खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है ।

(6) उप-धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियाँ या डिप्लोमा न दे दी जायँ ।

(7) आखिरी सत्र को डिग्रियाँ या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो, के प्रदान के बाद प्रशासक इस आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा ।

(8) उप-धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएंगी ।

अन्यान्य

44. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति:-

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार नियम बनाएगी ।

(2) राज्य विधानमंडल के समक्ष इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सारे नियमों को कम से कम 30 दिनों के लिए रखा जाएगा और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि वह इसका निरसन कर दे अथवा अपेक्षित परिवर्तन कर दे अथवा ऐसे परिवर्तन जिसे विधानमंडल के उसी सत्र में या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किया गया हो ।

45. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन:-

इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी अंगीभूत महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के लागू होने के तुरत पहले कोई भी अध्ययनरत विद्यार्थी या जो इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी था उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा की जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट किया गया हो ।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-

(1) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उपस्थित हो रही हो तो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ।

बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची - ए (A)

(1) एकल प्रभाव-क्षेत्र के लिए मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा और बहु प्रभाव क्षेत्र के लिए 25 एकड़, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना के दो वर्षों के अन्दर करना होगा । एकीकृत कैंपस में प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया, छात्रावास इत्यादि ऐसी सुविधायें हो सकती हैं, अतः जमीन की आवश्यकता में तदनुसार बदलाव हो सकता है ।

(2) न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर का प्रशासकीय भवन, शैक्षिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ हों वह अल्पतम 10 हजार वर्ग मीटर की होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जायेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत उसमें रह सके, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना होगा । अगर विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक निकाय द्वारा किये गये मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यमान संस्थान विस्तार /पुनरूद्धार/पुनर्रचना करेगा ।

उद्देश्य एवं हेतु

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा की गयी प्रतिबद्धता के आलोक में, जिसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात जो कि 17.7 प्रतिशत (2016-17) है, को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत करना, उच्च शिक्षा की पहुँच तथा गुणवत्ता बढ़ाना तथा कमजोर वर्ग एवं बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मॉडल दिशा-निर्देशों को सकल्प संख्या-1312 दिनांक 1 सितम्बर, 2014 को निर्गत किया गया है ।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विभाग द्वारा जांचोपरांत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **नेताजी सुभाष** विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम गठित किया जाय ।

अतः यह विधेयक,

(डॉ० नीरा यादव)

भार साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 27/2018 - 3463/वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राम कृष्ण धर्माथ फाउंडेशन (आर० के० डी० एफ०) विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

[वि०स०वि०- 22/2018]

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में **राम कृष्ण धर्माथ फाउंडेशन (आर० के० डी० एफ०) विश्वविद्यालय** की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे सम्बद्ध एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेतु एक विधेयक;

जबकि यह समयोचित है कि मध्य प्रदेश, भोपाल, होसंगाबाद से सृजित एवं पंजीकृत अयुस्मती एजुकेशन एंड सोशल सोसाइटी, कॉर्पोरेट ऑफिस - 202, जोन-१, गंगा यमुना काम्प्लेक्स, एमपी नगर, भोपाल, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 (पंजीयन संख्या-7407/1999 दिनांक 15.10.1999) द्वारा प्रायोजित राम कृष्ण **धर्माथ** फाउंडेशन (आर० के० डी० एफ०) विश्वविद्यालय रांची , झारखण्ड की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है ।

एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के उन्हतरवें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता हैः

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-

(1) यह अधिनियम" **राम कृष्ण धर्माथ फाउंडेशन (आर० के० डी० एफ०)** विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 " कहा जाएगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत किया जाय ।

2. परिभाषा:-

अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/आवश्यक होः

(a) 'अकादमिक परिषद्' का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् जैसा कि अधिनियम की धारा-24 में वर्णित है;

(b) 'वार्षिक प्रतिवेदन' का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा अधनियम की धारा-39 में संदर्भित है;

(c) 'प्रबंधन' बोर्ड' का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा-23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;

(d) 'परिसर' का आशय है विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है;

(e) 'कुलाधिपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो इस अधिनियम की धारा-
12 के अधीन नियुक्त हों;

(f) 'मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी' का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-18 के अधीन नियुक्त हों;

(g) 'परीक्षा नियंत्रक' का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-19 के अधीन हुई हो;

(h) 'अंगीभूत महाविद्यालय' से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित हों;

(i) 'कर्मचारी' से आशय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं;

(j) 'स्थायी निधि' का अर्थ है विश्वविद्यालय की स्थायी निधि जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-37 के तहत हुई हो;

(k) 'संकाय' से आशय है समान अनुशासनों के अकादमिक विभाग;

(l) 'शुल्क' का आशय है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से उगाही गयी राशि, जो किसी पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित हो;

(m) 'सामान्य निधि' से आशय है विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत हुई हो;

(n) 'शासी निकाय' का अर्थ है विश्वविद्यालय का शासी निकाय, जिसका गठन अधिनियम की धारा-22 के तहत हुआ हो;

(o) 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बेंगलुरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था;

(p) 'विहित'/'नियत' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विहित/नियत परिनियम और नियमावली;

(q) 'प्रति-कुलपति' का अर्थ है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 के तहत हुई हो;

(r) 'कुलसचिव' का अर्थ है विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-17 के तहत हुई हो;

(s) 'नियंत्री निकाय' का आशय है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादमिक स्तर के सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय, यथा- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा

सरकार अथवा कोई वैसा निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो;

(t) 'नियमावली' से आशय है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली;

(u) 'अनुसूची' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची;

(v) विश्वविद्यालय से संबंधित 'प्रवर्तक निकाय' का अर्थ हैः-

(i) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कोई संस्था, अथवा

(ii) इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास, अथवा

(iii) किसी राज्य की विधि के अनुरूप पंजीकृत कोई संस्था या न्यास।

(w) 'राज्य सरकार' से आशय है झारखण्ड की राज्य सरकार;

(x) 'परिनियम' 'अध्यादेश' और 'विनियम' का क्रमशः आशय है, परिनियम, अध्यादेश और विनियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित हों;

(y) 'विश्वविद्यालय के विद्यार्थी' का अर्थ है विश्वविद्यालय में उपाधि, डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम में नामांकित व्यक्ति, जिसमें शोध-उपाधि भी शामिल है;

(z) 'शिक्षक' से आशय है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इस तरह के अन्य व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था में निर्देशित करने (शिक्षण) अथवा शोधकार्य संचालन हेतु हुई हो, इसके तहत अंगीभूत महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं, जिनकी संपुष्टि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हुई हो;

(aa) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से आशय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ab) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित **राम कृष्ण धर्माथ फाउंडेशन (आर० के० डी० एफ०)** विश्वविद्यालय;

(ac) 'कुलपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की धारा-13 के तहत हुई हो;

(ad) 'विजिटर'/'अतिथि'/'आगंतुक' से आशय है विश्वविद्यालय के विजिटर/अतिथि/आगंतुक यथा इस अधिनियम की धारा-10 में वर्णित है।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना:-

(1) विश्वविद्यालय की स्थापना **राम कृष्ण धर्माथ फाउंडेशन (आर० के० डी० एफ०)** विश्वविद्यालय के नाम से होगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह रांची में अवस्थित होगा।

(3) प्रवर्तक निकाय को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के बाद ही विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा।

(4) इस अधिनियम की अनुसूची 'ए' में सम्मिलित शर्तों को विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि में पूरा करेगा।

(5) विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी यासदस्य या प्राधिकारी एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएंगे जब तक वे इस पद पर है अथवा उनकीसदस्यता बनी रहेगी ।

(6) विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और वे किसी भी महाविद्यालय या संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों को उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सबद्धता नहीं दे सकेंगे ।

(7) इस अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व प्रवर्तक निकाय के अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थान, जो सम्बद्धता प्राप्त हैं और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं वे इस अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही उस विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हो जाएंगे, उनकी ऐसी सुविधाएँ इस अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी और **राम कृष्ण धर्माथ फाउंडेशन (आर० के० डी० एफ०)** विश्वविद्यालयके प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के साथ ऐसे महाविद्यालय और संस्थान उस **राम कृष्ण धर्माथ फाउंडेशन (आर० के० डी० एफ०)** विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान बन जाएंगे।

(8) **राम कृष्ण धर्माथ फाउंडेशन (आर० के० डी० एफ०) विश्वविद्यालय** नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उसके पास सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन की शक्ति होगी, सम्पति ग्रहण करने व उस पर आधिपत्य रखने, उसे अनुबंध/संविदा पर देने अथवा कथित नाम से वाद चलाने के अधिकार होंगे या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा।

(9) विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

बशर्ते कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से वित्तीय सहायता दे सकती हैः

(a) शोध विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा

(b) विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि;

4. विश्वविद्यालय की सम्पति एवं इसके अनुप्रयोग:-

(1) विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर भूमि और अन्य चल एवं अचल सम्पतियाँ, जो झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य (पूर्ति) के लिए अधिग्रहित, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित की जाती हैं, वे विश्वविद्यालय में निहित होंगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा भूमि, भवन और अन्य अधिग्रहित सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी हैं।

(3) विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा।

(4) उप धारा-(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नाम से हस्तांतरित सम्पति को विश्वविद्यालय के विघटन अथवा समापन के फलस्वरूप निर्धारित ढंग से नियमावली में वर्णित तरीके से प्रयुक्त किया जाएगा।

5. विश्वविद्यालय के निर्बंधन/अवरोध और बाध्यताएँ:-

(1) विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथा-अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा-शास्त्र, प्रबंधन आदि के लिए शिक्षण-शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय-समय पर नियामक निकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय में नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय में नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों अथवा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के संगठन या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा समान पाठ्यक्रमों के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जाएगा।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में नामांकन नियंत्री निकाय के प्रावधानों द्वारा शासित/नियमित हो।

(3) निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय कोशिक्षण शुल्क में पूरी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृति की अनुमति देनी होगी। निर्धनता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटों पर झारखण्ड राज्य के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान विश्वविद्यालय को करना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा।

(6) विश्वविद्यालय को अकादमिक स्तर को बनाये रखने के लिए यथेष्ट/पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि

उन शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से निम्न न हो।

(7) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्य पणधारियों के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग-अलग कोटि (श्रेणी) के तहत सीटें, शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ, उपलब्ध संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ।

(8) परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि, डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा।

(9) विश्वविद्यालय को स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं, के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण कराना होगा।

(10) इतना होते हुए भी इस अधिनियम की अनुसूची 'A' में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार की नियामक संस्थाओं के नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहूलियतों तथा सहयोग व कर्तव्यों के निष्पादन एवं कार्य को जारी रखने के लिए उन संस्थाओं को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन बाध्यकारी होगा।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य:-

विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक, शोध तथा प्रसार एवं ऐसी अधिगम की शाखाओं के द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, ज्ञान तथा कौशलों को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और विश्वविद्यालय यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए आवश्यक माहौल तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें:-

a) पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षा में पुनर्निर्माण एवं नवाचार, शिक्षण के नवीन तरीके, प्रशिक्षण तथा अधिगम ऑनलाइन अधिगम सहित, सम्मिश्रित अधिगम, सतत् शिक्षा एवं अन्य तरीके तथा एकीकृत एवं व्यक्तित्व का हितकर विकास;

(b) विविध अनुशासनों में अध्ययन;

(c) अंतर अनुशासनिक अध्ययन;

(d) राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा अन्तरराष्ट्रीय मेलमिलाप एवं नीतिशास्त्र।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा:-

किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य पाठ्यक्रम में नामांकन से

लिंग, मत, वर्ग, जाति, जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर पक्षपात या भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा।

8. विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ:-

(i) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, इसके अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबंधन तथा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को इसके झारखण्ड राज्य में अवस्थित परिसर में संचालन व प्रबंधन;

(ii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा-शास्त्र, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी,स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध कराना;

(iii) शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी प्रयोग, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव देना जिससे शिक्षा के वितरण एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त करने में निरंतरता रहे;

(iv) शिक्षा प्रदान करने में लचीलेपन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रणाली में इलेक्ट्रानिक एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना;

(v) परीक्षा का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों केसाथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता या नाम को वापस लेना;

(vi) फेलोशिप (शिक्षावृत्ति), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना;

(vii) परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना;

(viii) उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल, केन्द्र, संस्थान, महाविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय के मतानुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन;

(ix) विश्वविद्यालय के मतानुसार शिक्षा प्रदान करने व प्रयोजनों के प्रोत्साहन के लिए किसी महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान की स्थापना करना;

(x) शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन;

(xi) ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना;

(xii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना;

(xiii) समान उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व संबद्धता;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल) परिसर समेत परिसरों की स्थापना;

(xv) पेटेन्ट प्रकृति के शोध, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों के साथ सक्षम प्राधिकारों से अनुसंधान के संबंध में पंजीकरण का दायित्व लेना;

(xvi) विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दुनिया के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों के आदान-प्रदान के द्वारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे;

(xvii) अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(xviii) शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, विधि, वाणिज्य, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाये रखना;

(xix) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय विशेष व्यवस्था करने पर विचार;

(xx) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख-रखाव;

(xxi) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपस्कर, सॉफ्टवेर एवं अन्य संसाधनों को व्यवसाय, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों,राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार, दान, उपकार या वसीयत के रूप में प्राप्त करना;

(xxii) विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं व्यवस्था;

(xxiii) खेल, सांस्कृतिक सह-पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की उन्नतिके लिए केन्द्रों, परिसरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियम का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव;

(xxiv) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाये रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन;

(xxv) परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना;

(xxvi) फैलोशिप (शोधवृत्ति), छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कारों की स्थापना;

(xxvii) विश्वविद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से किसीभूमि या भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहारव वसीयत, विरासत या अन्य तरीके से कार्य हेतु प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिससे

किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख-रखाव हेतु उचित हो;

(xxviii) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, उसके अनुरूप विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने, विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना;

(xxix) निर्माण और समर्थन, कटौती और वार्ता, वचनपत्र नोट, विनियम बिल, चेक और अन्य विनिमेय उपस्कर आकर्षित और स्वीकार करना;

(xxx) विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ानाऔर बांड पर उधार लेना, बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की स्थापना या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप करना;

9. सम्बद्धता के अवरोधक:-

(1) विश्वविद्यालय को किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता देने का विशेषाधिकार नहीं होगा।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, जैसा भी हो, के द्वारा पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर, अपतट परिसर, अध्ययन केन्द्र, परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर शुरू कर सकेगा।

(3) दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरूआत केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के बाद की जाएगी।

10. आगंतुक (विजिटर):-

(1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर (आगंतुक) होंगे।

(2) आगंतुक (विजिटर) जब दीक्षांत समारोह में डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर, ओहदा (पदनाम) और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए मौजूद रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करेंगे।

(3) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर, अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगंतुक कोविश्वविद्यालय के भ्रमण/दौरे का अधिकार होगा।

<u>विश्वविद्यालय के अधिकारी</u>

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(a) कुलाधिपति (b) कुलपति

(c) प्रति-कुलपति (d) निदेशक/प्रधानाचार्य

(e) कुलसचिव (f) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

(g) परीक्षा नियंत्रक (h) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष

(i) संकायाध्यक्ष (j) कुलानुशासक और

(k) विश्वविद्यालय में अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे।

12. कुलाधिपतिः-

(1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रवर्तक निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए आगंतुक (विजिटर) के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियाओं तथा एतद्संबंधी नियमों एवं शर्तों के अनरूप की जाएगी। कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कुलाधिपति आगंतुक की सलाह के बाद प्रवर्तक निकाय द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे।

(2) कुलाधिपति अपने कार्यालय पद के अधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर)मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(4) कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित व प्रवर्तक निकाय को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

(5) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथाः-

(a) किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करने;

b) कुलपति की नियुक्ति;

(c) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को हटाने और

(d) इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियाँ।

13. कुलपतिः-

(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप करेंगे और ये पाँच साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। बशर्ते कि कुलपति पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से, कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत हो जाएगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल करेंगे।

(3) आगंतुक (विजिटर) और कुलाधिपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(4) कुलपति यदि यह अनुभव करें कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार काइस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या विश्वविद्यालय की सेवा का अन्य व्यक्ति यदि कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से व्यथित है तो इस उप धारा के तहत इस निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, संशोधित या परिवर्तित कर सकते हैं।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इस तरह के अन्य कार्य जो विहित किया जाय।

14. कुलपति की पदच्युति:-

(1) कुलाधिपति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात् आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि कुलपतिः

(a) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हों; अथवा

(b) विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हों, या

(c) विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति इस बात के होते भी कि कुलपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कारण बताते हुए निर्धारित तिथि से पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं।

(2) उप धारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की सूचना दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित अवसर कुलपति को दिया जाएगा।

15. प्रति-कुलपति:-

(1) प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस तरीके से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किया जाय।

(2) प्रति कुलपति उप धारा-1 के तहत नियुक्त एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

(3) प्रतिकुलपति कुलपति को उनकी आवश्यकतानुसार उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेंगे।

(4) प्रतिकुलपति प्रवर्तक निकाय द्वारा निर्धारित राशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे।

16. निदेशक /प्रधानाचार्य :-

निदेशकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति निर्दिष्ट ढंग से तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर की जा सकेगी।

17. कुलसचिव :-

(1) कुलसचिव प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किये जाएंगे। कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करेंगे।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने, प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा समझौता करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी दूसरी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो।

(3) कुलसचिव कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी :-

(1) प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो।

(2) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है।

19. परीक्षा नियंत्रक:-

(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगेः-

(a) परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना;

(b) सख्त गोपनीयता की दृष्टि से प्रश्न-पत्रों के चयन की व्यवस्था करना;

(c) निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था करना;

(d) परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठता को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों की योग्यता के सही आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् समीक्षा करना;

(e) कुलपति के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो परीक्षा से संबंधित हों।

20. अन्य अधिकारी:-

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के दायित्व, शक्तियों और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो ।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारः-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा-

(a) शासी निकाय

(b) प्रबंधन बोर्ड

(c) अकादमिक परिषद्

(d) वित्त समिति

(e) योजना बोर्ड

(f) वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो परिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये गये हों।

22. शासी निकाय

(1) शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा-

(a) कुलाधिपति;

(b) कुलपति;

(c) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनका प्रतिनिधि;

(d) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे;

(e) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक व्यक्ति, जो प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में होंगे।

(f) कुलाधिपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ।

2) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं मुख्य शासी निकाय होगा। इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथाः-

(a) नियम, परिनियम, अधिनियम विनियम अथवा अध्यादेश का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना;

(b) विश्वविद्यालय के अन्य निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे अधिनियमों, परिनियमों, अध्यादेश, विनियम या नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो;

(c) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना;

(d) विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विस्तृत नीतियों का निर्माण;

(e) विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रवर्तक निकाय को अनुशंसा करना, यदि संपूर्ण प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य संपन्न करने की स्थिति में नहीं हो;

(f) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

(3) शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम तीन बार होगी।

(4) बैठक का कोरम चार होगाः-

बशर्ते उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सचिव या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों, जिसमें सरकारी नीतियों या निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों।

23. प्रबंधन बोर्डः-

(1) प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथा-

(a) कुलपति;

(b) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनके नामिति;

(c) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य;

(d) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं;

(e) शिक्षकों के बीच से प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य;

(f) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक।

(2) प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे।

(3) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप होगा।

(4) प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम पाँच होगा;

बशर्ते कि सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों; जिसमें सरकार की नीतियों/निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों।

24. अकादमिक परिषद्:-

(1) अकादमिक परिषद् कुलपति तथा वैसे सदस्यों के योग से बनेगा, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट है।

(2) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे।

(3) आकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य अकादमिक निकाय होगी, जैसा कि अधिनियम,परिनियमों, अध्यादेशों में प्रावधान है और यह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का संयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगी।

(4) अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम परिनियम के निर्देशों के अनुरूप होगा।

25. वित्त समिति:-

(1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी मामलों की देख-रेख करेगी।

(2) वित्त समिति का संविधान, शक्तियाँ और कार्य के अनुरूप होंगे, जैसा कि विहित किया जाय।

26. योजना बोर्ड:-

(1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बुनियादी ढाँचा और अकादमिक समर्थन प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

(2) योजना बोर्ड का संविधान, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों का निर्धारण वैसा होगा जैसा कि विहित किया जाय।

27. अन्य प्राधिकार:-

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य वैसा होगा जैसा कि विहित किया जाय ।

28. किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता:-

कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के योग्य नहीं होगा, यदि वहः

(a) यदि वह अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(b) यदि अमुक्त दिवालिया है;

(c) यदि नैतिक स्खलन का अपराधी पाया गया है;

(d) किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कहीं भी, किसी रूप में दंडित किया गया है।

29. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी:-

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं की जायेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन की रिक्ति अथवा संविधान में कोई दोष है।

30. समितियों का गठन:-

विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तों के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों, ऐसी समितियों का गठन कर सकेंगे।

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

31. प्रथम परिनियम:-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुकूल पहला परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा-

(a) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय-समय पर गठन, शक्तियों और कार्यों का निर्धारण;

(b) कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति की शर्तों और उनकी शक्तियों तथा अधिकारों का निर्धारण;

(c) कुलसचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तों तथा उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण;

(d) अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति और शर्तों तथा शक्तियों और कार्य का निर्धारण;

(e) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का निर्धारण;

(f) कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण;

(g) मानद उपाधियाँ प्रदान करना;

(h) विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की अदायगी में छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण;

(i) सीटों के आरक्षण के नियम सहित प्रवेश की नीति का निर्धारण; तथा

(j) विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क।

(2) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी और यथासंभव इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति, संशोधनों अथवा बिना संशोधन के जैसा वह आवश्यक समझे, देगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियमों पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति संप्रेषित करेगा, अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अंतर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी संशोधनों को नहीं लागू करने पर कारण बतायेगा। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सुझावों को मान्य या अमान्य कर सकती है।

(5) राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा।

32. परवर्ती परिनियम:-

(1) इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों, विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकता है, यथा-

(a) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन;

(b) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(c) विश्वविद्यालयों के प्रधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;

(d) नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुनर्गठन;

(e) पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण;

(f) पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया;

(g) शुल्कों का पुनरीक्षण;

(h) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा

(i) अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण, जो इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक हों ।

(2) पहले परिनियम से इतर विश्वविद्यालय के परिनियमों का निर्माण शासी निकाय की सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(3) उप धारा (2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श, परिनियम की प्रप्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और परिनियमों में किये गये परिवर्तन के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगा।

(5) राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

33. प्रथम अध्यादेश:-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था कर सकता है, यथा-

(a) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में नामांकन;

(b) विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठयक्रम का निर्धारण;

(c) डिग्री, डिपलोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम योग्यता;

(d) फेलोशिप, छात्रवृत्ति,वजीफा, पदक और पुरस्कार हेतु शर्तें;

(e) कार्यालय के नियमों और परीक्षण निकाय, परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति के तरीके सहित परीक्षाओं का संचालन;

(f) विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क;

(g) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें;

(h) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान;

(i) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यकता अनुभव किये जाने पर किसी निकाय के सृजन, संयोजन और कार्य पर विचार;

(j) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयोग के तरीके;

(k) ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है;

(2) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपति द्वारा बनाया जाएगा, जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी और जहाँ तक संभव होगा इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी।

(4) कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम अध्यादेश को वापस भेजेंगे, यदि कुछ हो । राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन

के विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

34. परवर्ती अध्यादेश:-

(1) प्रथम अध्यादेशों के अलावा अन्य सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद द्वारा बनाये जाएँगे जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएँगे।

(2) उपधारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक संभव हो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी।

(3) अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेशों को संशोधित करेगी या सुझावों को राज्य सरकार को पुनः उसे वापस सौंपेगी, यदि कोई हो। राज्य सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेशों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा।

35. विनियम:-

ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम के अनुकूल नियम, परिनियमों और अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेंगे।

36. निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार:-

(1) शिक्षण के स्तर, परीक्षा और शोध तथा विश्वविद्यालय से संबंद्ध किसी अन्य मामले में राज्य सरकार ऐसे लोगों, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, के द्वारा मूल्यांकन करा सकेगी।

(2) ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय को संप्रेषित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय और प्रयत्न करेगा ताकि इन अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा का पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निर्देश दे सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे । राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय अविलंब करेगा ।

विश्वविद्यालय की निधियाँ

37. स्थायी निधि:-

(1) उद्देश्य-पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ प्रवर्तक निकाय विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी कोष की स्थापना करेगा।

(2) विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि के रूप में होगा। यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी राशि अथवा इसका एक हिस्सा/अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा।

(3) विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए कर सकेगा, विश्वविद्यालय के दिनानुदिन व्यय के लिए नहीं।

(4) विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी जैसा सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्देशित किया जाएगा।

(5) दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में, प्रतिभूतियों का प्रमाण-पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण में रखा जाएगा और व्यक्तिगत जमा खातों के ब्याज को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। शर्त्त यह है कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी।

38. सामान्य निधि:-

(1) विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य कोष कहा जाएगा, जिसमें निम्नांकित राशियाँ जमा होंगी:

(a) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क;

(b) प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि;

(c) अपने लक्ष्य-सिद्धि के क्रम में विश्वविद्यालय के किसी भी उपक्रम, यथा-परामर्श आदि से प्राप्त कोई भी राशि;

(d) न्यासों, वसीयतों, दान, वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदानतथा

(e) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि।

2) सामान्य कोष का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा -

(a) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु;

(b) विश्वविद्यालय की परिसंपतियों के रख-रखाव हेतु;

(c) धारा 37 एवं 38 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा-परीक्षण के लिए भुगतान किया गया शुल्क;

(d) विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु ;

(e) अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शोध-अधिकारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि अंशदान, ग्रैच्यूटी और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु;

(f) शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु;

(g) फेलोशिप, निःशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियों, असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों, प्रशिक्षुओं अथवा जैसी स्थिति हो अधिनियमों, परिनियमों और नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी के भुगतान हेतु;

(h) अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु;

(i) प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये निवेशों की मूल लागत, जो समय-समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान की दर से अधिक नहीं हो, के भुगतान के लिए ।

(j) इस अधिनियम के परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये व्यय के भुगतान हेतु;

(k) किसी संस्थान द्वारा विशेष सेवा देने के दायित्व, विश्वविद्यालय को प्रबंधन-सेवा सहित शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध अन्य कार्यों के भुगतान हेतु;

बशर्ते कि कुल आवर्ती व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा ।

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

39. वार्षिक प्रतिवेदन:-

विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा ।

40. अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन:-

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा बैंलेस शीट सहित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाएगा ।

(2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी ।

विश्वविद्यालय को समेटना

41. विश्वविद्यालय का समापनः-

(1) यदि प्रवर्तक निकाय विधि सम्मतढंग से इसके गठन तथा निगमीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वयं को भंग करना चाहे तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य सरकार को देनी होगी।

(2) राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरुप भंग किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रवर्तक निकाय के विघटन के बाद आखिरीसत्र के विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय में नामांकित हैं, के पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी और सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है ।

42. विश्वविद्यालय का विघटनः-

(a) प्रवर्तक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा रखता है, तो उसे राज्य सरकार को एतद्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी। राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार के पश्चात् निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकेगा ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उन सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के विषय हों, प्राप्त हो जाएँ ।

(b) जैसा कि तरीका निर्धारित है विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी संपतियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित होंगी ।

(c) उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार यदि विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती है, तो विहित तरीके से समान उद्देश्य वाली सोसाइटियों में विश्वविद्यालय के विघटन तक उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शासी निकाय की शक्तियाँ निहित कर सकेगी ।

43. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँः-

(1) राज्य सरकार की यदि यह राय है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियमों, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है और वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण बताओ सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, जिसे वह आवश्यक समझे ।

(3) उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच-अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो किसी भी आरोप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(4) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया, संहिता, 1908 में प्रदत्त हैं, यथा-

(a) किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी हाजिरी को अनिवार्य करने और शपथ दिलाकर उनकी जाँच करना;

(b) प्रमाण के लिए आवश्यक खोज और ऐसे दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश देना;

(c) किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना।

(5) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के प्रावधान के सभी अथवा किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कु-प्रबंधन और कुशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में ऐसी हो गयी है कि उसके अकादमिक स्तर पर प्रश्न-चिह्न खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है ।

(6) उप-धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियाँ या डिप्लोमा न दे दी जायँ ।

(7) आखिरी सत्र को डिग्रियाँ या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो, के प्रदान के बाद प्रशासक इस आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा ।

(8) उप-धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएंगी ।

अन्यान्य

44. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति:-

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार नियम बनाएगी ।

(2) राज्य विधानमंडल के समक्ष इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सारे नियमों को कम से कम 30 दिनों के लिए रखा जाएगा और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि वह इसका निरसन कर दे अथवा अपेक्षित परिवर्तन कर दे अथवा ऐसे परिवर्तन जिसे विधानमंडल के उसी सत्र में या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किया गया हो ।

45. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन:-

इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी अंगीभूत महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के लागू होने के तुरत पहले कोई भी अध्ययनरत विद्यार्थी या जो इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी था उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा की जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट किया गया हो ।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-

(1) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उपस्थित हो रही हो तो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत न हो राज्य सरकार कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ।

बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची - ए (A)

(1) एकल प्रभाव-क्षेत्र के लिए मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा और बहु प्रभाव क्षेत्र के लिए 25 एकड़, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना के दो वर्षों के अन्दर करना होगा । एकीकृत कैंपस में प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया, छात्रावास इत्यादि ऐसी सुविधायें हो सकती हैं, अतः जमीन की आवश्यकता में तदनुसार बदलाव हो सकता है ।

(2) न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर का प्रशासकीय भवन, शैक्षिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ हों वह अल्पतम 10 हजार वर्ग मीटर की होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जायेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत उसमें रह सके, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना होगा । अगर विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक निकाय द्वारा किये गये मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यमान संस्थान विस्तार /पुनरूद्धार/पुनर्रचना करेगा ।

उद्देश्य एवं हेतु

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा की गयी प्रतिबद्धता के आलोक में, जिसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात जो कि 17.7 प्रतिशत (2016-17) है, को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत करना, उच्च शिक्षा की पहुँच तथा गुणवत्ता बढ़ाना तथा कमजोर वर्ग एवं बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मॉडल दिशा-निर्देशों को सकल्प संख्या-1312 दिनांक 1 सितम्बर, 2014 को निर्गत किया गया है ।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विभाग द्वारा जाँचोपरांत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राम कृष्ण धर्माथ फाउंडेशन (आर०के०डी०एफ०) विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम गठित किया जाय ।

अतः यह विधेयक,

(डा० नीरा यादव)

भार साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 29/2018 - 3466 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राधा गोविन्द विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

[वि०स०वि०- 20/2018]

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में **राधा गोविन्द** विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेश के लिए और उससे सम्बद्ध एक निजी विश्वविद्यालय के आनुषंगिक मामलों की स्थिति प्रदान करने हेतु एक विधेयक;

जबकि यह समयोचित है कि रामगढ, झारखण्ड से सृजित एवं पंजीकृत **राधा गोविन्द** शिक्षा स्वास्थ्य ट्रस्ट, रामगढ, गौशाला रोड, विकाश नगर, रामगढ (पंजियन संख्या 2555/30 दिनांक 19.08.2013) द्वारा प्रायोजित **राधा गोविन्द** विश्वविद्यालय, रामगढ, झारखण्ड की स्थापना तथा समावेशन और उसके अनुरूप निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु और उससे संबद्ध आनुषंगिक मामलों के संदर्भ में आवश्यक है ।

एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य के उन्हतरवें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता हैः

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-

1) यह अधिनियम " **राधा गोविन्द** विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018" कहा जाएगा ।

2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियत किया जाय ।

2. परिभाषा:-

अगर इस अधिनियम के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित/आवश्यक होः

(क) 'अकादमिक परिषद्' का अर्थ है विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् जैसा कि अधिनियम की धारा-24 में वर्णित है;

(ख) 'वार्षिक प्रतिवेदन' का आशय है विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जैसा अधिनियम की धारा-39 में संदर्भित है;

(ग) 'प्रबंधन' बोर्ड' का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा-23 के तहत गठित विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;

(घ) 'परिसर' का आशय है विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल जहाँ यह अवस्थित है;

(ङ) 'कुलाधिपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो इस अधिनियम की धारा-12 के अधीन नियुक्त हों;

(च) 'मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी' का अर्थ है विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-18 के अधीन नियुक्त हों;

(छ) 'परीक्षा नियंत्रक' का अर्थ है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-19 के अधीन हुई हो;

(ज) 'अंगीभूत महाविद्यालय' से आशय है वैसे महाविद्यालय अथवा संस्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित हों;

(झ) 'कर्मचारी' से आशय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी; इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी समाहित हैं;

(ञ) 'स्थायी निधि' का अर्थ है विश्वविद्यालय की स्थायी निधि जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-37 के तहत हुई हो;

(ट) 'संकाय' से आशय है समान अनुशासनों के अकादमिक विभाग;

(ठ) 'शुल्क' का आशय है विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से उगाही गयी राशि, जो किसी पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित हो;

(ड) 'सामान्य निधि' से आशय है विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, जिसकी स्थापना अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत हुई हो;

(ढ) 'शासी निकाय' का अर्थ है विश्वविद्यालय का शासी निकाय, जिसका गठन अधिनियम की धारा-22 के तहत हुआ हो;

(ण) 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से आशय है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बेंगलुरू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था;

(त) 'विहित'/'नियत' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत विहित/नियत परिनियम और नियमावली;

(थ) 'प्रति-कुलपति' का अर्थ है विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 के तहत हुई हो;

(द) 'कुलसचिव' का अर्थ है विश्वविद्यालय के कुलसचिव, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा-17 के तहत हुई हो;

(ध) 'नियंत्री निकाय' का आशय है भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अकादमिक स्तर के सुनिश्चयन हेतु मानकों एवं शर्तों के निर्धारण के लिए स्थापित निकाय, यथा- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद् आदि तथा इसके अलावा सरकार अथवा कोई वैसा निकाय, जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया हो;

(न) 'नियमावली' से आशय है इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमावली;

(प) 'अनुसूची' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत संलग्न अनुसूची;

(फ) विश्वविद्यालय से संबंधित 'प्रवर्तक निकाय' का अर्थ हैः-

(i) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कोई संस्था, अथवा

(ii) इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई लोक न्यास, अथवा

(iii) किसी राज्य की विधि के अनुरूप पंजीकृत कोई संस्था या न्यास।

(ब) 'राज्य सरकार' से आशय है झारखण्ड की राज्य सरकार;

(भ) 'परिनियम' 'अध्यादेश' और 'विनियम' का क्रमशः आशय है, परिनियम, अध्यादेश और विनियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित हों;

(म) 'विश्वविद्यालय के विद्यार्थी' का अर्थ है विश्वविद्यालय में उपाधि, डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु एक पाठ्यक्रम में नामांकित व्यक्ति, जिसमें शोध-उपाधि भी शामिल है;

(य) 'शिक्षक' से आशय है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा इस तरह के अन्य व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था में निर्देशित करने (शिक्षण) अथवा शोधकार्य संचालन हेतु हुई हो, इसके तहत अंगीभूत महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं, जिनकी संपुष्टि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत हुई हो;

(र) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से आशय है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ल) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत झारखण्ड में स्थापित **राधा गोविन्द** विश्वविद्यालय;

(व) 'कुलपति' से आशय है विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की धारा-13 के तहत हुई हो;

(श) 'विजिटर'/'अतिथि'/'आगंतुक' से आशय है विश्वविद्यालय के विजिटर/अतिथि/आगंतुक यथा इस अधिनियम की धारा-10 में वर्णित है ।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना:-

(1) विश्वविद्यालय की स्थापना **राधा गोविन्द** विश्वविद्यालय के नाम से होगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत होगा तथा यह **रामगढ** में अवस्थित होगा ।

(3) प्रवर्तक निकाय को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के बाद ही विश्वविद्यालय का संचालन आरंभ किया जायेगा ।

(4) इस अधिनियम की अनुसूची 'ए' में सम्मिलित शर्तों को विश्वविद्यालय निर्धारित समयावधि में पूरा करेगा ।

(5) विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद्, कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, शिक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी या सदस्य या प्राधिकारी एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से गठित निकाय बनाएंगे जब तक वे इस पद पर है अथवा उनकीसदस्यता बनी रहेगी ।

(6) विश्वविद्यालय एक असम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और वे किसी भी महाविद्यालय या संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों को उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सबद्धता नहीं दे सकेंगे ।

(7) इस अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व प्रवर्तक निकाय के अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थान, जो सम्बद्धता प्राप्त हैं और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं वे इस अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही उस विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हो जाएंगे, उनकी ऐसी सुविधाएँ इस अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त हो जाएंगी और **राधा गोविन्द** विश्वविद्यालय के प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के साथ ऐसे महाविद्यालय और संस्थान उस राधा गोविन्द विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय या संस्थान बन जाएंगे ।

(8) **राधा गोविन्द** विश्वविद्यालय नाम से एक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उसके पास सतत् पद-प्राप्ति अनुक्रम और सामान्य प्रतिज्ञा प्रमाणन की शक्ति होगी, सम्पति ग्रहण करने व उस पर आधिपत्य रखने, उसे अनुबंध/संविदा पर देने अथवा कथित नाम से वाद चलाने के अधिकार होंगे या जिस पर वाद दायर किया जा सकेगा ।

(9) विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

बशर्ते कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अनुदान या अन्य तरीके से वित्तीय सहायता दे सकती हैः

(a) शोध विकास और अन्य गतिविधियों के लिए जैसे राज्य सरकार के अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है अथवा

(b) विशिष्ट शोध अथवा कार्यक्रम आधारित कोई गतिविधि;

4. विश्वविद्यालय की सम्पति एवं इसके अनुप्रयोग:-

(1) विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर भूमि और अन्य चल एवं अचल सम्पतियाँ, जो झारखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य (पूर्ति) के लिए अधिग्रहित, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित की जाती हैं, वे विश्वविद्यालय में निहित होंगी ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा भूमि, भवन और अन्य अधिग्रहित सम्पतियाँ किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी सिवा जिस उद्देश्य के लिए वे अधिग्रहित की गयी हैं ।

(3) विश्वविद्यालय की चल अथवा अचल सम्पतियों का प्रबंधन शासी निकाय द्वारा विनियमों में प्रदत्त रीति के अनुरूप किया जायेगा ।

(4) उप धारा-(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नाम से हस्तांतरित सम्पति को विश्वविद्यालय के विघटन अथवा समापन के फलस्वरूप निर्धारित ढंग से नियमावली में वर्णित तरीके से प्रयुक्त किया जाएगा ।

5. विश्वविद्यालय के निर्बंधन/अवरोध और बाध्यताएँ:-

(1) विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यथा-अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा-शास्त्र, प्रबंधन आदि के लिए शिक्षण-शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समय-समय पर नियामक निकाय, जैसा वह उचित समझेगी, के पर्यवेक्षण में किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में नामांकन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा । विश्वविद्यालय में नामांकन की योग्यता का निर्धारण प्राप्तांक या अर्हता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड और पाठ्येतर और अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों अथवा राज्य स्तर पर विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के संगठन या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा समान पाठ्यक्रमों के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर किया जाएगा ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय के व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में नामांकन नियंत्री निकाय के प्रावधानों द्वारा शासित/नियमित हो ।

(3) निर्धन एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय को शिक्षण शुल्क में पूरी क्षमता के कम से कम पाँच प्रतिशत को मेधा छात्रवृति की अनुमति देनी होगी । निर्धनता तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा ।

(4) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटों पर झारखण्ड राज्य के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान विश्वविद्यालय को करना होगा । सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा ।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर पदों के कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षकेतर पदों को झारखण्ड राज्य के अधिवासी लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान रखना होगा। सीटों के आरक्षण का नियमन झारखण्ड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा किया जायेगा ।

(6) विश्वविद्यालय को अकादमिक स्तर को बनाये रखने के लिए यथेष्ट/पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन शिक्षकों या अधिकारियों की योग्यता प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानक से निम्न न हो ।

(7) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम सूचनाएँ विद्यार्थियों एवं अन्यपणधारियों के हित में सार्वजनिक करनी होगी, जैसे कि संचालित पाठ्यक्रम, अलग-अलग कोटि (श्रेणी) के तहत सीटें, शुल्क एवं अन्य परिव्यय, प्रदत सहूलियतें एवं सुख सुविधाएँ, उपलब्ध संकाय/प्राध्यापक वर्ग एवं अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ ।

(8) परिनियमों में वर्णित रीति के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उपाधि, डिप्लोमा प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा ।

(9) विश्वविद्यालय को स्थापना के पाँच वर्षों के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा और भारत सरकार की अन्य नियामक संस्थाएँ, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध हैं, के द्वारा प्रदत्त ग्रेड की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। विश्वविद्यालय को समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण कराना होगा ।

(10) इतना होते हुए भी इस अधिनियम की अनुसूची 'A' में उल्लिखित शर्तों और भारत सरकार की नियामक संस्थाओं के नियमों, विनियमों, मानदण्डों आदि का इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहूलियतों तथा सहयोग व कर्तव्यों के निष्पादन एवं कार्य को जारी रखने के लिए उन संस्थाओं को जैसी आवश्यकता होगी, विश्वविद्यालय के लिए इनका अनुपालन बाध्यकारी होगा ।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य:-

विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशनात्मक, शोध तथा प्रसार एवं ऐसी अधिगम की शाखाओं के द्वारा जैसा वो उपयुक्त समझे, ज्ञान तथा कौशलों को बढ़ाना तथा विस्तार करना होगा और विश्वविद्यालय यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को निम्नलिखित के लिए आवश्यक माहौल तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायें:-

(a) पाठ्यक्रम का मुख्य शिक्षा में पुनर्निर्माण एवं नवाचार, शिक्षण के नवीन तरीके, प्रशिक्षण तथा अधिगम ऑनलाइन अधिगम सहित, सम्मिश्रित अधिगम, सतत् शिक्षा एवं अन्य तरीके तथा एकीकृत एवं व्यक्तित्व का हितकर विकास;

(b) विविध अनुशासनों में अध्ययन;

(c) अंतर अनुशासनिक अध्ययन;

(d) राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक समता तथा अन्तरराष्ट्रीय मेल मिलाप एवं नीतिशास्त्र ।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, रंग, पंथ, अथवा मत से परे सबके लिए खुला होगा:-

किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य प्राधिकार की सदस्यता से अथवा किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य पाठ्यक्रम में नामांकन से लिंग, मत, वर्ग, जाति, जन्म के स्थान और धार्मिक विश्वास अथवा राजनीतिक या अन्य मतवाद के आधार पर पक्षपात या भेदभाव कर वंचित नहीं किया जाएगा ।

8. विश्वविद्यालय के कार्य एवं शक्तियाँ:-

(i) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंधन, इसके अंगीभूत महाविद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबंधन तथा शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के केन्द्रों का विस्तार एवं सतत् शिक्षा, दूरस्थ

अधिगम एवं ई-लर्निंग के विस्तार एवं पहुँच को इसके झारखण्ड राज्य में अवस्थित परिसर में संचालन व प्रबंधन;

(ii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा-शास्त्र, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में शोध, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण-प्रशिक्षण, सतत् शिक्षा, दूरस्थ अधिगम एवं ई-लर्निंग के संसाधनों को उपलब्ध कराना;

(iii) शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी प्रयोग, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग एवं वैसी संस्थाओं को संयुक्त कार्यक्रमों का प्रस्ताव देना जिससे शिक्षा के वितरण एवं अन्तरराष्ट्रीय मानकों को विकसित एवं प्राप्त करने में निरंतरता रहे;

(iv) शिक्षा प्रदान करने में लचीलेपन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रणाली में इलेक्ट्रानिक एवं दूरस्थ अधिगम विहित करना;

(v) परीक्षा का आयोजन तथा किसी व्यक्ति के नाम विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों के साथ उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना अथवा विनियमों में वर्णित तरीके से उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता या नाम को वापस लेना;

(vi) फेलोशिप (शिक्षावृत्ति), छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना;

(vii) परिनियम में वर्णित तरीके के अनुरूप मानद उपाधि या अन्य विशिष्टता प्रदान करना;

(viii) उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के लिए स्कूल, केन्द्र, संस्थान, महाविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय के मतानुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आयोजन;

(ix) विश्वविद्यालय के मतानुसार शिक्षा प्रदान करने व प्रयोजनों के प्रोत्साहन के लिए किसी महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान को अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करना या नये अंगीभूत महाविद्यालय, केन्द्र, संस्थान की स्थापना करना;

(x) शोध, शिक्षण सामग्री एवं अन्य कार्यों के लिए मुद्रण, प्रकाशन एवं पुनरूत्पादन हेतु प्रबंधन एवं प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन;

(xi) ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना;

(xii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, वाणिज्य, विधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं दायित्व वहन करना;

(xiii) समान उद्देश्यों के लिए किसी शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग व संबद्धता;

(xiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आभासी (वर्चुअल) परिसर समेत परिसरों की स्थापना;

(xv) पेटेन्ट प्रकृति के शोध, योजना अधिकारों एवं ऐसे समान अधिकारों के साथ सक्षम प्राधिकारों से अनुसंधान के संबंध में पंजीकरण का दायित्व लेना;

(xvi) विश्वविद्यालय के आंशिक अथवा पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दुनिया के किसी भी हिस्से के शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों,

कर्मचारियों के आदान-प्रदान के द्वारा संबंध अथवा सहयोग बनाना जैसा वो उचित समझे;

(xvii) अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श तथा इस प्रकार की अन्य सेवाएँ देना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(xviii) शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, समाज विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन, विधि, वाणिज्य, फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञोंके बीच विश्वविद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंध बनाये रखना;

(xix) महिलाओं एवं अन्य वंचित विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथासंभव वांछनीय विशेष व्यवस्था करने पर विचार;

(xx) विश्वविद्यालय के व्यय का नियमन, वित्त का प्रबंधन एवं लेखा का रख-रखाव;

(xxi) विश्वविद्यालय के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए हस्तांतरण द्वारा निधि, चल एवं अचल सम्पत्ति, उपस्कर, सॉफ्टवेर एवं अन्य संसाधनों को व्यवसाय, उद्योग, समाज के अन्य वर्गों, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठनों अथवा किसी अन्य स्रोत से उपहार, दान, उपकार या वसीयत के रूप में प्राप्त करना;

(xxii) विद्यार्थियों के लिए सभागार, छात्रावास एवं शिक्षकों तथा कर्मचारियों के निवास के लिए आवास का निर्माण, रख-रखाव एवं व्यवस्था;

(xxiii) खेल, सांस्कृतिक सह-पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों की उन्नतिके लिए केन्द्रों, परिसरों, सभागारों, भवनों, स्टेडियम का निर्माण, प्रबंधन तथा रख-रखाव;

(xxiv) विश्वविद्यालय के निवासी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाये रखने और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन हेतु पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन;

(xxv) परिनियम द्वारा निर्धारित फीस एवं अन्य शुल्क तय करना, मांगना तथा प्राप्त करना;

(xxvi) फैलोशिप (शोधवृत्ति), छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पदक एवं अन्य पुरस्कारों की स्थापना;

(xxvii) विश्वविद्यालय आवश्यकता या प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से किसी भूमि या भवन को खरीदने, पट्टे पर लेने या उपहारव वसीयत, विरासत या अन्य तरीके से कार्य हेतु प्राप्त कर सकेगा और यह उन नियमों व शर्तों के रूप में स्वीकार्य हो सकता है, जिससे किसी भवन को बनाने या कार्य करने, उसमें परिवर्तन करने और रख-रखाव हेतु उचित हो;

(xxviii) विश्वविद्यालय के हित, गतिविधियों एवं उद्देश्यों की संगति की दृष्टि से जो मान्य हो, उसके अनुरूप विश्वविद्यालय की चल या अचल सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचने, विनिमय, पट्टा या अन्य तरीके से प्रबंधित करना;

(xxix) निर्माण और समर्थन, कटौती और वार्ता, वचनपत्र नोट, विनियम बिल, चेक और अन्य विनिमेय उपस्कर आकर्षित और स्वीकार करना;

(xxx) विश्वविद्यालय के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की निधि को बढ़ाना और बांड पर उधार लेना, बंधक, वचनपत्र नोट या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों की स्थापना या सम्पूर्ण अथवा विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति और परिसम्पत्ति अथवा बिना किसी प्रतिभूति और मान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप करना;

9. सम्बद्धता के अवरोधक:-

(1) विश्वविद्यालय को किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता देने का विशेषाधिकार नहीं होगा ।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अन्य नियामक निकायों अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, जैसा भी हो, के द्वारा पूर्व स्वीकृति के पश्चात् ही विश्वविद्यालय अपने परिसर के अलावा कोई दूरवर्ती परिसर, अपतट परिसर, अध्ययन केन्द्र, परीक्षा केन्द्र झारखण्ड राज्य के अन्दर या बाहर शुरू कर सकेगा ।

(3) दूरस्थ प्रणाली से पाठ्यक्रमों की शुरूआत केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा स्थापित ऐसी नियामक संस्था की पूर्व स्वीकृति के बाद की जाएगी ।

10. आगंतुक (विजिटर):-

(1) झारखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर (आगंतुक) होंगे ।

(2) आगंतुक (विजिटर) जब दीक्षांत समारोह में डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा, चार्टर, ओहदा (पदनाम) और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए मौजूद रहेंगे तो उसकी अध्यक्षता करें गे।

(3) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित किसी संस्थान के शिक्षा के स्तर, अनुशासन, शिष्टाचार और समुचित क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगंतुक को विश्वविद्यालय के भ्रमण/दौरे का अधिकार होगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(a) कुलाधिपति (b) कुलपति

(c) प्रति-कुलपति (d) निदेशक/प्रधानाचार्य

(e) कुलसचिव (f) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

g) परीक्षा नियंत्रक (h) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष

(i) संकायाध्यक्ष (j) कुलानुशासक और

(k) विश्वविद्यालय में अन्य ऐसे अधिकारी जो परिनियम द्वारा घोषित किये जाएंगे।

12. कुलाधिपति:-

(1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रवर्तक निकाय द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए आगंतुक (विजिटर) के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रियाओं तथा एतद्संबंधी नियमों एवं शर्तों के अनरूप की जाएगी। कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् कुलाधिपति आगंतुक की सलाह के बाद प्रवर्तक निकाय द्वारा पुनर्नियुक्त किये जा सकेंगे।

(2) कुलाधिपति अपने कार्यालय पद के अधिकार से विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब आगंतुक (विजिटर)मौजूद नहीं रहेंगे तब उपाधि (डिग्री), डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(4) कुलाधिपति अपने हाथ से लिखित व प्रवर्तक निकाय को संबोधित कर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

(5) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथाः-

(a) किसी भी जानकारी या अभिलेख की माँग करने;

(b) कुलपति की नियुक्ति;

(c) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कुलपति को हटानेऔर

(d) इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियाँ ।

13. कुलपतिः-

(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप करेंगे और ये पाँच साल की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। बशर्ते कि कुलपति पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् पाँच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे । शर्त यह रहेगी कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से, कार्यकाल के दौरान या विस्तारित कार्यकाल से सेवानिवृत हो जाएगा ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के मामलों में सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथाविश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल करेंगे ।

(3) आगंतुक (विजिटर) और कुलाधिपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे ।

(4) कुलपति यदि यह अनुभव करें कि किसी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस प्राधिकार को संबद्ध मामले में कृत कार्रवाई की जानकारी दे सकते हैं ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का प्राधिकार या विश्वविद्यालय की सेवा का अन्य व्यक्ति यदि कुलपति द्वारा कृत कार्रवाई से व्यथित है तो इस उप धारा के तहत इस निर्णय के संप्रेषित होने की तिथि के एक माह के भीतर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर सकता है । कुलाधिपति, कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, संशोधित या परिवर्तित कर सकते हैं ।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और इस तरह के अन्य कार्य करेंगे जो विहित किया जाय ।

14. कुलपति की पदच्युति:-

(1) कुलाधिपति को यदि किसी समय किसी जाँच के पश्चात् आवश्यक लगे या प्रतीत हो कि कुलपतिः

(a) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के तहत प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे हों; अथवा

(b) विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कार्य किये हों, या

(c) विश्वविद्यालय के मामलों को सुलझाने में अक्षम हों, तो कुलाधिपति इस बात के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, कारण बताते हुए निर्धारित तिथि से पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित आदेश दे सकते हैं।

(2) उप धारा (1) के तहत विशेष आधार पर कार्रवाई के किसी प्रस्ताव की सूचना दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का एक समुचित अवसर कुलपति को दिया जाएगा।

15. प्रति-कुलपति:-

(1) प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस तरीके से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किया जाय ।

(2) प्रति कुलपति उप धारा-1 के तहत नियुक्त एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

(3) प्रतिकुलपति कुलपति को उनकी आवश्यकतानुसार उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेंगे ।

(4) प्रतिकुलपति प्रवर्तक निकाय द्वारा निर्धारित राशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे ।

16. निदेशक/प्रधानाचार्य :-

निदेशकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति निर्दिष्ट ढंग से तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर की जा सकेगी ।

17. कुलसचिव :-

(1) कुलसचिव प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा परिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किये जाएंगे । कुलसचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता को धारण करेंगे ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों, दस्तावेजों को अभिप्रमाणित करने, प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा समझौता करने की शक्ति होगी तथा वे ऐसी दूसरी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को पूरा करेंगे जो उनके लिए निर्दिष्ट किया गया हो ।

(3) कुलसचिव कार्यकारी परिषद् एवं अकादमिक परिषद् के पदेन सदस्य सचिव होंगे लेकिनउन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

18. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी :-

(1) प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष द्वारा मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट हो।

(2) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे जैसा कि परिनियम में निर्दिष्ट है ।

19. परीक्षा नियंत्रक:-

(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा तथा परिनियम के अनुरूप कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक के दायित्व होंगेः-

(a) परीक्षा को अनुशासित एवं कुशल तरीके से संचालित करना;

(b) सख्त गोपनीयता की दृष्टि से प्रश्न-पत्रों के चयन की व्यवस्था करना;

(c) निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था करना;

(d) परीक्षा-प्रणाली की निष्पक्षता और विषयनिष्ठता को उन्नत बनाने तथा विद्यार्थियों की योग्यता के सही आकलन की दृष्टि से बेहतर साधन अपनाने के लिए सतत् समीक्षा करना;

(e) कुलपति के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए उन सारे दायित्वों का निर्वहन करना जो परीक्षा से संबंधित हों।

20. अन्य अधिकारी:-

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के दायित्व, शक्तियों और नियुक्ति का तरीका वैसा होगा, जैसा निर्दिष्ट किया गया हो।

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारः-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा-

(a) शासी निकाय

(b) प्रबंधन बोर्ड

(c) अकादमिक परिषद्

(d) वित्त समिति

(e) योजना बोर्ड

(f) वैसे अन्य सभी प्राधिकार, जो परिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये गये हों ।

22. शासी निकाय

(1) शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा-

(a) कुलाधिपति;

(b) कुलपति;

(c) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनका प्रतिनिधि;

(d) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे;

(e) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर से एक व्यक्ति, जो प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ के रूप में होंगे ।

(f) कुलाधिपति द्वारा नामित एक वित्त विशेषज्ञ ।

(2) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार एवं मुख्य शासी निकाय होगा । इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथाः-

(a) नियम, परिनियम, अधिनियम, विनियम अथवा अध्यादेश का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित करना;

(b) विश्वविद्यालय के अन्य निर्णयों की समीक्षा करना यदि वे अधिनियमों, परिनियमों, अध्यादेश, विनिमय या नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो;

(c) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट को अनुमोदित करना;

(d) विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन हेतु विस्तृत नीतियों का निर्माण;

(e) विश्वविद्यालय के विघटन के लिए प्रवर्तक निकाय को अनुशंसा करना, यदि संपूर्ण प्रयास के बाद भी विश्वविद्यालय ठीक ढंग से कार्य संपन्न करने की स्थिति में नहीं हो;

(f) परिनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करना ।

(3) शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम तीन बार होगी ।

(4) बैठक का कोरम चार होगा;

बशर्ते उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सचिव या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों, जिसमें सरकारी नीतियों या निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों ।

23. प्रबंधन बोर्डः-

(1) प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों के योग से गठित होगा, यथा-

(a) कुलपति;

(b) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड अथवा उनके नामिति;

(c) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित शासी निकाय के दो सदस्य;

(d) प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य, जो शासी निकाय के सदस्य नहीं हैं;

(e) शिक्षकों के बीच से प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य;

(f) कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक ।

(2) प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे ।

(3) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियम में जैसा निर्दिष्ट है, के अनुरूप होगा ।

(4) प्रबंधन बोर्ड की बैठक का कोरम पाँच होगा;

बशर्ते कि सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक, उच्च शिक्षा प्रत्येक बैठक में उपस्थित हों; जिसमें सरकार की नीतियों/निर्देशों से संबंधित निर्णय लिये जाने हों ।

24. अकादमिक परिषद्:-

(1) अकादमिक परिषद् कुलपति तथा वैसे सदस्यों के योग से बनेगा, जैसा परिनियम में निर्दिष्ट है ।

(2) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष कुलपति होंगे ।

(3) आकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य अकादमिक निकाय होगी, जैसा कि अधिनियम,परिनियमों, अध्यादेशों में प्रावधान है और यह विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों का संयोजन तथा पर्यवेक्षण करेगी ।

(4) अकादमिक परिषद् की बैठक का कोरम परिनियम के निर्देशों के अनुरूप होगा ।

25. वित्त समिति:-

(1) वित्त समिति विश्वविद्यालय की मुख्य वित्तीय निकाय होगी, जो वित्त संबंधी मामलों की देख-रेख करेगी ।

(2) वित्त समिति का संविधान, शक्तियाँ और कार्य के अनुरूप होंगे जैसा की विहित किया जाय ।

26. योजना बोर्ड:-

(1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बुनियादी ढाँचा और अकादमिक समर्थन प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

(2) योजना बोर्ड का संविधान, उसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों का निर्धारण वैसा होगा जैसा की विहित किया जाय ।

27. अन्य प्राधिकार:-

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ तथा कार्य वैसा होगा जैसा की विहित किया जाय ।

28. किसी प्राधिकार अथवा निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्यता:-

कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता के योग्य नहीं होगा, यदि वहः

(a) यदि वह अस्वस्थ मानस का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(b) यदि अमुक्त दिवालिया है;

(c) यदि नैतिक स्खलन का अपराधी पाया गया है;

(d) किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कहीं भी, किसी रूप में दंडित किया गया है ।

29. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकार अथवा निकाय के गठन या कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी:-

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं की जायेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या संगठन की रिक्ति अथवा संविधान में कोई दोष है ।

30. समितियों का गठन:-

विश्वविद्यालय के प्राधिकार ऐसी शर्तों के साथ जो विशेष काम के लिए आवश्यक हों तथा जो परिनियमों द्वारा अनुमोदित हों, ऐसी समितियों का गठन कर सकेंगे ।

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

31. प्रथम परिनियम:-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुकूल पहला परिनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी एक का निर्धारण करेगा, यथा-

(a) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के लिए समय-समय पर गठन, शक्तियों और कार्यों का निर्धारण;

(b) कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति की शर्तों और उनकी शक्तियों तथा अधिकारों का निर्धारण;

(c) कुलसचिव और मुख्य वित्त तथा लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तों तथा उनकी शक्तियों और कार्य का निर्धारण;

(d) अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति और शर्तों तथा शक्तियों और कार्य का निर्धारण;

(e) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का निर्धारण;

(f) कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया का निर्धारण;

(g) मानद उपाधियाँ प्रदान करना;

(h) विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की अदायगी में छूट और छात्रवृत्ति तथा फेलोशिप प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण;

(i) सीटों के आरक्षण के नियम सहित प्रवेश की नीति का निर्धारण; तथा

(j) विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क ।

(2) विश्वविद्यालय का पहला परिनियम शासी निकाय द्वारा बनाया जाएगा और स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को समर्पित किया जाएगा ।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित किए गए पहले परिनियम पर राज्य सरकार विचार करेगी और यथासंभव इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति, संशोधनों अथवा बिना संशोधन के जैसा वह आवश्यक समझे, देगी ।

(4) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहले परिनियमों पर विश्वविद्यालय अपनी सहमति संप्रेषित करेगा, अथवा राज्य सरकार द्वारा उप धारा-3 के अंतर्गत किये गये किसी संशोधन या सभी संशोधनों को नहीं लागू करने पर कारण बतायेगा । राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सुझावों को मान्य या अमान्य कर सकती है ।

(5) राज्य सरकार ने पहले परिनियम को जिस रूप में अंततः स्वीकार किया है उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी और यह प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा ।

32. परवर्ती परिनियम:-

(1) इस अधिनियम और इसके बाद बनाये गये नियमों, विश्वविद्यालय के परवर्ती परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी एक के बारे में व्यवस्था दे सकता है, यथा-

(a) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारों का सृजन;
(b) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;
(c) विश्वविद्यालयों के प्रधिकारों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;
(d) नए विभागों का निर्माण और वर्तमान विभागों का उन्मूलन अथवा पुनर्गठन;
(e) पदकों और पुरस्कारों का निर्धारण;
(f) पदों के निर्माण और विलोपन की प्रक्रिया;
(g) शुल्कों का पुनरीक्षण;
(h) विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या में बदलाव तथा
(i) अन्य सभी मामलों का परिनियम द्वारा निर्धारण, जो इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक हों ।

(2) पहले परिनियम से इतर विश्वविद्यालय के परिनियमों का निर्माण शासी निकाय की सहमति से प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(3) उप धारा (2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे वह स्वीकृत करेगी अथवा यदि आवश्यक समझे तो कुछ संशोधन के लिए परामर्श, परिनियम की प्रप्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने के भीतर देगी ।

(4) राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर शासी निकाय विचार करेगा और परिनियमों में किये गये परिवर्तन के प्रति सहमति अथवा राज्य सरकार द्वारा सुझाये संशोधनों पर टिप्पणी के साथ उसे वापस कर देगा ।

(5) राज्य सरकार शासी निकाय द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार करेगी तथा परिनियमों को बिना संशोधन अथवा संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी और इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करायेगी जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

33. प्रथम अध्यादेश:-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित नियमों, परिनियमों के तहत, प्रथम अध्यादेश सभी मामले या निम्नलिखित में से कोई एक अथवा सभी की व्यवस्था कर सकता है, यथा-

(a) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और इस रूप में नामांकन;

(b) विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन हेतु पाठयक्रम का निर्धारण;

(c) डिग्री, डिपलोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य प्रदान करने हेतु न्यूनतम योग्यता;

(d) फेलोशिप, छात्रवृत्ति,वजीफा, पदक और पुरस्कार हेतु शर्तें;

(e) कार्यालय के नियमों और परीक्षण निकाय, परीक्षकों तथा मध्यस्थों की नियुक्ति के तरीके सहित परीक्षाओं का संचालन;

(f) विभिन्न पाठयक्रमों की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क;

(g) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें;

(h) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी प्रावधान;

(i) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन की उन्नति के लिए आवश्यकता अनुभव किये जाने पर किसी निकाय के सृजन, संयोजन और कार्य पर विचार;

(j) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहकारिता और सहयोग के तरीके;

(k) ऐसे अन्य मामले जिनकी व्यवस्था अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक है;

(2) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद कुलाधिपति द्वारा बनाया जाएगा, जिसे अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) उप धारा (2) के तहत राज्य सरकार कुलाधिपति द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर विचार करेगी और जहाँ तक संभव होगा इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर वह इसे स्वीकृत करेगी या इसमें संशोधन हेतु सुझाव भी देगी ।

(4) कुलाधिपति अध्यादेश के संदर्भ में दिये गये संशोधन के सुझावों को शामिल करेंगे अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल नहीं करने के कारण बताते हुए प्रथम अध्यादेश को वापस भेजेंगे, यदि कुछ हो । राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के बाद कुलाधिपति की टिप्पणी पर विचार करेगी और संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश को राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

34. परवर्ती अध्यादेश:-

(1) प्रथम अध्यादेशों के अलावा अन्य सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद द्वारा बनाये जाएँगे जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएँगे ।

(2) उपधारा (1) के तहत अकादमिक परिषद् द्वारा सौंपे गये अध्यादेश पर जहाँ तक संभव हो राज्य सरकार इसकी प्राप्ति के दो माह के भीतर विचार करेगी और इसे स्वीकृत कर सकती है या इसमें संशोधन हेतु सुझाव दे सकेगी ।

(3) अकादमिक परिषद् या तो राज्य सरकार के सुझावों के अनुरूप अध्यादेशों को संशोधित करेगी या सुझावों को राज्य सरकार को पुनः उसे वापस सौंपेगी, यदि कोई हो । राज्य सरकार अकादमिक परिषद् की टिप्पणी पर विचार करेगी और अध्यादेशों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और यह प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगा ।

35. विनियम:-

ऐसे प्रत्येक प्राधिकार और ऐसे प्राधिकार द्वारा बनायी गयी समितियों के लिए शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति से विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम के अनुकूल नियम, परिनियमों और अध्यादेशों के संगत विनियम बना सकेंगे ।

36. निर्देश देने के राज्य सरकार के अधिकार:-

(1) शिक्षण के स्तर, परीक्षा और शोध तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी अन्य मामले में राज्य सरकार ऐसे लोगों, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, के द्वारा मूल्यांकन करा सकेगी ।

(2) ऐसे मूल्यांकन के आधार पर सुधार के लिए राज्य सरकार अपनी अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय को संप्रेषित करेगी । विश्वविद्यालय ऐसे सुधारात्मक उपाय और प्रयत्न करेगा ताकि इन अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की गयी अनुशंसा का पालन करने में उचित समयावधि में विफल रहता है तो राज्य सरकार उसे ऐसा निर्देश दे सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे । राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय अविलंब करेगा ।

विश्वविद्यालय की निधियाँ

37. स्थायी निधि:-

(1) उद्देश्य-पत्र में निर्दिष्ट राशि के साथ प्रवर्तक निकाय विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी कोष की स्थापना करेगा ।

(2) विश्वविद्यालय के इस अधिनियम का अनुपालन तथा अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अनुसार संचालन को सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निधि का उपयोग जमानत जमा राशि के रूप में होगा । यदि विश्वविद्यालय अथवा प्रवर्तक निकाय इन अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुकूल प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तब राज्य सरकार को यह पूरी राशि अथवा इसका एक हिस्सा/अंश जब्त कर लेने का अधिकार होगा ।

(3) विश्वविद्यालय इस स्थायी कोष से हुई आमदनी का उपयोग विश्वविद्यालय के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए कर सकेगा, विश्वविद्यालय के दिनानुदिन व्यय के लिए नहीं ।

(4) विश्वविद्यालय के विघटन तक स्थायी कोष की राशि ऐसे साधनों में निवेशित की जाएगी जैसा सरकार द्वारा निवेश हेतु निर्देशित किया जाएगा ।

(5) दीर्घावधि की प्रतिभूति की स्थिति में, प्रतिभूतियों का प्रमाण-पत्र सरकार के सुरक्षित संरक्षण में रखा जाएगा और व्यक्तिगत जमा खातों के ब्याज को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा । शर्त्त यह है कि सरकार के आदेश के बिना यह राशि निकाली नहीं जा सकेगी ।

38. सामान्य निधि:-

(1) विश्वविद्यालय एक कोष की स्थापना करेगा, जिसे सामान्य कोष कहा जाएगा, जिसमें निम्नांकित राशियाँ जमा होंगी:

(a) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क;

(b) प्रवर्तक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई भी राशि;

(c) अपने लक्ष्य-सिद्धि के क्रम में विश्वविद्यालय के किसी भी उपक्रम, यथा-परामर्श आदि से प्राप्त कोई भी राशि;

(d) न्यासों, वसीयतों, दान, वृत्तिदान और किसी भी अन्य प्रकार का अनुदानतथा

(e) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सारी धनराशि ।

(2) सामान्य कोष का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जाएगा, यथा -

(a) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों और शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के साथ विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋण तथा उसके ब्याज के भुगतान हेतु;

(b) विश्वविद्यालय की परिसंपतियों के रख-रखाव हेतु;

(c) धारा 37 एवं 38 के अंतर्गत विनिर्मित निधियों के लेखा-परीक्षण के लिए भुगतान किया गया शुल्क;

(d) विश्वविद्यालय के पक्ष अथवा विपक्ष में दायर वादों पर हुए खर्च के निष्पादन हेतु ;

(e) अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं शोध-अधिकारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि अंशदान, ग्रैच्यूटी और अन्य सुविधाओं के भुगतान हेतु;

(f) शासी निकाय, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और अन्य प्राधिकारों तथा प्रवर्तक निकाय के अध्यक्ष अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु;

(g) फेलोशिप, निःशुल्क शिक्षण, छात्रवृत्तियों, असिस्टेंटशिप तथा समाज के कमजोर आर्थिक वर्ग के छात्रों को दिये गये पुरस्कारों और शोध सहायकों, प्रशिक्षुओं अथवा जैसी स्थिति हो अधिनियमों, परिनियमों और नियमों के अनुकूल किसी भी अर्हता प्राप्त विद्यार्थी के भुगतान हेतु;

(h) अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी किसी भी राशि के भुगतान हेतु;

(i) प्रवर्तक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस संदर्भ में किये गये निवेशों की मूल लागत, जो समय-समय पर भारतीय स्टेट बैंक के ऋण प्रदान की दर से अधिक नहीं हो, के भुगतान के लिए ।

(j) इस अधिनियम के परिनियमों, नियमों, अध्यादेशों के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये व्यय के भुगतान हेतु;

(k) किसी संस्थान द्वारा विशेष सेवा देने के दायित्व, विश्वविद्यालय को प्रबंधन-सेवा सहित शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत ऐसे व्ययों अथवा संबंद्ध अन्य कार्यों के भुगतान हेतु;

बशर्ते कि कुल आवर्ती व्यय और उस वर्ष के लिए निर्धारित अनावर्ती व्यय जैसा शासी निकाय द्वारा निश्चित किया गया है, से अधिक व्यय बिना शासी निकाय की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा ।

लेखा, अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

39. वार्षिक प्रतिवेदन:-

विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें अन्य मामलों समेत, विश्वविद्यालय द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम शामिल होंगे और इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा ।

40. अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन:-

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा बैंलेस शीट सहित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा कराया जाएगा ।

(2) वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी होगी ।

विश्वविद्यालय को समेटना

41. विश्वविद्यालय का समापनः-

(1) यदि प्रवर्तक निकाय विधि सम्मतढंग से इसके गठन तथा निगमीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वयं को भंग करना चाहे तो इसकी सूचना कम से कम छह महीने पहले राज्य सरकार को देनी होगी ।

2) राज्य सरकार ऐसी सूचना (भंग करने संबंधी) प्राप्त करने के पश्चात्, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरुप भंग किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रवर्तक निकाय के विघटन के बाद आखिरी सत्र के विद्यार्थियों, जो विश्वविद्यालय में नामांकित हैं, के पाठ्यक्रम पूरा होने तक करेगी और सरकार प्रवर्तक निकाय के स्थान पर विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी, जिसे प्रवर्तक निकाय के अधिकार, कर्तव्य और कार्य सौंपे जाएँगे, जैसा इस अधिनियम में वर्णित है ।

42. विश्वविद्यालय का विघटनः-

(a) प्रवर्तक निकाय यदि विश्वविद्यालय को भंग करने की इच्छा रखता है, तो उसे राज्य सरकार को एतद्-संबंधी सूचना निर्धारित तरीके से देनी होगी। राज्य सरकार द्वारा यथोचित विचार के पश्चात् निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय को विघटित किया जा सकेगा ।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय का विघटन तभी प्रभावी होगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उन सबको डिग्री (उपाधि), डिप्लोमा अथवा जिस तरह के विषय हों, प्राप्त हो जाएँ ।

(b) जैसा कि तरीका निर्धारित हो विश्वविद्यालय का विघटन होने पर उसकी सभी संपतियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित होंगी ।

(c) उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार यदि विश्वविद्यालय को विघटित करने का निर्णय लेती है, तो विहित तरीके से समान उद्देश्य वाली सोसाइटियों में विश्वविद्यालय के विघटन तक उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत इसके शासी निकाय की शक्तियाँ निहित कर सकेगी ।

43. विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियाँः-

(1) राज्य सरकार की यदि यह राय है कि विश्वविद्यालय ने अधिनियमों, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में से किसी का उल्लंघन किया है और वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो गयी है, तो वह विश्वविद्यालय को कारण बताओ सूचना जारी कर पैंतालीस दिनों के भीतर इस आशय का उत्तर मांगेगी कि क्यों नहीं एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा उपधारा (1) के अंतर्गत दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर से यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के किसी भी प्रावधान का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा

दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल वित्तीय कुप्रबंधन अथवा कु-प्रशासन है तो वह ऐसी जाँच करायेगी, जिसे वह आवश्यक समझे ।

(3) उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार ऐसी किसी जाँच के उद्देश्य से जाँच-अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो किसी भी आरोप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

(4) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त जाँच अधिकारी या अधिकारियों के पास वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी अदालत द्वारा दीवानी वाद के मामलों की सुनवाई के दौरान दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में प्रदत्त हैं, यथा-

(a) किसी व्यक्ति को बुलाने और उसकी हाजिरी को अनिवार्य करने और शपथ दिलाकर उनकी जाँच करना;

(b) प्रमाण के लिए आवश्यक खोज और ऐसे दस्तावेज या दूसरी अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश देना;

(c) किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना ।

(5) उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के प्रावधान के सभी अथवा किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन किया है अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय कु-प्रबंधन और कुशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में ऐसी हो गयी है कि उसके अकादमिक स्तर पर प्रश्न-चिह्न खड़ा हो गया हो, तो सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है ।

(6) उप-धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के तहत बनाये गये शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और तब तक विश्वविद्यालय की गतिविधियों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का आखिरी सत्र अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता और उन्हें डिग्रियाँ या डिप्लोमा न दे दी जायँ ।

(7) आखिरी सत्र को डिग्रियाँ या डिप्लोमा या जैसी स्थिति हो, के प्रदान के बाद प्रशासक इस आशय की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा ।

(8) उप-धारा (7) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय को विघटित कर देगी और विश्वविद्यालय के विघटन के बाद इसकी सारी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रवर्तक निकाय में निहित हो जाएंगी ।

अन्यान्य

44. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति:-

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के निर्वहन के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार नियम बनाएगी ।

(2) राज्य विधानमंडल के समक्ष इस धारा के अंतर्गत बनाये गये सारे नियमों को कम से कम 30 दिनों के लिए रखा जाएगा और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि वह इसका निरसन कर दे अथवा अपेक्षित परिवर्तन कर दे अथवा ऐसे परिवर्तन जिसे विधानमंडल के उसी सत्र में या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किया गया हो ।

45. विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का समापन:-

इस अधिनियम अथवा परिनियम में किसी बात के होते हुए भी अंगीभूत महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालय की अनुसूची में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के लागू होने के तुरत पहले कोई भी अध्ययनरत विद्यार्थी या जो इस विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी था उसे अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा की जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय पर तब तक होगी जैसा निर्दिष्ट किया गया हो ।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:-

(1) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को लागू करने में कठिनाई उपस्थित हो रही हो तो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ।

बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वर्षों के बाद उप धारा (1) के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश को अविलंब राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची - ए (A)

(1) एकल प्रभाव-क्षेत्र के लिए मुख्य परिसर में कम से कम 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा और बहु प्रभाव क्षेत्र के लिए 25 एकड़, जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना के दो वर्षों के अन्दर करना होगा । एकीकृत कैंपस में प्रेक्षागृह, कैफेटेरिया, छात्रावास इत्यादि ऐसी सुविधायें हो सकती हैं, अतः जमीन की आवश्यकता में तदनुसार बदलाव हो सकता है ।

(2) न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर का प्रशासकीय भवन, शैक्षिक भवन, जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ हों वह अल्पतम 10 हजार वर्ग मीटर की होंगी, शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय व्यवस्था, अतिथि गृह, छात्रावास जिसे क्रमशः इतना बढ़ाया जायेगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत उसमें रह सके, ऐसा अस्तित्व में आने के तीन वर्षों के भीतर करना होगा । अगर विश्वविद्यालय व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम कराता है तो उसके लिए वैधानिक निकाय द्वारा किये गये मानकों तथा मानदंडों को स्वीकार करना होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यमान संस्थान विस्तार /पुनरूद्धार/पुनर्रचना करेगा ।

उद्देश्य एवं हेतु

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा की गयी प्रतिबद्धता के आलोक में, जिसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात जो कि 17.7 प्रतिशत (2016-17) है, को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत करना, उच्च शिक्षा की पहुँच तथा गुणवत्ता बढ़ाना तथा कमजोर वर्ग एवं बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मॉडल दिशा-निर्देशों को सकल्प संख्या-1312 दिनांक 1 सितम्बर, 2014 को निर्गत किया गया है ।

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विभाग द्वारा जांचोपरांत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **राधा गोविन्द** विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम गठित किया जाय ।

अतः यह विधेयक,

(डॉ० नीरा यादव)

भार साधक सदस्य

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 जुलाई, 2018 ई०।

संख्या- वि०स०वि०- 30/2018 - 3469 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापति हुआ था, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें ।

ह०/-

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,राँची ।

झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

[वि०स०वि०- 21/2018]

झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार अवाम प्रारंभ–

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह तुरंत प्रभावी होगा ।

अध्याय-2

झारखण्ड राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 का संशोधन-

2. झारखण्ड राय विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-6 की उपधारा- (2) का संशोधन-

धारा-6 की उपधारा-(2) के वर्तमान प्रावधान- “प्रशासन मंडल की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य किसी संस्था को संबद्ध कर सकता है” को विलोपित किया जाता है ।

उद्देश्य एवं हेतु

विश्वविद्यालय अनुदान योग के द्वारा निजी अवाम डीम्ड विश्वविद्यालयों के संबद्ध में लिए गए निर्णय के द्वारा उन्हें महाविद्यालयों या किन्हीं अन्य संस्थाओं को संबद्ध देने का अधिकार नहीं है, के अलोक में यह जरुरी है की वर्त्तमान प्रावधान को विलोपित किया जाय ।

अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है की झारखण्ड राय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 में संशोधन के लिए अधिनियम गठित किया जाय ।

अतः यह विधेयक

(डॉ नीरा यादव)
भार साधक सदस्य

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 20 -- 50 ।